# राजस्थान
# आर्थिक समीक्षा 2024-25

## बजट 2025-26 (सारांश)

RAS, Assistant Professor, First Grade, Second grade, PSI, VDO, Patwar इत्यादि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

पुनम चोयल
(SDM) Rank-13
(RAS-2021)

सुमित्रा चौधरी
IES (AIR -21)
UPSC-2016



संकलनकर्ता : Nexus Civil Zone

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | अध्याय | पेज संख्या |
|---|---|---|
| ✧✧✧ | आर्थिक विकास के मुख्य सूचक | 1 - 2 |
| अध्याय: 01 | बदलता राजस्थान: आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त | 3 - 7 |
| अध्याय: 02 | बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन | 8 - 23 |
| अध्याय: 03 | जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि : शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास | 24 - 38 |
| अध्याय: 04 | सशक्त और समृद्ध कृषि | 39 - 54 |
| अध्याय: 05 | निवेश में वृद्धि : खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास | 55 - 63 |
| अध्याय: 06 | पर्यटन, कला, संस्कृति एवं सेवा क्षेत्र के विकास में गति | 64 - 67 |
| अध्याय: 07 | सतत् व हरित विकास | 68 - 73 |
| अध्याय: 08 | मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य | 74 - 89 |
| अध्याय: 09 | सामाजिक सुरक्षा : सभी नागरिकों का कल्याण | 90 - 100 |
| अध्याय: 10 | सुशासन से समृद्धि | 101 - 105 |
| ✧✧✧ | वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) 2025-26 | 106 - 118 |

# राजस्थान आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25

## आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | 2023-21 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | ₹ करोड़ | | |
| | (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | | 8,40,599 | 9,06,294 |
| | (ब) चालू मूल्यों पर | | 15,21,510 | 17,04,339 |
| 2 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर | प्रतिशत | | |
| | (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | | 7.88 | 7.82 |
| | (ब) चालू मूल्यों पर | | 12.17 | 12.02 |
| 3 | सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान | प्रतिशत | | |
| | (अ) कृषि | | 26.85 | 26.54 |
| | (ब) उद्योग | | 28.53 | 28.39 |
| | (स) सेवा | | 44.62 | 45.07 |
| 4 | सकल राज्य मूल्य वर्धन में चालू मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान | प्रतिशत | | |
| | (अ) कृषि | | 26.78 | 26.92 |
| | (ब) उद्योग | | 27.90 | 27.16 |
| | (स) सेवा | | 45.32 | 45.92 |
| 5 | शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद | ₹ करोड़ | | |
| | (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | | 7,37,182 | 7,96,352 |
| | (ब) चालू मूल्यों पर | | 13,58,742 | 15,24,950 |
| 6 | प्रति व्यक्ति आय | ₹ | | |
| | (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | | 90,414 | 96,638 |
| | (ब) चालू मूल्यों पर | | 1,66,647 | 1,85,053 |
| 7 | सकल स्थाई पूँजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर | ₹ करोड़ | 448061 | - |
| | सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत | प्रतिशत | 29.45 | |
| 8 | कृषि उत्पादकता सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100) | | 215.15 | - |
| 9 | कुल खाद्यान्न उत्पादन | लाख मै. टन | 241.86 | 267.67 |
| 10 | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) | - | 153.46 | 157.31 |
| 11 | थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) | - | 388.09 | 396.54 |
| | प्रतिशत परिवर्तन | प्रतिशत | -0.09 | 2.18 |
| 12 | अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा) | मेगावाट | 24784 | 26325 |
| 13 | वाणिज्यिक बैंक शाखा | ₹ करोड़ | 537597 | 611546 |

## राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

| सूचक | वर्ष | इकाई | राजस्थान | भारत |
|---|---|---|---|---|
| **भौगोलिक क्षेत्र** | 2011 | लाख वर्ग कि.मी. | 3.42 | 32.87 |
| **जनसंख्या** | 2011 | करोड़ | 6.85 | 121.09 |
| **दशकीय वृद्धि दर** | 2001-11 | प्रतिशत | 21.3 | 17.7 |
| **जनसंख्या घनत्व** | 2011 | जनसंख्या प्रति वर्ग कि.मी. | 200 | 382 |
| **कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत** | 2011 | प्रतिशत | 24.9 | 31.2 |
| **कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत** | 2011 | प्रतिशत | 75.1 | 68.8 |
| **अनुसूचित जाति की जनसंख्या** | 2011 | प्रतिशत | 17.8 | 16.6 |
| **अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या** | 2011 | प्रतिशत | 13.5 | 8.6 |
| **लिंगानुपात** | 2011 | महिलाएँ प्रति हजार पुरुष | 928 | 943 |
| **बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)** | 2011 | बालिकाएँ प्रति हजार बालक | 888 | 919 |
| **साक्षरता दर** | 2011 | प्रतिशत | 66.1 | 73.0 |
| **साक्षरता दर (पुरुष)** | 2011 | प्रतिशत | 79.2 | 80.9 |
| **साक्षरता दर (महिला)** | 2011 | प्रतिशत | 52.1 | 64.6 |
| **कार्य सहभागिता दर** | 2011 | प्रतिशत | 43.6 | 39.8 |
| **अशोधित जन्म दर** | 2020* | प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या | 23.5 | 19.5 |
| **अशोधित मृत्यु दर** | 2020* | प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या | 5.6 | 6.0 |
| **शिशु मृत्यु दर** | 2020* | प्रति हजार जीवित जन्म | 32 | 28 |
| **मातृ मृत्यु अनुपात** | 2018-20* | प्रति लाख जीवित जन्म | 113 | 97 |
| **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा** | 2016-20* | आयु वर्षों में | 69.4 | 70 |

## समावेशी विकास के लिए दस संकल्प

संशोधित बजट 2024-25 में "सबका साथ, सबका विकास - सभी के लिए समावेशी विकास" के सिद्धांतों पर आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस सिद्धांत की परिकल्पना **"अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @2047"** के तहत पाँच वर्षीय कार्ययोजना के रूप में की गई है। इस कार्ययोजना में राज्य में लागू किए जाने वाले 10 संकल्प शामिल हैं।

1. $350 अरब की अर्थव्यवस्था
2. बुनियादी ढाँचे का विकास
3. जीवन की गुणवत्ता - बुनियादी सुविधाएँ
4. कृषि विकास एवं किसान कल्याण
5. औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन
6. पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन
7. सतत विकास और हरित-विकास
8. मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य
9. सामाजिक सुरक्षा
10. सुशासन

❑ ❑ ❑ ❑

अध्याय: 01 | बदलता राजस्थान: आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त

## राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product)

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना के उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है।

**1. प्रचलित कीमतों पर**

| प्रचलित कीमतों पर | वर्ष 2023-24 (₹ लाख करोड़) | वर्ष 2024-25 (₹ लाख करोड़) | वृद्धि दर |
|---|---|---|---|
| **राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | 15.22 | 17.04 | 12.02% |
| **अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद** | 295.43 | 324.11 | 9.7% |

**2. स्थिर 2011-12 कीमतों पर**

| स्थिर 2011-12 कीमतों पर | वर्ष 2023-24 (₹ लाख करोड़) | वर्ष 2024-25 (₹ लाख करोड़) | वृद्धि दर |
|---|---|---|---|
| राजस्थान का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 8.41 | 9.06 | 7.82% |
| भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद | 173.83 | 184.88 | 6.4% |

**भारत की GDP में राजस्थान की GSDP का योगदान**

| वर्ष 2024-25 | भारत (GDP) | राजस्थान (GSDP) | राजस्थान की GSDP का योगदान |
|---|---|---|---|
| **स्थिर कीमतों पर** | 184.88 लाख करोड़ | 9.06 लाख करोड़ | 4.90% |
| **प्रचलित कीमतों पर** | 324.11 लाख करोड़ | 17.04 लाख करोड़ | 5.26% |

**Note:-** वर्ष 2020-21 में भारत एवं राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर नकारात्मक रही थी।

## शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूँजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है।

| शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद | वर्ष 2023-24 (₹ लाख करोड़) | वर्ष 2024-25 (₹ लाख करोड़) | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|
| **प्रचलित कीमतों पर** | 13.59 लाख करोड़ | 15.25 लाख करोड़ | 12.23% |
| **स्थिर (2011-12) कीमतों पर** | 7.37 लाख करोड़ | 7.96 लाख करोड़ | 8.03% |

## प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

| राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (PCI) | वर्ष 2023-24 (₹) | वर्ष 2024-25 (₹) | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|
| **प्रचलित कीमतों पर** | 1,66,647 | 1,85,053 | 11.04% |
| **स्थिर (2011-12) कीमतों पर** | 90,414 | 96,638 | 6.88% |

## जिलेवार सकल जिला घरेलू उत्पाद

**शीर्ष पाँच जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) कीमतों पर**

| जिला | प्रचलित कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद | | | जिला | स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) | | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
| **जयपुर** | 186868 | **212335** | **13.63** | **जयपुर** | 111417 | **123421** | **10.77** |
| **अलवर** | 104047 | 119820 | 15.16 | **अलवर** | 65903 | 74782 | 13.47 |
| **जोधपुर** | 74635 | 83191 | 11.46 | **जोधपुर** | 41818 | 44974 | 7.55 |
| **भीलवाड़ा** | 67475 | 76716 | 13.69 | **अजमेर** | 34686 | 37792 | 8.95 |
| **अजमेर** | 61637 | 70283 | 14.03 | **भीलवाड़ा** | 33563 | 37016 | 10.29 |

## जिलेवार प्रति व्यक्ति आय

**शीर्ष पाँच जिलों की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर (2011-12) कीमतों पर**

| जिला | प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय | | | जिला | स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) | | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
| **अलवर** | **211302** | **240808** | **13.96** | **अलवर** | **131635** | **147849** | **12.32** |
| **भीलवाड़ा** | 210787 | 237076 | 12.47 | **जयपुर** | 122297 | 134241 | 9.77 |
| **जयपुर** | 210174 | 236666 | 12.61 | **राजसमंद** | 107035 | 113514 | 6.05 |
| **अजमेर** | 181802 | 205326 | 12.94 | **भीलवाड़ा** | 103334 | 112743 | 9.11 |
| **जैसलमेर** | 177828 | 201054 | 13.06 | **जैसलमेर** | 106193 | 109364 | 2.99 |

## सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

### प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2023-24 में ₹14.17 लाख करोड़ की तुलना में **वर्ष 2024-25 में ₹15.70 लाख करोड़** के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 में **10.83 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में क्षेत्रवार **वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 11.44 प्रतिशत**, **उद्योग क्षेत्र में 7.88 प्रतिशत** तथा **सेवा क्षेत्र में 12.29 प्रतिशत** रही। वर्ष 2024-25 में **कृषि क्षेत्र** (फसल, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग तथा मत्स्य पालन) का योगदान **26.92 प्रतिशत** होना अनुमानित है। **उद्योग क्षेत्र** (खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएँ तथा निर्माण) का योगदान वर्ष 2024-25 में **27.16 प्रतिशत** होना अनुमानित है। **सेवा क्षेत्र**, जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ शामिल हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिनका योगदान वर्ष 2024-25 में **45.92 प्रतिशत** होना अनुमानित है।

## सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर

वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर वर्ष 2023-24 में ₹7.73 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में ₹8.22 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 में 6.39 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2024-25 में 6.29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

| क्षेत्र | सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान (%) | सकल मूल्य वर्धन (₹ लाख करोड़) | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|
| **कृषि क्षेत्र** | 26.54 | 2.18 ₹ लाख करोड़ | 5.05 |
| **उद्योग क्षेत्र** | 28.39 | 2.33 ₹ लाख करोड़ | 5.77 |
| **सेवा क्षेत्र** | 45.07 | 3.70 ₹ लाख करोड़ | 7.38 |

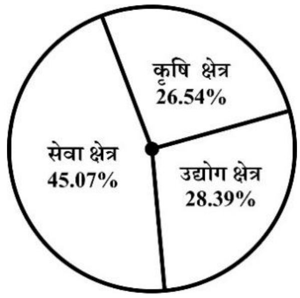


## सकल स्थाई पूंजी निर्माण

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹4,48,061 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹15,21,510 करोड़) का 29.45 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में सकल स्थाई पूँजी निर्माण में गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल स्थाई पूँजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में क्रमशः 78.27 एवं 21.73 प्रतिशत रहा है।

## राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

**आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय** के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का वर्ष **1957 से** राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है।।

### थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

इसका आधार वर्ष आधार वर्ष 1999-2000(100) है। यह व्यापक रूप से मूल्य स्तर के उतार-चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य स्तर के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को **मासिक आधार पर जारी** किया जाता है। इसमें **154 वस्तुओं** को सम्मिलित किया गया हैं। राज्य का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2023 में 387.90 से बढ़कर वर्ष 2024 में **394.68** रहा है, जो कि **1.75 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाता है।

| समूह का नाम | वस्तुओं की संख्या | भारांकन | इस वर्ष वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| **प्राथमिक वस्तु समूह** | 75 | 33.894 | 4.16 |
| **विनिर्मित उत्पाद समूह** | 69 | 49.853 | 1.45 |
| **ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह** | 10 | 16.253 | 1.46 |

**खाद्य मुद्रास्फीति:-** राज्य स्तरीय थोक मूल्य खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य सामग्री और विनिर्मित उत्पाद समूह से खाद्य उत्पादन शामिल हैं, वर्ष 2023 में 403.92 था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 421.67 हो गया। इसमें 4.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

## उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया हैं, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमत स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है इसलिए सरकार मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक महत्त्व देती है। । प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं -

| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | संक्षिप्त नाम | जारी करने वाली संस्था | आधार वर्ष |
|---|---|---|---|
| **औद्योगिक श्रमिकों हेतु** | **CPI-IW** | श्रम ब्यूरो, चंड़ीगढ़ | 2016 |
| **कृषि श्रमिकों हेतु** | **CPI-AL** | श्रम ब्यूरो, चंड़ीगढ़ | 1986-87 |
| **ग्रामीण श्रमिकों हेतु** | **CPI-RL** | श्रम ब्यूरो, चंड़ीगढ़ | |
| **ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु** | **CPI-RU & C** | राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO), नई दिल्ली | 2012 |

### औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय श्रृंखला के लिए सी.पी.आई (औद्योगिक श्रमिक) का निर्माण देश भर में **88 चयनित औद्योगिक** रूप से विकसित केन्द्रों से लिए गये आँकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से **तीन केन्द्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर)** में स्थित है। श्रम ब्यूरो चण्डीगढ द्वारा माह सितम्बर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016-100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में **अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र** को सम्मिलित किया गया है।

## राजकोषीय प्रबन्धन

**राजस्व घाटा :** वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा **₹38,955 करोड़** रहा।

**राजकोषीय घाटा :** वर्ष 2023-24 में वास्तविक राजकोषीय घाटा **₹65,580 करोड़** रहा, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात **4.31 प्रतिशत** रहा।

**प्राप्तियों की प्रवृत्ति :** वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में **4.25 प्रतिशत** की वृद्धि हुई।

**व्यय की प्रवृत्ति :** राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2023-24 में **75.49 प्रतिशत** रहा है तथा शेष राशि पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है। वर्ष 2023-24 में योजनाओं पर व्यय राशि ₹1,56,867 करोड़ का हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में **10.27 प्रतिशत अधिक** है।

**पूँजीगत परिव्यय:** वर्ष 2023-24 में पूँजीगत परिव्यय ₹26,646 करोड़ रहा जो कि वर्ष 2022-23 से **34.6 प्रतिशत अधिक** है।

**राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण एवं अन्य दायित्व):** वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारिया ₹5,05,574 करोड़ थी, जिसमें ₹66,065 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2024 को यह ₹5,71,639 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2022-23 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**राजकोषीय समेकन :** वर्ष 2023-24 में राजकोषीय देनदारियाँ, राजस्व प्राप्तियों की 281.21 प्रतिशत रही है। वर्ष 2023-24 के अन्त में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 5.07 गुना रही है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.57 प्रतिशत एवं अतिरिक्त ऋण के प्रभाव रहित 35.75 प्रतिशत रही है।

# बैंकिंग

बैंकों सहित वित्तीय संस्थान जमा राशि जुटाने एवं प्रमुख क्षेत्रों को ऋण वितरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निवेश उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 824.06 लाख (1 अक्टूबर, 2024) के अनुसार औसतन 9,660 व्यक्तियों पर तथा राज्य के औसतन 40.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

**स्टैंड अप इंडिया योजना:** इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण सेवा से वंचित आबादी तक **₹10 लाख से ₹1 करोड़** तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस ऋण को **7 वर्ष** की अवधि में लौटाना होगा जो कि **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिला** उद्यमियों द्वारा **गैर कृषि क्षेत्र** में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।

- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अन्तर्गत राजस्थान में 3.67 करोड़ खाते खोले गए हैं और 31 दिसम्बर, 2024 तक 92.06 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा गया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में **"प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"** (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत कुल 96.85 लाख व्यक्तियों और "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)" के अन्तर्गत कुल 238.07 लाख व्यक्तियों का नामांकन 31 दिसम्बर, 2024 तक किया गया है।
- **अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केन्द्रित एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना में पात्रता की **न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष** है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत **लाभार्थी को 60 वर्ष** की आयु प्राप्त करने के पश्चात **न्यूनतम ₹1,000 प्रतिमाह तथा अधिकतम ₹5,000 प्रतिमाह** तक की गारंटीशुदा पेंशन दी जाती है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2024 तक 36.62 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया है।

**राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) योजना**

भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 05 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है-

- डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान और उनकी ऑन-बोर्डिंग।
- आधार अधिनियम की धारा 7 या धारा 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना।
- सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण।
- डीबीटी योजनाओं की नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल एप 'उमंग' पर उनका एकीकरण।

**डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति**

- वर्तमान में 99 राज्य योजनाएँ और 51 केन्द्रीय सहायता प्राप्त डीबीटी योजनाएँ डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।
- वर्ष 2024-25 के दौरान नवम्बर, 2024 तक डीबीटी भारत पोर्टल के अनुसार कुल संचयी डीबीटी ₹3,14,385.88 करोड़ का लेनदेन किया गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 5 दिसम्बर, 2024 तक कुल 5.71 करोड़ लाभार्थी के साथ ₹27,494.31 करोड़ के डीबीटी लेनदेन किए गए।

❑ ❑ ❑ ❑

## ऊर्जा-संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण

कृषि में विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना मुख्य पहलों में शामिल है, जिसका लक्ष्य **2030 तक** कृषि क्षेत्र की ऊर्जा मांग का कम से कम **50 प्रतिशत सौर ऊर्जा** से पूरा करना है।

### ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

राज्य की मार्च, 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट थी, जो दिसम्बर, 2024 तक **बढ़कर 26,325.19** मेगावाट हो गई है। राजस्थान में बिजली उत्पादन कई स्रोतों से किया जाता है, जो एक स्थिर और विभिन्न ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इन स्रोतों में तापीय, जलविद्युत, गैस आधारित उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर और बायोमास) शामिल हैं।

- राजस्थान में ऊर्जा का **प्रमुख स्रोत थर्मल पावर** है। दिसम्बर, 2024 तक, राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल **क्षमता 7,830 मेगावाट** है और इसे केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर प्लाटों के योगदान से पूरा किया जाता है।
- राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, जहाँ अत्यधिक धूप के साथ विशाल रेगिस्तानी और शुष्क भूमि है, जो **सौर ऊर्जा परियोजनाओं** के लिए उपयुक्त हैं। राजस्थान में दिसम्बर, 2024 तक सौर ऊर्जा **क्षमता 5,482.66 मेगावाट** हो गई है, जो राज्य की ऊर्जा मिश्रण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- प्राजस्थान ने अपनी अनुकूल पवन स्थितियों का लाभ भी उठाया है, विशेष रूप से **जैसलमेर और बाड़मेर** जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पवन ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है। राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता दिसम्बर, 2024 तक **4,414.12 मेगावाट** तक पहुँच चुकी है, जिससे यह देश की पवन ऊर्जा क्षमता में **प्रमुख योगदानकर्ता** बन गया है। राजस्थान में दिसम्बर, 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का **37.59 प्रतिशत** भाग हैं।

### ऊर्जा उत्पादन

पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में सतत वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक **कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 4.08 प्रतिशत** रही है। विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान सौर ऊर्जा में 20.57 प्रतिशत सीएजीआर की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पवन ऊर्जा में 5.30 प्रतिशत सीएजीआर की दर से वृद्धि हुई है।

### प्रसारण तंत्र प्रणाली

राज्य में मार्च, 2017 तक कुल ई.एच.वी. प्रसारण नेटवर्क 36,079 सर्किट किमी.. था, जो कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी. पी. के साथ) को सम्मिलित करते हुए दिसम्बर, 2024 तक बढ़कर 44,638 सर्किट किमी.. हो गया है। वर्ष 2016-17 से दिसम्बर, 2024 तक कुल प्रसारण नेटवर्क में 23.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच 8,561.36 करोड़ यूनिट से 10,948.74 करोड़ यूनिट तक बढ़ी, जो 27.87 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।
- राजस्थान में मार्च, 2024 तक उपभोक्ताओं की संख्या 190.61 लाख थी, जो 2.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसम्बर, 2024 तक 196.22 लाख तक पहुँच गई है
- दिसम्बर, 2024 तक 43,965 गाँवों को विद्युत से जोड़ा गया है, जो शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

## राजस्थान में सौलर पंप और पावर प्लांट पहल

भारत सरकार की **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)** योजना को अपनाते हुए, राज्य में किसानों की मदद के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

**1. कम्पोनेन्ट-एः**

**प्रथम चरण:** केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-ए के तहत **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम** (आरआरईसीएल) द्वारा 33/11 किलोवॉट सब-स्टेशनों के 5 किमी.. की परिधि में स्थित किसानों की बंजर / अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्राप्त 623 सफल आवेदकों जिनकी कुल क्षमता 722.5 मेगावॉट है का चयन कर लिया गया है। दिसम्बर, 2024 तक 602 मेगावॉट क्षमता के 489 सौर ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) किये जा चुके हैं।

**द्वितीय चरण:** प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए का कार्यान्वयन, जिसे प्रारंभ में **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल)** द्वारा संचालित किया जा रहा था, 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया गया। इस चरण के तहत 1,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 28 अक्टूबर, 2024 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) ने ₹3.04 प्रति यूनिट की पूर्व निर्धारित स्तरित टैरिफ को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 30 अक्टूबर, 2024 को, सभी तीनों डिस्कॉम ने पीएम-कुसुम योजना के घटक ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है।

**पीएम 'कुसुम' घटक-बी** योजना अकेले सौर पंप (**3 एचपी से 10 एचपी तक**) की स्थापना का समर्थन करती है, जिसमें **7.5 एचपी** तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है। जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाएगा। किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।

**2. कम्पोनेन्ट-सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन)**

नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 4 दिसम्बर, 2020 को पीएम-कुसुम योजना के घटक सी के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसमें ग्रिड से जुडे सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो एक या एक से अधिक अलग-अलग कृषि फीडरों की वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपेक्स मोड या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। एमएनआरई ने 4,00,000 पम्प सेटों को सौर ऊर्जाकिरत करने का लक्ष्य स्वीकृत है।

- योजना के अन्तर्गत चयनित कुल सब-स्टेशन - 5,020
- सौर्यकरण हेतु लक्षित कृषि उपभोक्ता 14.21 लाख
- सोलर पावर प्लांट की लक्षित क्षमता 17,155 मेगावॉट

**3.घरों तक सौर ऊर्जा पहुँच का विस्तार**

भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने **300 यूनिट मुफ्त बिजली** प्रदान करना है। आवेदक अपना पंजीकरण एवं आवेदन "https://www.pmsuryaghar.gov.in" पोर्टल अथवा पीएम सूर्य घर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम **₹78,000** (3 किलोवॉट या उससे अधिक) का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिसम्बर, 2024 तक 22,657 उपभोक्ताओं के लिए 111.77 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

### नि:शुल्क बिजली से कृषि क्षेत्र सशक्त बनाना

"मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को **₹1,000 प्रति माह** (एक वर्ष में अधिकतम ₹12,000) का अनुदान प्रदान किया जा रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान) के साथ मिला दिया गया है, योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली माह जून 2023 से प्रदान की जा रही है। यदि प्रतिमाह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" के तहत उस माह विशेष में ₹1,000 प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जायेगी। वर्ष 2024-25 के (दिसम्बर, 2024 तक) दौरान कुल 18.59 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लगभग ₹16,709.24 करोड़ का अनुदान दिया गया है और लगभग 10.02 लाख कृषि उपभोक्ताओ को शून्य राशि के बिल जारी किए गए हैं।

### घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली लाभ

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली (शून्य बिल) प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का एक माह में 200 यूनिट तक विद्युत उपभोग हैं, तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर की बिल में छूट दी जाएगी। 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं को भी पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेंगी परन्तु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून, 2023 से दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के (दिसम्बर, 2024 तक) दौरान लगभग 95.79 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग ₹5,658 करोड़ (प्रावधानिक) का अनुदान प्रदान किया गया जिसमें से 62.10 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये हैं। वर्ष 2024-25 में कुल ₹7,940.42 करोड़ का अनुदान दिया गया।

## निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता से 2,786 मेगावाट बिजली प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में निजी सहभागिता से कुल 2.786 मेगावाट क्षमता बिजली विकसित की जा चुकी है।

### अक्षय ऊर्जा

**राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL)** राज्य में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की राज्य नोडल एजेंसी है एवं ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की एक राज्य नामित एजेंसी भी है।

**क. सौर ऊर्जा उत्पादन**

राजस्थान, जहाँ सौर विकिरण तीव्रता 6-7 किलोवाट घण्टे / वर्गमीटर / प्रतिदिन और वार्षिक 325 से अधिक सौर दिवस हैं, सौर ऊर्जा के लिए एक बड़ी क्षमता रखता है, जिसकी अनुमानित क्षमता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार 142 गीगावाट है। राजस्थान, जहाँ सौर विकिरण तीव्रता 6-7 किलोवाट घण्टे / वर्गमीटर / प्रतिदिन और वार्षिक 325 से अधिक सौर दिवस हैं, सौर ऊर्जा के लिए एक बड़ी क्षमता रखता है, जिसकी अनुमानित क्षमता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार **142 गीगावाट** है।

**ख. सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास**

राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड (आरआरईसीएल) का एक विशेष उद्देश्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा / सौर पार्कों के बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन विकास के लिए स्थापित की गई।

**सोलर पार्क कार्यक्रम :-**

**भड़ला**, जोधपुर में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| फेज | क्षमता (MW) | विकासकर्ता कम्पनी |
|---|---|---|
| **फेज-प्रथम** | 65 | राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (आरआरईसीएल की सहयोगी कम्पनी) |
| **फेज-द्वितीय** | 680 | राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) |
| **फेज-तृतीय** | 1,000 | आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड एवं सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूआरएजे) |
| **फेज-चतुर्थ** | 500 | मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड |

भड़ला सोलर पार्क-प्रथम फेज राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

एमएनआरई की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत पाँच सौर पार्कों का विकास चरणानुसार निम्नलिखित हैं:

| सोलर पार्क | क्षमता (मेगावाट) | विकासकर्ता कम्पनी | स्थिति |
|---|---|---|---|
| **फलोदी-पोकरण सोलर पार्क** | 750 | मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड | 450 मेगावाट चालू |
| **फतेहगढ़ चरण-आईबी** | 1,500 | मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड | 896 मेगावाट चालू |
| **नोख सोलर पार्क** | 925 | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) | 190 मेगावाट चालू |
| **पूगल सोलर पार्क** | 2,450 | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) | तीन चरणों में विकसित किया जाएगा |
| **बोडाना सोलर पार्क** | 2,000 | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) | जैसलमेर में विकसित किया जाएगा |

**ग. रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) मोड सोलर रूफ टॉप योजना**

आरआरईसी द्वारा रेस्को मोड के तहत राजकीय भवनों पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 1.2 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये किये जा चुके हैं।

**घ. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम):**

वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट में, राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर (आरटीएस) से स्थापित करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

**ङ. पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)**

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विण्ड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊँचाई (धरातल स्तर से) पर अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। राज्य में दिसम्बर, 2024 तक कुल 5,209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिसंबर, 2024 तक 1,690 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता चालू की गई है जिसमें 867 मेगावाट पवन क्षमता शामिल है।

**च. बॉयोमास ऊर्जा (जैविक द्रव्य ऊर्जा)**

बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है जिसके महत्त्वपूर्ण स्त्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल है। राज्य में दिसम्बर, 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बन्द हैं। वर्तमान में कुल 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने 29 सितम्बर, 2023 को 'बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023' जारी की है।

**छ. ग्रीन हाइड्रोजन**

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है। पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट से लाभ होगा। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन के लिए 70,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पंजीकृत की जा चुकी है।

## राजस्थान को जोड़ना: सड़क आधारभूत संरचना

राजस्थान में सड़क नेटवर्क ने उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है, जो वर्ष 1949 में 13,553 किलोमीटर से बढ़कर मार्च, 2024 तक 3,17,121 किलोमीटर हो गया है। मार्च, 2024 के अंत तक, राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किमी. प्रति 100 वर्ग किमी. तक पहुँच गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 165.24 किमी. प्रति 100 वर्ग किमी. (बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स 2018-19 के अनुसार)। मार्च, 2024 तक 39,408 गाँव सड़क से जुड़ चुके है, जो कुल गाँवों का 91.09 प्रतिशत है।

| क्रम संख्या | वर्गीकरण | लंबाई ( किमी.) |
|---|---|---|
| **1** | राष्ट्रीय राजमार्ग | 10790 |
| **2** | राज्य राजमार्ग | 17376 |
| **3** | मुख्य जिला सड़क | 14372 |
| **4** | अन्य जिला सड़क | 68265 |
| **5** | ग्रामीण सड़क | 206318 |
| **योग** | | **317121** |

ग्रामीण सड़क ⟶ अन्य जिला सड़क ⟶ राज्य राजमार्ग ⟶ मुख्य जिला सड़क ⟶ राष्ट्रीय राजमार्ग

**प्रधानमंत्री-जनमन योजना:** बाराँ जिले में 38 बिना जुड़ी हुई बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु 98.69 किमी. नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा, जिसकी कुल लागत ₹68.87 करोड़ निर्धारित की गई है।

**राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना-2:** इस परियोजना की कुल लागत ₹2,617.04 करोड़ है, जिसमें से ₹1,310.81 करोड़ का ऋण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से लिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) पर परिवहन दक्षता में सुधार करना है जिसमें सुरक्षा सुविधाएँ और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को भी शामिल किया गया है।

**राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट - 3:** ₹1,287.15 करोड़ की लागत से इस एडीबी-वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत 290 किमी. राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों व सुधार की योजना है। इस परियोजना को सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

### परिवहन

**राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC)**

निगम ने महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराये में छूट का दायरा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। निगम द्वारा विभिन्न नवीन मार्गों पर वातानूकूलित बसों का संचालन शुरू किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2024-25 से लोकतंत्र सेनानियों को बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है। निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार हेतु 58.61 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।

**योजना / कार्यक्रम एवं नवाचार**

- सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 26 जुलाई, 2024 को दस वर्षीय सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई।
- सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने आरकेसीएल के साथ मिलकर एक सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू किया।
- 1 अप्रैल, 2024 से पारंपरिक स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रणाली लागू की गई।
- 21 अगस्त, 2024 को जारी आदेशानुसार जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाकर जान बचाने वाले लोगों की मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया।
- राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 14 नवम्बर, 2024 को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत ₹200 करोड़ का ई-वाहन प्रमोशन कोष स्थापित करने का आदेश जारी किया गया।
- 24 जुलाई, 2024 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए "समाधान" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया।

**रेलवे**

राजस्थान में रेल कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में ₹9,959 करोड़ का आवंटन किया गया है। (2009-14 में आवंटन होने वाले प्रति वर्ष औसत बजट का लगभग 15 गुना) राजस्थान में कुल 5,703 रेल किलोमीटर (आरकेएम) रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है जो कि ब्रॉड गेज मार्ग का 97 प्रतिशत है है।

- अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य ₹4,500 करोड़ (लगभग) की लागत से प्रगति पर है। इस परियोजना में 13 प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है
- गाँधीनगर, जयपुर स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स के लिए 72x48 मीटर गर्डर लांचिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है जो भारतीय रेलवे में पहली बार हुआ है। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत गाँधीनगर जयपुर स्टेशन का 60 प्रतिशत पुनर्विकास कार्य और जयपुर स्टेशन का 40 प्रतिशत कार्य संपन्न हो चुका है
- राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें अजमेर-चंडीगढ़, जोधपुर-साबरमती, उदयपुर सिटी-जयपुर और उदयपुर सिटी-आगरा कैंट शामिल हैं।

**तकनीकी विकास और सुरक्षाः-** डीडवाना कुचामन जिले में गुढा-ठठाना मीठडी के बीच 64 किलोमीटर का नया ब्रॉड गेज समर्पित परीक्षण ट्रैक निर्माणाधीन है। इसके साथ ही, करीब 1,700 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच प्रणाली से सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए कवर किया जा रहा है। राजस्थान में 127 किलोमीटर के क्षेत्र में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है।

**यात्री सुविधाएँ:-** 438 स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधा का प्रावधान, इसके अलावा राजस्थान में स्थानीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए "एक स्टेशन-एक उत्पाद" योजना के तहत 142 स्टॉल और ट्रॉली स्थापित की गई हैं एवं डिजिटल भुगतान को सरल बनाने के लिए 603 स्थानों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है।

**डाक एवं दूरसंचार सेवाएँ**

नवम्बर, 2024 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 11,044 जबकि सितम्बर, 2024 तक कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 6.59 करोड़ थी।

## जल अवसंरचना

**अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)**

भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 योजना प्रांरभ की गई, जिसके अन्तर्गत सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक "हर घर नल" द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत, 1 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 33.33 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। अमृत 2.0 के अन्तर्गत राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति से सम्बन्धित ₹5,123.06 करोड़ के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के माध्यम से किया जायेगा।

**शहरी क्षेत्र में नल कूप एवं हैंड पम्प निर्माण:** राज्य के अधिकांश कस्बे पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल पर निर्भर हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्र में 159 ट्यूबवेल और 81 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं।

**ग्रामीण जल आपूर्ति**

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से जल समस्या का क्रमिक समाधान किया जा रहा है। 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2026 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है।

**जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन –**

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की वित्त पोषण हिस्सेदारी 50:50 प्रतिशत है। जल जीवन मिशन हेतु राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता कमेटी (एसडब्ल्यूएस), जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी (डीडब्ल्यूएसएम), एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन (वीडब्ल्यूएससी) क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग एजेंसी होगी। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना मिशन कार्यक्रम) एवं राज्य आयोजना मद से बजट उपलब्ध कराया गया है

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

**वृहद् पेयजल परियोजनाएँ**

राजस्थान में अनेक सतत् सतही जल संसाधन हैं, जिनमें शामिल हैं इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (5,719 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी (4,899 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे), बीसलपुर बाँध (3,109 ग्राम, 22 कस्बे), जवाई बाँध (811 ग्राम, 10 कस्बे), इत्यादि। इन जल संसाधनों का उपयोग राज्य में प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया गया है।

## बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विदेशों से वित्तीय सहायता देने वाले कुछ प्रमुख संगठनों के नाम इस प्रकार हैं: विश्व बैंक समूह, जापान अन्तर्राष्ट्रीय को-ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.), के.एफ. डबल्यू. (जर्मन एजेन्सी), न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) एवं एशियन आधारभूत निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेन्सियाँ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा-सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा आदि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

**वर्ष 2024-25:-** वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ में राज्य में 13 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ (ई.ए.पी.) क्रियान्वित की जा रही थी। इस अवधि के दौरान, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन (जेआईसीए) नामक एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है जो अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है। चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में ₹3,886.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 2024 तक ₹2167.93 करोड़ व्यय किए गए हैं।

**1. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (तृतीय चरण) (ए.डी.बी.)**

परियोजना के अन्तर्गत 12 शहरों में ₹3,930.45 करोड़ के कार्य किये जा रहे हैं। इनमें पाली, झुंझुनूँ, श्रीगंगानगर, टोंक में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य; भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़-पाटन, कोटा में सीवरेज कार्य तथा बाँसवाड़ा में ड्रेनेज कार्य शामिल हैं। तीसरे चरण के कार्यों के तहत 18 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

**2. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्रेंच-1) (ए.डी.बी.)**

इस परियोजना के अन्तर्गत 27 शहरों में कुल ₹3,076.63 करोड़ के कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से 14 शहरों में सिरोही, आबू रोड, सरदारशहर, बाँसवाड़ा, खेतड़ी, मंडावा, कुचामन में सीवरेज एवं जल आपूर्ति कार्य शामिल है, रतनगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनू, डीडवाना एवं मकराना में सीवरेज कार्य तथा लक्ष्मणगढ़ में जल आपूर्ति कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) कार्य 13 शहरों में ₹45.65 करोड़ की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं।

**3. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्रेंच II) (ए.डी.बी.)**

परियोजना के अन्तर्गत, ₹2,450 करोड़ की लागत के कार्य 16 शहरों में बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता के अनुसार सीवरेज, जल आपूर्ति, शहरी सौंदर्गीकरण, जल निकासी आदि के कार्य किए जाएँगे। इस परियोजना के तहत, ₹1,989 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, चतुर्थ चरण के कार्यों से 49.90 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

**4. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-1 (ट्रेंच II) (ए.डी.बी.)**

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,617.04 करोड़ है, जिसमें ए.डी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,310.81 करोड़ (190 मिलियन यू.एस. डॉलर) प्राप्त होंगे व ₹849.20 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएँगे एवं निजी शेयर के रूप में ₹457.06 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की जा चुकी है एवं मार्च, 2025 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य राजमार्गों पर परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करना है। इस परियोजना में लगभग 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) का दो-लेन या मध्यवर्ती-लेन मानकों के अनुसार निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, निगरानी, सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं को शामिल किया गया है और सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रभाग की परियोजना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाया गया है।

**5. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम (ट्रेंच - III) (ए.डी.बी.)**

यह परियोजना एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹1,287.15 करोड़ जिसमें से एडीबी के ऋण के रूप में ₹895.29 करोड़ एवं ₹391.86 करोड़ राज्यांश हिस्सा है। यह परियोजना दिसम्बर, 2022 से क्रियान्वित है एवं सितम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का उद्देश्य राज्य राजमार्गों पर यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्गों की सुरक्षा है। इस परियोजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ शामिल दो लेन या मध्यवर्ती-लेन मानकों के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के लगभग 290 कि.मी. के निर्माण, पुनर्वास, संचालन और रखरखाव एवं पी.डब्ल्यू.डी. पी.पी.पी. की परियोजना प्रबंधन क्षमता में वृद्धि, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं रोड सेफ्टी में सुधार करना है।

**कार्यान्वित / चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | वित्त पोषित संस्था | परियोजना अवधि | कुल परियोजना लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण-तृतीय) | एडीबी | नवम्बर, 2015 से मार्च, 2025 | 3930.45 |
| 2 | राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण-चतुर्थ) (ट्राँच-II) | एडीबी | जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2028 | 3076.63 |
| 3 | राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण-चतुर्थ) (ट्राँच-II) | एडीबी | अप्रैल, 2023 से मई, 2028 | 2450.00 |
| 4 | राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – प्रथम (ट्राँच-II) | एडीबी | दिसम्बर, 2019 से मार्च, 2025 | 2617.07 |
| 5 | राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – प्रथम (ट्राँच-III) | एडीबी | दिसम्बर, 2022 से सितम्बर, 2026 | 1287.15 |
| 6 | राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम – द्वितीय (ट्राँच-I) | विश्व बैंक | अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2024 | 2996.70 |
| 7 | राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना | जायका | अप्रैल, 2017 से मार्च, 2028 | 2294.30 |
| 8 | मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (ट्राँच-प्रथम व द्वितीय) | एन.डी.बी. | मई, 2018 से फरवरी, 2025 | 3291.63 |
| 9 | राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना- द्वितीय | के.एफ.डब्ल्यू. | नवम्बर, 2022 से अक्टूबर, 2026 | 984.32 |
| 10 | राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना | विश्व बैंक | जुलाई, 2018 से मार्च, 2025 | 275.69 |
| 11 | राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण-द्वितीय | जायका | जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2027 | 4765.31 |
| 12 | बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना-द्वितीय | विश्व बैंक | अप्रैल, 2021 से मार्च, 2027 | 503.02 |
| 13 | राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना | एफ.एफ.डी. | अप्रैल, 2023 से मार्च, 2031 | 1693.91 |
| 14 | राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन | जायका | अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2035 | 1774.30 |
| **योग** | | | | **31940.48** |

**6. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम II- ट्रेंच - 1 (विश्व बैंक)**

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,996.70 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा ₹893.63 करोड़ की राशि वहन की जायेगी एवं निजी अंश के रूप में ₹323.64 करोड़ प्राप्त होंगे। यह परियोजना अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हो चुकी है और दिसंबर, 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

क. 891 किमी. राज्य राजमार्गों को दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना।

ख. राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन।

ग. संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा उपायों और परियोजना प्रबंधन सहायता।

**7. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना- (जायका)**

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) की सहायता से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान के सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कुल 4.70 लाख हेक्टेयर योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) को पुर्नस्थापित करना है और इसे 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2028 तक 11 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के वित्त पोषण को दो ट्रेंच में बाँटा गया है:

**ट्रेंच -1:** ₹827.20 करोड़ (13,725 मिलियन येन) 31 मार्च, 2017 को हस्ताक्षरित।

**ट्रेंच -2:** ₹1,055.50 करोड़ (18,894 मिलियन येन) 29 मार्च, 2023 को हस्ताक्षरित।

यह परियोजना किसानों की जीवनशैली में सुधार और कृषि एवं सिंचाई में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के पुनर्निर्माण के जरिए पानी के उपयोग की दक्षता और कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। परियोजना को तीन प्रमुख चरणों में बाँटा गया है, जिनमें -चरण-1 के तहत 65 सिंचाई उप-परियोजनाएँ, चरण-2 के तहत 36 सिंचाई उप- परियोजनाएँ और चरण-3 के तहत 36 सिंचाई उप-परियोजनाएँ निर्धारित की गई हैं। परियोजना के तहत 937.36 करोड़ रुपये की लागत से कुल 73 सिंचाई उप-परियोजनाओं को मार्च, 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे परियोजना क्षेत्र के 2.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 20 से 30 साल पुराने बाँधों और नहरों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। इसके अलावा, 150 जल उपयोगकर्ता संघों की महिलाओं को 2.5 लाख पौधे वितरित किए जाएँगे। ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए, परियोजना क्षेत्र के 5-10 प्रतिशत हिस्से में सौर ऊर्जा से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जाएंगी।

**8. मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (ट्रेंच I व II) (एन.डी.बी.)**

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के चरण-1 के पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनूँ, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है। इसे 7 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में निष्पादित किया जाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषण एवं शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- इस परियोजना में रीलाइनिंग कार्य, जल भराव वाले क्षेत्र में लवणता और जलभराव की समस्याओं (एसईएम) का समाधान, जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) को मजबूत करना और आईएमटीआई / कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों का संस्थागत विकास कार्य किए जा रहे है।

- परियोजना के प्रथम चरण के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,037.25 करोड़) के ऋण अनुबंध पर 13 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए, जो 31 मई, 2018 से लागू किया गया। एनडीबी से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹726.60 करोड़) का दावा प्राप्त हुआ।
- परियोजना के दूसरे चरण के लिए 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2.254.38 करोड़ रुपये) के ऋण अनुबंध पर 29 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किए गए, जो 31 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया।

**9. राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना - II (के.एफ.डब्ल्यू.)**

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) ने राजस्थान के हनुमानगढ़, उदयपुर, डूँगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-2 (जीईसी-2) के तहत एक ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित की है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹984.32 करोड़ (आईडीसी सहित) और ₹880.92 करोड़ (आईडीसी को छोड़कर) है।

के.एफ.डब्ल्यू. ऋण समझौते पर 19 दिसंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए और 20 दिसंबर, 2022 को 49.88 मिलियन यूरो (₹414. 03 करोड़) के परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण ब्याज परिवर्तनीय ब्याज दर (6 महीने यूरिबोर 0.35 प्रतिशत प्रति वर्ष) पर है। "वित्तपोषण संरचना इस प्रकार हैः के.एफ.डब्ल्यू. से 47 प्रतिशत ऋण, केंद्रीय अनुदान का 33 प्रतिशत जो नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से प्राप्त हुआ, 20 प्रतिशत राज्य इक्विटी।

**10. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना (विश्व बैंक)**

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परियोजना (एसपीएफएम) को सुदृढ़ करने की कुल लागत 31 मिलियन यू.एस. डॉलर है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 21.7 मिलियन यू.एस डॉलर और राज्य सरकार द्वारा 9.3 मिलियन यू.एस डॉलर का योगदान दिया गया है। यह परियोजना जुलाई, 2018 में प्रभावी हुई और मार्च, 2025 तक पूर्ण की जानी है। एसपीएफएम परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (एसपीएफएम) को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन, सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में योगदान देना और राजस्थान सरकार में राजस्व प्रणाली और क्षमता को मजबूत करना है। परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढाँचे को मजबूत करना, व्यय और राजस्व प्रणाली को बढ़ाना, परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

**11. राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण- (जायका)**

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹4,765.31 करोड़ है। जिसमें जल जीवन मिशन (भारत सरकार का हिस्सा) ₹1,985.17 करोड़, राज्यनिधि (ग्रामीण) ₹577.14 करोड़, राज्यनिधि (शहरी) ₹28.35 करोड़ और जे.आई.सी.ए. ऋण ₹2,174.65 करोड़ है। परियोजना को जुलाई, 2021 से प्रभावी होकर दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण किया जाना है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के झुंझुनूँ और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं को स्थापित कर, ग्राम जल स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के क्षमता विकास के साथ-साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए योगदान मिलता है। परियोजना को 4 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया हैः झुंझुनूँ जिले के लिए 1 पैकेज और बाड़मेर जिले के लिए 3 पैकेज।

## 12. बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना-II (डीआरआईपी II) (विश्व बैंक)

राजस्थान में डेम पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) फेज-2 को विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के समर्थन से शुरू किया गया है जिसे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सुविधाजनक बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में चयनित बाँधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाना है, इसके लिए व्यापक योजना, प्रबंधन और पुनर्वास उपायों को लागू किया जाएगा।

- राजस्थान में 212 बड़े बाँध हैं, जिनमें से 189 बाँध डीआरआईपी फेज-2 और फेज-3 में शामिल किए गए हैं। परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है और प्रत्येक चरण की अवधि 6 वर्ष होगी जिनमें दो साल का ओवरलैप होगा।
- फेज-2 अप्रैल, 2021 से लागू हुआ है और मार्च, 2027 तक पूरा होगा। फेज-3 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा और मार्च, 2031 तक समाप्त होगा। फेज-2 के तहत 14 बाँधों के लिए पुनर्वास कार्य स्वीकृत किया गया है।
- 7 बाँधों पर कार्य पूर्ण हो चुका है, 2 बाँधों पर काम चल रहा है और 5 बाँधों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होनी बाकी है।

## 13. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (ए.एफ.डी.)

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (आरएफबीडीपी) एजेंसी फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) द्वारा समर्थित एक पहल है, जो वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक 8 वर्षों तक चलेगी। परियोजना की कुल लागत ₹1,693.91 करोड़ है, जिसमें ₹1,185.28 करोड़ एएफडी के ऋण योगदान के रूप में और ₹508.63 करोड़ राजस्थान राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं।

- यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों अलवर, बाराँ, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूँदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 800 गाँवों हेतु गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसका उद्देश्य राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण और पर्णपाती वन संसाधनों में वृद्धि करना है।
- आरएफबीडीपी का प्रमुख उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और वन संसाधनों का संवर्धन करना है ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके, जो समुदाय सशक्तिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

## 14. राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन - जायका

यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना लागत ₹1,774.30 करोड़ है जिसमें ₹1,493.20 करोड़ जायका का ऋण अंश और ₹281.10 करोड़ राज्यांश है। यह परियोजना अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है और मार्च, 2035 तक पूर्ण होने वाली है।

- विकास गतिविधियाँ राजस्थान के 19 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बाँसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूँ, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में क्रियान्वित की जायेंगी।
- सीआरईएसईपी के तहत कृषि-वानिकी कार्य, राज्य पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सशक्त करना, ओरण (पवित्र वन) संरक्षण, पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण आदि प्रमुख गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसका कुल बजट ₹43.54 करोड़ है।

## सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

### संस्थागत व्यवस्था

राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

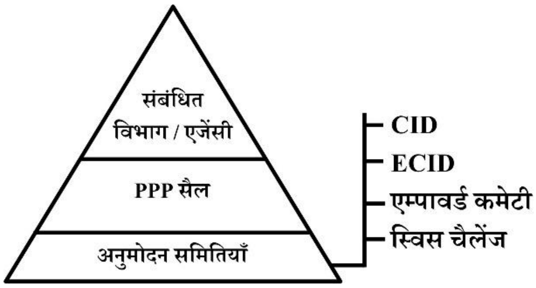


**1) अनुमोदन समितियाँ –**

**क) काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी)** :- विशेषकर सार्वजनिक-निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) का गठन किया गया है। सी.आई.डी विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा उन सभी पी.पी.पी. परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है, जिनकी परियोजना लागत विभाग की वित्तीय शक्तियों से बहार हैं या ₹500 करोड़ से अधिक है।

**ख) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई. डी)** :- राज्य सरकार द्वारा, सी.आई.डी के कार्यों के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी.) का भी गठन किया गया है। ई.सी.आई.डी. द्वारा सी.आई.डी. को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ सी.आई.डी. के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया जाता है। आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, सी.आई.डी एवं ई.सी.आई.डी. के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

**ग) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्टस् :-** राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आर.एस.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का पृथक से गठन किया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

**घ) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.)** :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधित) नियम-2015 के प्रावधानों के अनुसार स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। यह स्टेट लेवल कमेटी स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (पी.पी.पी. एवं गैर पी.पी.पी. दोनों) पर विचार व परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग है।

**2) पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी):** सार्वजनिक-निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007-08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। यह सैल पीपीपी से संबंधित उत्तम क्रियाविधियों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है। यह सी.आई.डी., ई.सी.आई.डी. एवं एस.एल.ई.सी. के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। पीपीपी सैल, आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव जो राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।

**3) संबंधित प्रशासनिक विभाग / एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी) -** राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग / एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मॉडेलिटी अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

### निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम

1) प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) का गठन पीपीपी मोड में बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर, 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।

2) रोड इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) का गठन राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में किया गया।

3) सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल) का गठन भड़ला (जोधपुर) में 1,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में किया गया।

4) एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) का गठन जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में किया गया।

5) अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) का गठन जैसलमेर और भड़ला (जोधपुर) में 2,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2015 में किया गया।

### परियोजना विकास कोष (PDF)

- वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट / बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF) के तहत केंद्रीय सहायता लेकर कर सकते है।
- भारत सरकार ने नवम्बर, 2022 में मौजूदा आईआईपीडीएफ को पुनर्गठित कर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में परिवर्तित किया है, जिसका कुल परिव्यय ₹150 करोड़ है। यह योजना वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है।
- आई.आई.पी.डी.एफ. योजना के तहत एकल प्रस्ताव (परियोजना लेन-देन सलाहकार / सेमिनार / कार्यशाला / व्यावसायिक सेवा व्यय आदि) के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ तक का वित्तपोषण किया जा सकता है। ₹5 करोड़ से अधिक की किसी भी वित्त पोषण आवश्यकता को परियोजना प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जा सकता है।

### वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना जारी की गई। पीपीपी प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन बड़े पूँजी निवेश की आवश्यकताओं, दीर्घकालीन समयावधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता आदि के कारण वाणिज्यिक रूप से सक्षम नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की "आधारभूत संरचना में पीपीपी को वित्तीय समर्थन के लिए योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

**पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित द्वारा भी सहायता मिली है: -**

**1) सड़क विकास नीति, 2013**

राजस्थान वर्ष 1994 में राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) 'आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था। वर्ष 2013 में सड़क विकास नीति को पुनः अद्यतन किया गया।

**2) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004**

राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 10 अगस्त, 2004 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल / डीजल की बिक्री पर ₹1 का उपकर (सेस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया। उपकर की दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

**3) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014**

राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ-साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए 29 अप्रैल, 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 बनाया गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 01.09.2023 से क्रियाशील हो गया है तथा वर्तमान में (31 मार्च, 2024 तक) 57 राज्य राजमार्गों का देखरेख इसके अधीन है।

**4) क्षमतावर्द्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)**

राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए, आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, उपापन और पोस्ट अवॉर्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने हेतु प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है।

आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशलन पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (एन.पी.सी.बी.पी.), राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया।

## एक सतत् भविष्य का निर्माण: हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता

भारत सरकार के सतत विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजस्थान राज्य ने सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से हरित बुनियादी ढाँचा को अपनाया है। राजस्थान में हरित बुनियादी ढाँचे का उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध-प्राकृतिक प्रणालियों के एक प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचाना है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करते हुए मरुस्थलीकरण से बचाव, जल प्रबंधन में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रहा है।

## राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल

- जुलाई, 2024 में, राज्य सरकार ने "मिशन हरियालो राजस्थान" के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसमें अगले पाँच वर्षों में ₹4,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के हरित क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करना है।
- रक्षित क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए, राज्य सरकार ने रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के पांडुपोल मंदिर में पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिवहन प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को होने वाली असुविधाओं को कम करना है।
- राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है और यह सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिनमें भड़ला सोलर पार्क शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है और जोधपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 2,245 मेगावाट है और जैसलमेर में पवन फार्म, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं।

- दिसंबर, 2024 में पेश की गई इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, जिसमें 90,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 25,000 मेगावाट पवन और हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं। यह नीति छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग के माध्यम से विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विकास शुल्क में कमीः अक्टूबर, 2023 में राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ता के लिए विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अधिक निवेश को आकर्षित करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करना है। इस संशोधित नीति में पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर और हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती तकनीकों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी शामिल हैं।
- जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना और अनिवार्य वर्षा जल संचयन जैसी सरकारी योजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम लागू किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए): यह प्रमुख कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पारंपरिक जलाशय पुनर्स्थापना के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अब तक इस अभियान से 4,200 से अधिक गाँवों को पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता में सुधार का लाभ प्राप्त हुआ है।
- राजस्थान वन्यजीव और जैव विविधता परियोजनाः यह परियोजना पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक वन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही यह पारिस्थितिकी पर्यटन और वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन को प्रोत्साहित करती है।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

अध्याय: 03 | जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि : शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास

## सतत् शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन

राजस्थान में शहरीकरण का रुझान राष्ट्रीय स्तर के समान ही रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का हिस्सा 1961 में 17.97 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गया। राजस्थान में भी इसी प्रकार का रुझान देखा गया, जहाँ राज्य की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गया।

**बच्चों की जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग)**

वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग समान होकर 106 लाख रही है। वर्ष 2001 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 52.39 प्रतिशत लड़के तथा 47.61 प्रतिशत लड़कियां थी जो वर्ष 2011 में परिवर्तित होकर क्रमश: 52.95 प्रतिशत 47.05 प्रतिशत रहे है।

### लिंगानुपात

**राजस्थान में वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर- 928**

| लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुष) | वर्ष 2001 | वर्ष 2011) | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| **शहरी क्षेत्र** | 890 | 914 | +24 |
| **ग्रामीण क्षेत्र** | 930 | 933 | +3 |

**उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले (2011)**

1. **टोंक** - 985
2. बांसवाड़ा - 964
3. **प्रतापगढ़** - 963
4. डूँगरपुर - 951
5. राजसमंद - 948

**न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले (2011)**

1. **जैसलमेर** - 807
2. **धौलपुर** - 864
3. **अलवर** - 872
4. गंगानगर - 878
5. भरतपुर - 887

**बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)**

**राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिंगानुपात- 888**

| बाल लिंगानुपात (प्रति 1,000 लड़के) | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| **शहरी क्षेत्र** | 887 | 874 | -13 |
| **ग्रामीण क्षेत्र** | 914 | 892 | -22 |

**उच्चतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले**

1. नागौर - 907
2. बीकानेर - 906
3. भीलवाड़ा - 904
4. बाराँ - 901
5. चूरू - 899

**न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले**

1. धौलपुर - 841
2. गंगानगर - 842
3. दौसा - 847
4. अलवर - 851
5. भरतपुर - 852

### साक्षरता दर

वर्ष 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि वर्ष 2001 में यह 60.40 प्रतिशत थी। क्षेत्रवार प्रदर्शन के संदर्भ में, शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70 प्रतिशत रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 61.40 प्रतिशत दर्ज की गई।

| क्र.सं. | सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले | साक्षरता प्रतिशत में | क्र.सं. | न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले | साक्षरता प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | 87.5 | 1. | नागौर | 70.6 |
| 2. | बाँसवाड़ा | 85.2 | 2. | जालोर | 71.1 |
| 3. | प्रतापगढ़ | 84.8 | 3. | चूरू | 72.6 |
| 4. | डूँगरपुर | 84.4 | 4. | धौलपुर | 72.7 |
| 5. | अजमेर | 83.9 | 5. | करौली | 72.8 |

**शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन**

| क्रमांक | अधिकतम शहरीकृत जिले | नगरीय जनसंख्या (%) | क्रमांक | न्यूनतम शहरीकृत जिले | नगरीय जनसंख्या (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोटा | 60.31 | 1. | डूँगरपुर | 6.39 |
| 2. | जयपुर | 52.40 | 2. | बाड़मेर | 6.98 |
| 3. | अजमेर | 40.08 | 3. | बाँसवाड़ा | 7.10 |
| 4. | जोधपुर | 34.30 | 4. | प्रतापगढ़ | 8.27 |
| 5. | बीकानेर | 33.86 | 5. | जालोर | 8.30 |

**राजस्थान में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन**

जनगणना-2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत है। कुल पलायन करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 49.16 प्रतिशत पुरूष काम / रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 59.11 प्रतिशत महिलाएँ वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

## सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार

राज्य में सात विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर), 10 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है।

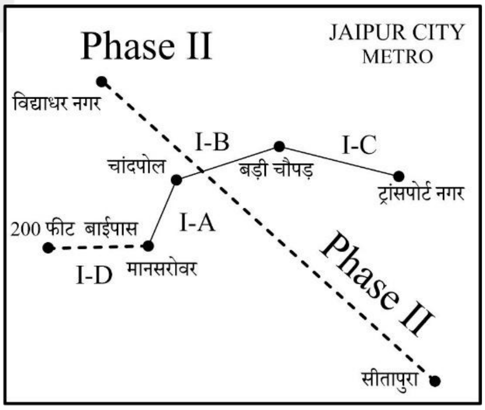


जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और राजस्थान के विकास प्राधिकरण शहरी विकास और बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। जयपुर मेट्रो का चरणबद्ध विस्तार, जिसमें कुल ₹18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है, शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने पर राज्य के ध्यान को दर्शाता है, जिसमें 1 बी जैसे उल्लेखनीय चरण शामिल हैं, जिसमें एशियाई विकास बैंक से ₹810 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया गया है।

**जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का चरणबद्ध विस्तार**

| फेज | विवरण | लागत | वित्तपोषण |
|---|---|---|---|
| **चरण-1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)** | संचालन 3 जून, 2015 से | ₹2,023 करोड़ | पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित। |
| **चरण-1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़)** | संचालन 23 सितंबर, 2020 से | ₹1,126 करोड़ | एशियाई विकास बैंक से ₹810 करोड़ ऋण, शेष राजस्थान सरकार द्वारा। |
| **चरण-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)** | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है। | ₹980.08 करोड़ | राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित है। |
| **चरण-1डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)** | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है। | ₹204.81 करोड़ | राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित एवं वित्तपोषित है। |
| **चरण-2** | सीतापुरा से विद्याधर नगर तक प्रस्तावित मार्ग | ₹14,000 करोड़ (संभावित) | भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 50:50 संयुक्त सहयोग की संभावना। |

**रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा):** आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) और रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया। रेरा का एक वेब पोर्टल rera.rajasthan.gov.in. है। परियोजनाओं और एजेंटों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन और सभी शिकायतें इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती हैं।

**आवास:** राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना था।

**मास्टर प्लान:** किसी भी शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान लगभग 20 वर्षों की अवधि में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। राजस्थान के 300 नगरपालिका शहरों में से 194 के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर सेल अलवर, भरतपुर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ और डीग जिलों में प्रशासन और स्थानीय निकायों को नियोजन के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता है। राजस्थान उप-क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), नई दिल्ली से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

## प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन

**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम)**

यह मिशन राजस्थान के 213 शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम के प्रमुख घटक, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, शहरी बेघरों के आश्रय की योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, अभिनव और विशेष परियोजनाएँ हैं।

**छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचे की विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)**

यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) में चयनित शहरों / कस्बों को छोड़कर सभी शहरों / कस्बों पर लागू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुरूप इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं में हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्रः राज्यः यू.एल.बी.) कर दी है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस.आई.सी.ओ.) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएँ और 1 जल आपूर्ति परियोजना सहित ₹646.24 करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

**राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड- द्वितीय (आर.यू.डी.एफ.II)**

राजस्थान शहरी विकास निधि-द्वितीय का गठन 25 अगस्त, 2021 को आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)/ वित्तीय संस्थानों / बैंक से ऋण प्राप्त करने, राज्य सरकार से विशेष/अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के प्रावधान के साथ किया गया है। सभी यूएलबी, विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार ट्रस्ट और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी इस फंड में योगदान देंगे।

**स्मार्ट सिटीज मिशन**

जून, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना है, जो बुनियादी ढाँचे की सुविधा, निवासियों को उच्च जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और शहरी विकास के लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग प्रदान करें। इस मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को विकसित करना था, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर ₹100 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य / यूएलबी के द्वारा बराबर योगदान किया जाता है। राजस्थान में, चार शहरों- जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चुना गया है। इस योजना में वित्त पोषण पैटर्न 50:30:10:10 ((केन्द्रःराज्यःस्थानीय निकाय:विकास प्राधिकरण) हैं।

**अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0)**

इस मिशन के अंतर्गत ₹3,552 करोड़ की केंद्रीय सहायता से सीवरेज, जल निकायों के पुनरुद्धार और जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जलापूर्ति के लिए 183 शहरी स्थानीय निकायों में ₹5,123.06 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 के तहत इन कार्यों का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के माध्यम से किया जायेगा। दिसम्बर, 2024 तक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टीसी.) द्वारा 170 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि शेष डीपीआर पीएचईडी स्तर पर तैयार की जा रही हैं।

**एल.ई.डी. लाईट परियोजना**

राज्य मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिए "एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट" प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि तथा विद्युत उपभोग मे कमी करना है। 191 स्थानीय निकायों में एलईडी लाईट लगाने का काम पूर्ण हो चुका है, दिसम्बर, 2024 तक राजस्थान में लगभग 12.02 लाख एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

**स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0**

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आई.एच.एच.एल), सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। राजस्थान में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है।

**स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0**

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को अक्टूबर, 2021 में पाँच साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसके प्रमुख घटकों में शौचालय निर्माण, सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल प्रबंधन और सूचना, शिक्षा, संचार और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

मिशन के तहत राजस्थान के लिए कुल आवंटन ₹1,770.27 करोड़ है। एसबीएम (यू) 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹1,789.25 करोड़ उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**

प्रदेश में 'लक्ष्य अंत्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय' की संकल्पना को साकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1,000 रसोईयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ व्यय कर प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ भोजन थाली परोस कर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इस पहल के तहत स्थायी रसोई में आम जनता को ₹8 रुपये प्रति प्लेट की रियायती लागत पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं। जिसमें राज्य सरकार ₹22 प्रति प्लेट का अनुदान देती है।

**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)**

आवास योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 लाख तक) तथा निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 से ₹6.00 लाख के बीच) के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए कुल 2,88,550 आवासों को स्वीकृति दी गई है। ये सभी आवास संबंधित विकास प्राधिकरणों, विकास ट्रस्टों, नगर निकायों और आवास बोर्डों द्वारा निजी भूमि पर ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किए गए हैं। समग्र रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 2,88,550 आवासों को स्वीकृति दी गई है। मिशन की अवधि दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गई हैं, जो अब दिसम्बर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

**राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि**

राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया था। उक्त निधि में वर्ष 2011-12 से 2024-25 (सितम्बर, 2024) तक कुल ₹74,82.77 करोड़ की राशि संग्रहित की गई है, जिसमें से दिसम्बर, 2024 तक ₹5,083.88 करोड़ व्यय किए जा चुके।

**मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना**

यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। परिवार जन आधार आईडी का उपयोग करके निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। दिसम्बर, 2024 तक 2,746 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹113.61 करोड़ का उपयोग किया गया है और 86.48 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। इस योजना में 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर महिलाएँ हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को दर्शाता है।

**राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) चरण-III**

पाली, झुंझुनूँ, श्रीगंगानगर और टोंक (सीवरेज और जलापूर्ति) के साथ-साथ भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़-पाटन, कोटा (सीवरेज) और बाँसवाड़ा (ड्रेनेज) में कुल 12 शहरों में ₹3,930.45 करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं। दिसम्बर, 2024 तक, इन परियोजनाओं पर ₹3,689.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। फेज-III के इन कार्यों से लगभग 1.8 मिलियन की आबादी को लाभ मिलेगा।

**राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) चरण IV ट्रेंच-I**

कुल ₹3,076.63 करोड़ की लागत से 14 शहरों में विभिन्न कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य शामिल हैं। 13 शहरों में ₹45.65 करोड़ की लागत से मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) के कार्य जारी हैं।

**आर.यू.आई.डी.पी. चरण IV ट्रेंच - II**

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) द्वारा वित्तपोषित आर.यू.आई.डी.पी. चरण IV के दूसरे चरण के अंतर्गत, 16 शहरों में बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए लगभग ₹2,450 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना में सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी सौंदर्गीकरण और मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस. एस.एम) जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

# समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता

## राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) राजीविका-

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई। यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा हैं।

इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं :-

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम)** को पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा हैं।
- राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में **राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एन.आर.ई.टीपी.)** क्रियान्वित की जा रही हैं।
- **वित्तीय संसाधनः** उपर्युक्त योजनाओं में भारत सरकार का योगदान 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है। राजीविका द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं:- संस्था निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका हस्तक्षेप और अभिसरण।

**माह दिसम्बर, 2024 तक की प्रमुख उपलब्धियाँ**

- वर्तमान में यह परियोजना राज्य के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है। 37,912 गाँवों में कुल 4.09 लाख स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं, जिससे 48.64 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- 6,047 महिलाएँ डिजिटल सखी (डीजी पे सखी) और 6,047 महिलाएँ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सखी (बीसी सखी) के रूप में कार्यरत हैं, जो वित्तीय वर्ष के दौरान ₹519.55 करोड़ के लेनदेन को संभाल रही हैं।
- 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बाराँ, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, और बूँदी जिलों में ₹41.89 करोड़ की लागत से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई हैं।
- कोटा और बाराँ जिलों में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए ₹17.39 करोड़ के निवेश से हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है।
- 8 जिलों (बाराँ, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर) में 461 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे 1,39,329 महिला सदस्य लाभान्वित हुई।
- उड़ान योजना के तहत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। पहले चरण में 29 लाख सेनेटरी पैड वितरित किए गए हैं।
- महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी योजना शुरू की गई है, जो पुलिस और आम जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। राजीविका एस.एच.जी. की 3.42 लाख महिलाओं को सुरक्षा सखी के रूप में पंजीकृत किया गया हैं।
- लखपति दीदी योजना के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब तक 528 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इन लखपति मास्टर ट्रेनरों ने 15,683 लखपति सी.आर.पी. को प्रशिक्षित किया हैं। वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 14.04 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

- विभिन्न सखी संवर्गों के लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज सखी मोबाइल एप लॉन्च किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा उत्पादित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग को विभिन्न स्तरों पर बिक्री बढ़ाने के लिए परिष्कृत किया गया हैं। इन उत्पादों के विपणन के लिए मिशन पंच रत्न पहल शुरू की गई हैं।
- मिशन पंच रत्न का उद्देश्य राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करना और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना हैं। पंच रत्न में शामिल हैं:- भौतिक स्टोर बिक्री, सरकारी खरीद, ऑनलाइन बिक्री, निर्यात संवर्धन और सेवा क्षेत्र में अवसर।

### मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण / विकास करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य 2,475 है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम एक एकड (0.4 हेक्टेयर) का तालाब क्षेत्र होगा।

### प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.)" की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास करना है। राज्य के बाराँ जिले की सभी 08 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन सहरिया परिवारों को ₹2.00 लाख आवास निर्माण हेतु एवं शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि ₹23,940 सहित कुल राशि ₹2.35 लाख प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन, सहरिया परिवार पात्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम-जनमन अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में बाराँ जिले की 8 पंचायत समितियों में सहरिया जनजाति के परिवारों का सर्वे कराकर 26,671 पात्र परिवार चिन्हित कर आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये गये।

### प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई. जी.)

योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) के समंकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि ₹12,000 देय है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है। व्यय राशि केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 60:40 अनुपात में वहन की जाती है।

### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

उद्देश्य- ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना। सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार है। कुल 1.27 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

## महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

- **अधिनियम :** वर्ष 2005
- **लागू :** 02 फरवरी, 2006
- **सम्पूर्ण देश :** अप्रेल, 2008
- **M.G नरेगा :** 02 अक्टूबर, 2009

**उद्देश्य-**

- ग्रामीणों को रोजगार
- आजीविका सुरक्षा
- काम करने के अधिकार की गारन्टी

**विशेषताएँ:**

**पात्र वयस्क** (स्थानीय ग्राम पंचायत निवासी)

**पंजीकरण** : 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड (निः शुल्क)

**आवेदन :** 15 दिन में रोजगार (यदि नहीं तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी ।)

**कार्य :** 5 कि.मी. परिधि, (यदि 5 कि.मी. से अधिक हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी)

**कार्यस्थल पर सुविधाएं**

- पीने का पानी
- शिशु पालना
- छाया
- प्राथमिक चिकित्सा

**महिला :** 1/3 (राजस्थान में 50%)

**भुगतान :** बैंक, डाकघर

**केंद्र :** राज्य (वित्त) = 90:10

**कार्य पर व्यय**

- मजदूरी - 60 : सामग्री - 40

**ग्राम सभा के कार्य**

- कार्य चयन
- वार्षिक कार्य योजना
- योजना प्रगति
- कार्य गुणवत्ता
- सामाजिक अंकेक्षण

### राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस.)

राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस.) के तहत मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा होने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत, बाराँ जिले में निवासरत सहरिया जनजाति परिवारों, उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों और राज्य के विशेष योग्यजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

### विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD)

उद्देश्य- स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। (कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश की जा सकती है।

### सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित राज्य सभा सदस्य राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। "गम्भीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र / राज्य के बाहर भी निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में पुनर्वास हेतु प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम ₹1.00 करोड़ तक की स्थाई परिसम्पत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है। सांसद द्वारा कार्य निष्पादन हेतु चयनित क्षेत्र को संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियाँ प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिवस में प्रदान की जाती है।

### मेवात क्षेत्र विकास योजना

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खैरथल तिजारा एवं डीग जिले के 14 खण्डों में बहुलता से निवास करते हैं। इस योजना में उपरोक्त जिलों के 807 गाँव सम्मिलित हैं। मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

### महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (एम.जी. जे.वी.वाई.)

माह फरवरी, 2020 में गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना (जीजीजेवीवाई) का नाम महात्मा गाँधी जन-भागीदारी विकास योजना किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत श्मशान / कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत राशि, अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत से अधिक एस.टी./एस.सी. आबादी वाले गाँवों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं शेष राशि का संग्रहण जनता से किया जाता है।

## डांग क्षेत्र विकास योजना

बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया। इस योजना में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बाराँ, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूँदी) के 2,192 गाँवों को शामिल किया गया है।

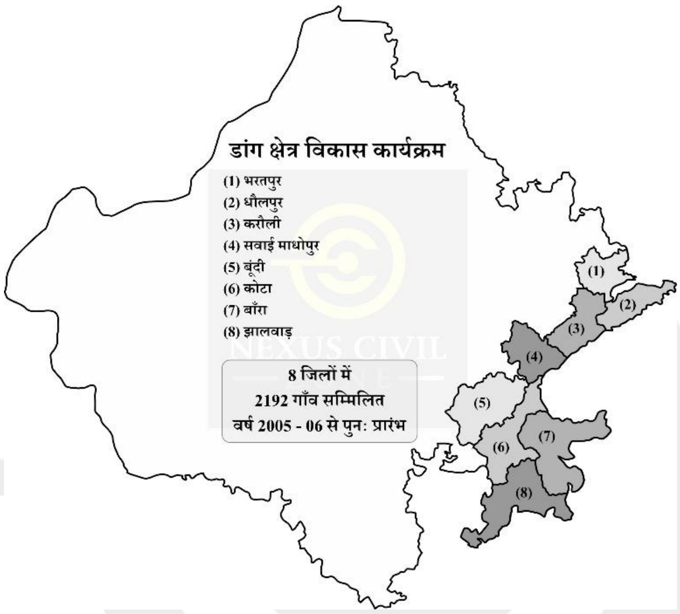


## मगरा क्षेत्र विकास योजना

राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है, स्थानीय रूप से 'मगरा' के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी। वर्तमान में यह उपर्युक्त जिलों के 1,746 गाँवों में क्रियान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

### बायो-फ्यूल प्राधिकरण

राज्य की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय फसलों की खेती के द्वारा जैव-ईंधन के उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य में बायोफ्यूल नीति की घोषणा के पश्चात् वर्ष 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019 लागू किया।

### राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड

वर्ष 2016 में राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड" किया गया। "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड" का पुर्नगठन 11 फरवरी, 2022 को किया गया। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया।

### सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार है। इन ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया जाता है।

## पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन

राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में किया था। 24 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-243 (जी) पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्त्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए। वर्तमान में 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समितियाँ और 11,194 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में हैं।

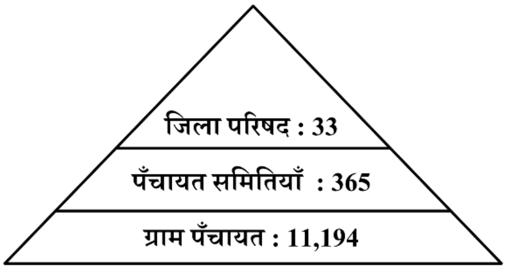


### पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान पन्द्रहवां वित्त आयोग

पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की है। षष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वितरित की जायेगी।

- 15 वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अन्तिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत बेसिक अनटाईड अनुदान एवं शेष 60 प्रतिशत बेसिक टाईड अनुदान के रूप में होगा। अनटाईड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय निकायों (पीआरआई) की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जा सकता है।
- पंचायती राज मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में जारी किया जायेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं।

## षष्टम राज्य वित्त आयोग

षष्टम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020-22 के लिए) में की गई अनुशंसाओं के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली कुल अनुदान राशि का वितरण इस प्रकार होगाः 55 प्रतिशत राशि आधारभूत और विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए, 5 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

| राज्य वित्त आयोग | |
|---|---|
| **आयोग** | अध्यक्ष |
| **पहला** | कृष्ण कुमार गोयल |
| **दूसरा** | हीरा लाल देवपुरा |
| **तीसरा** | मानिक चंद सुराणा |
| **चौथा** | डॉ. बी.डी. कल्ला |
| **पाँचवाँ** | डॉ. ज्योति किरण |
| **छठा** | प्रद्युम्न सिंह |

राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75 प्रतिशत हिस्सा, 2011 की जनगणना के आधार पर 75.1 प्रतिशत और 24.9 प्रतिशत के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरित किया जाए। इसके अलावा, यह राशि जिलेवार वेटेज के आधार पर वितरित की जाएगी, जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा। राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता प्रद्युम्न सिंह ने की, ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 21 सितंबर, 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को सौंपी थी।

## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान को 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जो पाँच वर्षों तक लागू रहेगा। एसबीएम-जी चरण II का मुख्य उद्देश्य गाँवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिससे गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके।

**<u>प्रगति एवं उपलब्धियाँ वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर, 2024 तक) :</u>**

**व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल):** एस.बी.एम एण्ड जी के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच. एच.एल.) की एक इकाई के निर्माण और उपयोग के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्रदान की जा रही है।

**सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.):** ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ ₹3.00 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान है।

**ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन:** गाँवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखा जा सके, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा गाँव को स्वच्छ बनाया जा सके।

**गोबर-धन परियोजना:** यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गाँवों को साफ करके तथा ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्रोत विकसित करना है। प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोबर-धन परियोजना स्थापित की जा रही है। वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में कुल 11 गोबर-धन परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं।

## पंचायत पुरस्कार

**राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार:** 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हस्तांतरित गतिविधियों के कार्यान्वयन करने मूल्यांकन और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के तहत, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

**राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विषय / श्रेणियाँ:** राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए जाएँगे, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार शामिल है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी में ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और स्थानीयकरण सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 9 विषयों पर आधारित कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही के लिए कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार भी दिए जाएँगे।

### पंचायत विकास योजना (पी.डी.पी.)

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। यह योजना ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के नियोजन की प्रक्रिया है, जिसमें जनसहभागिता के आधार पर ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्तावों को विशेष ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद, एक समन्वित कार्ययोजना तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

### स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस पर किया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन के माध्यम से राज्य के सभी गाँवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा। मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।

### श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी, 2024 से प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में प्रारम्भ की गई है। योजना के माध्यम से स्थानीय रुचि के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश के समस्त चिन्हित ग्रामीण कस्बों में किया जा रहा है।

- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत 891 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर के भोजन एवं अधिकतम 100 रात्रि भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभार्थी से प्रति थाली ₹8 लिए जा रहे हैं तथा प्रति थाली ₹22 राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
- प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम चावल / बाजरा खिचड़ी और अचार) की थाली परोसी जा रही है।

### राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) वर्ष 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में इसे "पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी अवधि मार्च, 2026 तक निर्धारित की गई है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण प्रावधान 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।

**विलेज मास्टर प्लान (वी.एम.पी)**

नियोजित विकास के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य के गाँवों के आवासीय क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक भूमि का आंकलन किया जाएगा। इस आकलन के बाद पटवारी की सहायता से भूमि की पहचान की जाएगी। गाँव का मास्टर प्लान वर्ष 2050 को ध्यान में रखते हुए, अगले 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा।

**ग्राम पंचायत भवन निर्माण**

ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि पर किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से सभी कार्यालयों को एक ही परिसर में लाने का प्रावधान है। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल चित्र और मानचित्र पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत ₹50 लाख हैं।

**पंचायत समिति भवन निर्माण**

वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सीमांकन किया, जिसके तहत 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया। नवसृजित 57 पंचायत समितियों के भवनों के निर्माण के लिए 56 पंचायत समितियों में भूमि आवंटित कर दी गई है और इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी जारी की गई हैं।

**अम्बेडकर भवन**

बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। एक अम्बेडकर भवन की अनुमानित लागत ₹50 लाख है।

वर्तमान में, 123 अम्बेडकर भवनों में से 113 का निर्माण पूरा हो चुका है, 7 कार्य प्रगति पर हैं और 3 कार्य न्यायालयीन स्थगन या विवाद के कारण रुके हुए हैं।

**"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम**

वर्ष 2024 में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त, 2024 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निजी आवासों, सरकारी/ गैर-सरकारी कार्यालयों आदि पर लगभग 63.53 लाख तिरंगा ध्वज फहराए गए।

**विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू भूखंड / पट्टा आवंटन अभियान**

2 अक्टूबर, 2024 को, राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू श्रेणियों के बेघर परिवारों को 17,156 भूखंड / पट्टे आवंटित किए। ये समुदाय अक्सर भूमि की कमी के कारण सरकारी आवास योजनाओं से वंचित रहते हैं।

**फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान (स्वच्छता और स्वास्थ्य)**

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की थीम पर "फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0" अभियान के नाम से प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में एकता रन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त अभियान की प्रगति भारतीय खेल पोर्टल (www.fitindia.gov.in) पर दर्ज की गई, जिसके अनुसार फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए देशभर में कुल 10,443 कार्यक्रम पंजीकृत किए गए, जिनमें से राजस्थान राज्य में कार्यक्रमों की संख्या 6,202 रही।

"फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0" अभियान में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

# समावेशी और सतत् ग्रामीण गैर-कृषि विकास को प्रोत्साहित करना

## राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

**राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)** की स्थापना नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी।

रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियाँ संचालित करता हैः- 1. चमड़ा, 2. ऊन एवं वस्त्र, 3. लघु खनिज।

राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। रूडा कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। तीज उत्सव, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के माध्यम से 105 कारीगरों, दीप उत्सव, नई दिल्ली के माध्यम से 12 कारीगरों और लोकरंग 2024 के दौरान जयपुर में राष्ट्रीय शिल्प बाजार के माध्यम से 340 कारीगरों को लाभान्वित किया गया है।

## राज्य आपदा मोचन निधि

1 अप्रैल, 2024 तक, राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) में ₹3,493.98 करोड़ की प्रारंभिक राशि थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कोष में ₹914.40 करोड़ जोड़े गए, जिसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान शामिल है।

- इससे कुल उपलब्ध राशि ₹4,408.38 करोड़ हो गई। इन निधियों का उद्देश्य राज्य में आने वाली किसी भी आपदा-संबंधी चुनौतियों का समय पर और कुशलता से समाधान सुनिश्चित करना है।
- राजस्थान ने अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिजली गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए 2,130 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई, जिसके लिए पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए ₹63.90 करोड़ आवंटित किए गए।
- राज्य ने जयपुर में 24 घंटे की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ई.आर.एस.एस. एण्ड 112) स्थापित की है, जिससे त्वरित आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। वर्ष 2024 के मानसून सत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए ₹373.52 करोड़ स्वीकृत किए गए और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता के लिए ₹1,595.83 करोड़ कृषि सब्सिडी के रूप में आवंटित किए गए।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

## अध्याय: 04 — सशक्त और समृद्ध कृषि

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में 26.92 प्रतिशत का योगदान है, जो कि इस क्षेत्र के अखिल भारतीय योगदान 17.77 प्रतिशत से अधिक है। स्थिर और प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जी.वी.ए. में निरंतर वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2011-12 के ₹1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹2.18 लाख करोड़ हो गया, जो स्थिर (2011-12) कीमतों पर 4.76 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।

### कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और वृद्धि

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) वर्ष 2020-21 के ₹1.87 लाख करोड़ से बढ़कर **वर्ष 2024-25 में ₹2.18 लाख करोड़** हो गया, जो स्थिर (2011-12) कीमतों **पर 3.94 प्रतिशत की वृद्धि** (सी.ए.जी.आर.) को दर्शाता है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का जी.वी.ए. वर्ष 2020-21 के ₹2.93 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹4.23 लाख **करोड़** हो गया। वर्ष 2024-25 में, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में 26.92 प्रतिशत है, जो कि वर्ष 2011-12 में 28.56 प्रतिशत था। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उप-क्षेत्रों में फसलें, पशुधन, मत्स्य, वानिकी एवं लॉगिंग शामिल हैं।

वृद्धि के सन्दर्भ में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.05 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई है।

**वर्ष 2024-25 (अनुमान) में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान और वृद्धि दर**

| कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्र | प्रचलित कीमतों पर योगदान | स्थिर (2011-12) कीमतों पर वृद्धि दर |
|---|---|---|
| **फसल** | 46.17% | 4.73% |
| **पशुधन** | 46.77% | 5.43% |
| **वानिकी** | 6.56% | 3.76% |
| **मत्स्य** | 0.51% | 25.89% |

वर्ष 2024-25 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹1.95 लाख करोड़ रहा है। राज्य में खरीफ फसलों में बाजरा, मूँगफली और मूंग प्रमुख फसल है जबकि रबी फसल क्षेत्र की आय में गेहूँ, सरसों एवं चना का प्रमुख योगदान रहा है।

वर्ष 2024-25 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹1.98 लाख करोड़ रहा, जो कि फसल क्षेत्र से भी अधिक है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध प्रमुख योगदान करता है। इसके अतिरिक्त, पोल्ट्री /अंडा क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाने की संभावना है।

**समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न**

वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल रिपोर्ट की गई भूमि 342.74 लाख हेक्टेयर रही, जिसमें से 53.10 प्रतिशत शुद्ध बुवाई क्षेत्र है। भू-उपयोग सांख्यिकी 2023-24 (प्रावधानिक):

- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल – 53.10%
- चालू पड़ी भूमि – 5.05%
- अन्य चालू पड़ी भूमि – 5.72%
- बंजर भूमि – 10.26%
- वृक्षों के झुंड तथा बाग – 0.11%
- स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि – 4.81%
- ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि – 6.89%
- कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि – 5.93%
- वानिकी – 8.13%

## प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों में कमी हुई है। बड़े आकार की भू-जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

- वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।
- कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

### महिला प्रचालित जोत धारक

| राजस्थान में महिला प्रचालित भूमि जोतें | 2010-11 | 2015-16 | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|
| **महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या (लाख में)** | 5.46 | 7.75 | 41.94% |
| **महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)** | 13.30 | 16.55 | 24.44% |

## प्रमुख फसलों का उत्पादन और उत्पादकता

राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को मुख्य रूप से खरीफ फसलें (जैसे बाजरा, मक्का, मूँगफली, कपास), रबी फसलें (जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, चना) और नकद फसलें व मसाले (जैसे ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 267.67 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 241.86 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 10.67 प्रतिशत अधिक है।

गन्ने का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 3.63 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.40 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 21.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में कपास का उत्पादन 18.45 लाख गांठें उत्पादित होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2023-24 में यह उत्पादन 26.21 लाख गांठें था, जो कि 29.61 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

## प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति

वर्ष 2022-23 में, राजस्थान देश में राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान, मूँगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा ज्वार, चना, कुल दलहन एवं सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है।

## कृषि वृद्धि के प्रेरक तत्व

### बीज

राजस्थान में राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL) गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी है। वर्तमान में आर.एस.एस.सी.एल. के पास 22 बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, जिनकी कुल प्रसंस्करण क्षमता 12.58 लाख क्विंटल प्रति वर्ष और भंडारण क्षमता 10.21 लाख क्विंटल है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी (RSSOCA) उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और जैविक उत्पादों के प्रमाणन का कार्य करती है। यह एजेंसी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, किसानों का समर्थन करने, फसल उत्पादकता सुधारने और बाजार तक पहुँच को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना:-** किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजनान्तर्गत गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मौठ एवं उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2024-25 के खरीफ और रबी सीजन के दौरान हाल ही में जारी नई किस्म के कुल 31.59 लाख बीज मिनी-किट महिला किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

**उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य**

- वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में 3,40,153 मृदा नमूने एकत्रित किए गए तथा 3,14,543 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को जारी किए गए।
- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्य सरकार किसानों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो-उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में 'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) का उत्पादन कर सकें। राजकिसान पोर्टल पर 28,638 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- **कृषि क्लीनिक:** किसानों को मृदा परीक्षण, फसलों की जानकारी तथा कीट / रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 20 तथा वर्ष 2025-26 में 13 क्लीनिक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य के लिए ₹21.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- **नमो ड्रोन दीदी योजना:** इस योजना के तहत 1,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं सतत सहयोग प्रदान किया जाएगा। राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹18.02 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

**सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास**

राज्य में कुल 42,283 पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 23 संघ, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक दुकानें, 8,592 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ और 278 विपणन तथा फल एवं सब्जी समितियाँ शामिल हैं। वर्तमान में, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक एवं 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 28 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.), 1 वृहद् आदिवासी बहुउद्देशीय समिति (LAMPS) तथा 15 महिला बहुउद्देशीय समितियों के गठन की अनुमति दिसम्बर, 2024 तक प्रदान की गई है।

**महिला सहकारिता-** सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ₹15.00 लाख की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2024-25 में स्वयं सहायता समूहों के नेताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ₹10 लाख आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में 947 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं, जिससे इन समितियों के माध्यम से 8.70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।

**राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना-** इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरों, गैर-कृषि गतिविधियों से आजीविका चलाने वाले ग्रामीण परिवारों के सदस्यों तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

**सहकारी किसान कल्याण योजना-** इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक किसानों की कृषि ऋण एवं फसली ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि एवं सम्बद्ध कृषि प्रयोजनों हेतु अधिकतम ₹10.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराते हैं।

**कृषि उपज गिरवी ऋण योजना-** कृषकों को कृषि उपज गिरवी रखने पर 3 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

**कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ.) के अंतर्गत 3 प्रतिशत तक ब्याज सहायता -** केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किसानों के लिए फार्म गेट अवसंरचना तैयार करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा 15 मई, 2020 को की गई थी। ए. आई.एफ. के अंतर्गत ₹2.00 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता दी जाती है।

### फसल बीमा

किसानों को फसल के नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ वर्ष 2016 से लागू की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन और वाणिज्यिक / बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ फसलों, रबी फसलों और वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए किसान प्रीमियम क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक श्रमिकों को प्रीमियम सब्सिडी और प्रोत्साहन के भुगतान के लिए एक राज्य-पोषित योजना चल रही है।

## जल संसाधन

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है, जिसमें 101 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। अपने आकार के बावजूद, इसे देश के जल संसाधनों का केवल 1.16 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। वर्ष 2024 में मानसून समय पर, 25 जून तक आ गया और जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य को कवर कर लिया। 1 जून से 30 सितंबर, 2024 तक वास्तविक वर्षा 662.44 मिमी. थी, जो सामान्य वर्षा 417.46 मिमी. से 58.68 प्रतिशत अधिक थी। इस अवधि के दौरान वर्षा राज्य के सभी जिलों में सामान्य से अधिक थी।

### सिंचाई

राजस्थान में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, ट्यूबवेल, खुले कुओं एवं तालाबों और अन्य स्रोतों से होती है। कुल सिंचित क्षेत्र 95,47,292 हेक्टेयर है। वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान की सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए 7 प्रमुख परियोजनाएँ (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, नवनेरा बैराज, उच्च स्तरीय नहर-माही, पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर, कालीतीर लिफ्ट), 6 मध्यम परियोजनाएँ (गरड़दा, टाकली, गागरीन, ल्हासी, हथियादेह, अंधेरी) एवं 40 लघु सिंचाई योजनाएँ प्रगति पर हैं।

### संशोधित पार्बती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ई.आर.सी.पी.)

**संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल परियोजना (एकीकृत ई.आर.सी.पी.)** में कुनू, कुल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदी उप-बेसिन से अधिशेष मानसून जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी उप-बेसिन में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 17 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे लगभग 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 2,51,000 हेक्टेयर नई कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करके और 1,52,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करके कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाएगी।

**चरण-1ए**

संशोधित पी.के.सी. लिंक योजना (एकीकृत ई.आर.सी.पी.) के प्रथम चरण में नवनेरा बैराज का निर्माण हाल ही में पूरा हो गया है। ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत हो चुका है तथा इसे जून, 2025 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

- पेयजल हेतु नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा (एन.जी.बी.आई.) लिंक परियोजना की वर्ष 2022-23 में अनुमानित लागत ₹14,200 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की गई है। इस कार्य में कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण तथा रामगढ़ बैराज से महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज से गलवा बाँध, बीसलपुर बाँध एवं ईसरदा बाँध में पानी पहुंचाने के लिए नहर प्रणाली / पम्पिंग स्टेशन / पाइपलाइन का निर्माण शामिल है।

- कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण तथा कुल, पार्वती और कालीसिंध नदी में उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग करने के लिए ₹9,416.70 करोड़ की लागत से तीन (03) पैकेजों में कार्य आवंटित किया जा चुका है तथा 25 जून, 2024 को समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

**पैकेज 1**

रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा पंप हाउस, डिलीवरी सिस्टर्न तक राइजिंग मेन और डिलीवरी सिस्टर्न का निर्माण और 20 वर्षों की अवधि के लिए इसके संचालन और रखरखाव 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल' पर, राजस्थान के बाराँ और कोटा जिलों में किया जाएगा।

**पैकेज 2**

नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के जलमग्न क्षेत्र तक, चम्बल नदी को पार करने के लिए एक्वाडक्ट के निर्माण सहित, सभी संरचनाओं के साथ फीडर का निर्माण और 20 वर्षों की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल' पर राजस्थान के कोटा और बूँदी जिलों में किया जाएगा।

**पैकेज 3**

मेज एनीकट पर इंटेक के साथ पंप हाउस, राइजिंग मेन, डिलीवरी सिस्टर्न, टनल और गलवा डेम के जलमग्न क्षेत्र तक फीडर ड्रेन का निर्माण, गलवा में हेडवर्क, गलवा नदी का संशोधन, गलवा नदी के किनारे पंप हाउस का निर्माण और बीसलपुर जलमग्न क्षेत्र तक फीडर के लिए डिलीवरी सिस्टर्न तक राइजिंग मेन का निर्माण, 20 वर्षों की अवधि के लिए इसके संचालन और रखरखाव 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल' पर राजस्थान के बूँदी और टोंक जिलों में किया जाएगा।

**चरण-1बी**

वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में निम्नलिखित कार्यों की घोषणा की गई:

(1) मेज बैराज-बूँदी, डूंगरी बाँध और राठौड़ बैराज-सवाई माधोपुर के कार्य और उनका परिवहन प्रणाली (2) ईसरदा बाँध से रामगढ़ बाँध-जयपुर, जवानपुरा धाबाई बाँध-शाहपुरा और बुखारा बाँध (3) डूंगरी बाँध से अलवर जलाशय (4) बीसलपुर बाँध से मोर सागर अजमेर तक (5) डूंगरी बाँध से बंध बरेठा से सुजान गंगा तक- भरतपुर लिंक।

## इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.)

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लिए गए निर्णय के अनुसार, नहर कार्यों को पूरा कर 16.17 लाख हेक्टेयर (चरण-प्रथम में 5.46 लाख हेक्टेयर और चरण-द्वितीय में 10.71 लाख हेक्टेयर) कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (सी.सी.ए.) में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। वर्तमान में चौधरी कुम्भा राम आर्य लिफ्ट योजना के तहत 0.10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सी.सी.ए. में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 6 नई नहरों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना द्वितीय चरण (प्रवाह क्षेत्र) में नहरों के निरंतर उपयोग से नहरें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप पानी का अत्यधिक नुकसान हो रहा है, इसलिए नाबार्ड के कोष से नहर प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की परियोजनाएँ प्रगतिरत हैं। इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अपनी शुरुआत से लेकर अब तक कुल 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

इस योजना का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। इसमें हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी पहलों को शामिल किया गया है, जो सतत सिंचाई प्रथाओं तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हैं, ताकि दीर्घकालिक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

**जल ग्रहण विकास घटक-पीएमकेएसवाई 2.0**

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 और 2022-23 में ₹1,858.85 करोड़ की लागत से 30 जिलों को कवर करते हुए 7.50 लाख हेक्टेयर के उपचार के लिए 149 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

**मरम्मत, नवीनीकरण पुनर्स्थापन योजना (आरआरआर)**

यह योजना जनवरी, 2005 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से छोटे जल संरचनाओं की मरम्मत और सुधार के लिए शुरू की गई थी, जो 60:40 वित्त पोषण पैटर्न पर आधारित थी। वर्ष 2017-18 में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बना दिया गया।

**आर.आर.आर. के अन्तर्गत संचालित परियोजनाएँ:** वर्तमान में राज्य में 37 जल निकायों के कार्य ₹124.71 करोड़ की स्वीकृत लागत (केंद्र का हिस्सा ₹74.83 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹49.88 करोड़) के साथ क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएँ 14 जिलों यथा अजमेर, बाराँ, बूँदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूँगरपुर, जयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में संचालित होंगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 7.484.17 हेक्टेयर सिंचित कमांड क्षेत्र (सी.सी.ए.) को पुनर्जीवित किया जाएगा।

**पीएमकेएसवाई का सूक्ष्म सिंचाई घटक:**

सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकें जल प्रबंधन की सबसे कारगर पद्धतियाँ हैं। इस प्रणाली को अपनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए, विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सामान्य किसान 70 प्रतिशत (27 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा, 18 प्रतिशत राज्य हिस्सा और 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य हिस्सा) सब्सिडी के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / लघु और सीमांत किसान 75 प्रतिशत (22-33 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा, 18-22 प्रतिशत राज्य हिस्सा और 20-30 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य हिस्सा) सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

**पीएमकेएसवाई की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजना**

गंग नहर परियोजना चरण-द्वितीय पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकता वाले कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अन्तर्गत ₹341.53 करोड़ की लागत से 1,17,975 हेक्टेयर में पक्के जलमार्ग का निर्माण पूर्ण किया जाना है।

**प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम 'कुसुम') घटक 'बी'**

पीएम 'कुसुम' घटक-बी योजना अकेले सौर पंप (3 एचपी से 10 एचपी तक) की स्थापना का समर्थन करती है, जिसमें 7.5 एचपी तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है। जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।

- इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाएगा। किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।

**मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (एमजेएसए 2.0)**

राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी, 2024 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है। अगले चार वर्षों में एमजेएसए 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गाँवों में 5,00,000 जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

**राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आरडब्ल्यूएसएलआईपी)**

इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना तथा राज्य में कृषि और सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा समर्थित यह परियोजना तीन चरणों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण पर केंद्रित हैः चरण 1 (65 उप-परियोजनाएँ), चरण 2 (36 उप-परियोजनाएँ) और चरण 3 (36 उप-परियोजनाएँ)।
- यह परियोजना 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2028 तक 11 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आरडब्ल्यूएसएलआईपी) के तहत कुल 4.70 लाख हेक्टेयर सीसीए का उपचार किया जाएगा।
- परियोजना की कुल लागत ₹2,294.30 करोड़ है, जिसमें से जेआईसीए ₹1,882.70 करोड़ प्रदान कर रहा है और राज्य का योगदान ₹411.60 करोड़ है। जेआईसीए के साथ ऋण समझौते पर 29 मार्च, 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे।

**बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)**

विश्व बैंक और एआईआईबी (एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक) की सहायता से केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से राज्य में बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-द्वितीय शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य नियोजन, प्रबंधन और पुनर्वास के माध्यम से राज्य में चयनित बाँधों की सुरक्षा बढ़ाना और जोखिम-सूचित बाँध सुरक्षा प्रबंधन शुरू करके बाँध सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करना, बाँध सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए स्थायी तंत्र स्थापित करना, संस्थागत ढाँचे को बढ़ाना है। परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया जाएगा, जिसकी कुल अवधि 10 वर्ष होगी। प्रत्येक चरण 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की ओवरलैपिंग अवधि होगी। राज्य के कुल 212 बड़े बाँधों में से 189 बाँधों को प्राथमिक रूप से इस डीआरआईपी-II और III में चुना गया है।

**रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (आरडब्ल्यूएसआरपीडी)**

इस परियोजना का उद्देश्य इंदिरा गाँधी नहर प्रणाली का पुनर्वास करना है ताकि रिसाव को रोका जा सके, जल संरक्षण किया जा सके। परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई घटक भी शामिल किया गया है। यह परियोजना 7 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है, जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी और शेष 30 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से जुटाई जाएगी।

- **चरण 1:** ₹1,037.25 करोड़ की लागत वाली परियोजना के पहले चरण के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर 13 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। विभाग ने इंदिरा गाँधी फीडर और मुख्य नहर के लिए नवीनीकरण और वितरण प्रणाली का काम पूर्ण किया गया।
- **चरण 2:** दूसरे चरण के लिए 29 जुलाई, 2022 को एनडीबी के साथ ₹2,254.38 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस चरण में इंदिरा गाँधी फीडर और मुख्य नहर की लाइनिंग और नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

**राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना**

### अ. सिंचाई

यह परियोजना भारत सरकार (विश्व बैंक परियोजना) के जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवित विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना की कुल लागत ₹134.00 करोड़ (भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान) है और यह वर्ष 2016 से सितंबर, 2025 तक चलेगी।

- राज्य में 321 सतही जल और 150 भू-जल स्टेशनों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। 169 स्वचालित वर्षा गेज, 143 स्वचालित जलस्तर गेज और 25 स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की गई है।
- राज्य के 7 बाँधों पर स्काडा प्रणाली स्थापित की गई है, जिनमें बिसलपुर, माही, गुड़ा, जवाई, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बाँध, छापी और 2 नहरें, अर्थात गंगा-भांखड़ा नहर प्रणाली और नर्मदा नहर प्रणाली शामिल हैं। राजस्थान राज्य जल सूचना केंद्र (एस.डब्लयू.ए.सी.सी) को आईटी आधारित सिंचाई भवन में प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया है।

**ब. भूजल**

यह परियोजना भारत में जल संसाधन जानकारी को बेहतर बनाने और जल प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इसे विश्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक है। राज्य के लिए इस परियोजना की कुल लागत ₹140.33 करोड़ है। इस योजना के अन्तर्गत, भू-जल विभाग ने डेटा संग्रहण, आदान-प्रदान, विश्लेषण और प्रचार के लिए एक व्यापक निगरानी प्रणाली विकसित की है। इस योजना में 705 पीजोमीटर का निर्माण, 150 टेलीमेट्रिक डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर्स की स्थापना, रासायनिक प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद और आवश्यक भवनों का निर्माण शामिल है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में रासायनिक प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण, यंत्र और रसायन प्रदान किए गए हैं।

**अटल भू-जल योजना**

अटल भू-जल योजना एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम है, जो अप्रैल, 2020 से मार्च, 2025 तक लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर भू-जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर भू-जल स्तर में गिरावट को रोकना है। सहभागिता जल सुरक्षा योजना और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी की तैयारी कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1,132 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है। राजस्थान राज्य के लिए 5 वर्षों के लिए ₹1,189.65 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान है।

**परवन वृहद् परियोजना**

परवन वृहद् परियोजना को राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी पर प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के तहत, झालावाड़, बाराँ और कोटा जिलों के 637 गाँवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सी.सी.ए. में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी और 1,402 गाँवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सम्पूर्ण सिंचित भूमि को पानी के उचित उपयोग के लिए स्काडा नियंत्रित प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से सिंचित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित सोलर पावर प्लांट से की जाएगी।

**नवनेरा बैराज (ईआरसीपी)**

कालीसिंध नदी के ऊपर कोटा जिले के पास एक बैराज का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना ईआरसीपी का एक अभिन्न हिस्सा होगी। बैराज का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पानी पूर्ण स्तर आर एल 217.00 मीटर तक भर चुका है और बैराज के गेट्स का क्षमता परीक्षण 8 सितंबर, 2024 से 12 सितंबर, 2024 तक पूर्ण कर लिया गया है।

**धौलपुर लिफ्ट**

धौलपुर जिले में लगभग 39,980 हेक्टेयर सीसीए में सिंचाई प्रदान करने के लिए माइक्रो इरीगेशन सिस्टम पर आधारित एक पूर्ण लिफ्ट इरीगेशन और पेयजल परियोजना की अवधारणा की गई है, जिसमें सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में अनिवार्य माइक्रो इरीगेशन और 30 मेगावॉट सौर पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना शामिल है, जो वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूर्ण करेगा।

**कालीतीर लिफ्ट**

यह परियोजना मुख्य रूप से धौलपुर जिले के 483 गाँवों और 3 शहर (बाड़ी, बसेडी, सरमथुरा) के लिए पीएचईडी द्वारा पेयजल की मांग को पूर्ण करने के लिए तैयार की गई है, जो पार्वती और रामसागर बाँध से पानी प्राप्त करेंगे।

**नर्मदा नहर परियोजना**

यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसमें जलोढ़ और बाड़मेर जिलों के 233 गाँवों में फैले 2.46 लाख हेक्टेयर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। यह परियोजना लगभग 37.48 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, जिसमें 1,541 गाँव (जालोर जिले में 667 और बाड़मेर जिले में 874) और 3 शहर यथा जालोर, भीनमाल और सांचौर शामिल हैं। मार्च, 2024 तक 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है।

**ऊपरी उच्च स्तर नहर (माही)**

इस परियोजना के तहत, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें लगभग 105 किलोमीटर मुख्य नहर और वितरण प्रणाली के माध्यम से 'सैडल' बाँध संख्या 1 से पानी दिया जाएगा। यह सिंचाई सुविधा राजस्थान के बाँसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्रों के 338 गाँवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की कुल लागत ₹2,500 करोड़ है।

**पिपलखूंट उच्च स्तर नहर परियोजना**

इस परियोजना के अन्तर्गत पिपलखूंट तहसील के 16 गाँवों के 5,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही माही बाँध के दाहिने छोर से जल को 3.72 टीएमसी की मात्रा में जाखम बाँध में मोड़ा जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹2,000 करोड़ है।

**सरहिन्द फीडर और इंदिरा गाँधी फीडर (पंजाब हिस्सा)**

इन्दिरा गाँधी फीडर (पंजाब भाग) एवं सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग कार्य तीन वर्किंग सत्र प्रतिवर्ष 70 दिवस का क्लोजर रखते हुए जून, 2022 तक पूर्ण किया जाने के लिए 23 जनवरी, 2019 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, इंदिरा गाँधी फीडर (पंजाब भाग) की रीलाइनिंग के लिए 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वहीं, सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग के लिए पंजाब और राजस्थान का अंशदान क्रमशः 54.15 प्रतिशत और 45.85 प्रतिशत रहेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत, इंदिरा गाँधी फीडर में 97.00 किलोमीटर और सरहिन्द फीडर में 100.00 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग की जाएगी। समझौते के अनुसार, इंदिरा गाँधी फीडर के रीलाइनिंग के लिए हर साल 70 दिनों की नहर बंदी ली जाकर कार्य निष्पादित करवाये जाएँगे।

**यमुना जल समझौता**

यमुना जल पर मई, 1994 के समझौते अनुसार अपर यमुना रिवरबोर्ड द्वारा ताजेवाला हैड (हथिनीकुंड बैराज) पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में 1917 क्यूसेक (वार्षिक 577 एम.सी.एम) जल राजस्थान को आवंटित किया गया। 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत यह सहमति बनी कि ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) से पानी को सीकर, चूरू, झुंझुनूँ और राजस्थान राज्य के अन्य क्षेत्रों में भूमिगत परिवहन प्रणाली के माध्यम से लाया जाएगा।

## राजस्थान में उद्यानिकी

**राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)**

फलों, मसालों और फूलों जैसे विभिन्न उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, यह योजना राज्य के चयनित 31 जिलों में लागू की जा रही है। फलों के बागों की स्थापना 1,287 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई, 3.23 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीनहाउस बनाए गए, 47 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग की गई, 3 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट्स स्थापित की गई हैं, 524 कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएँ, 5 पैक हाउस और 43 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण दिसम्बर, 2024 तक किया गया हैं।

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**

इस योजना में ताड़ के पेड़ की खेती, एनएचएम से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास और शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, यह झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूँदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी (जयपुर) और नांता (कोटा) में उत्कृष्टता केंद्रों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है, ताकि संरक्षित कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और नर्सरी विकसित की जा सकें।

# कृषि सुधार

**(अ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**

गेहूँ और दलहनों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को वर्ष 2007-08 में राजस्थान में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका फंडिंग पैटर्न 60:40 का है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ और दालों के प्रमुख हस्तक्षेपों में प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, जिप्सम, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर, पंप सेट, सिंचाई जल परिवहन के लिए पाइपलाइन, कंटीले तार की बाड़बंदी तथा फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ को राज्य के 14 जिलों में लागू किया गया है।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन-दलहनों को वर्ष 2010-11 से राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज मक्का को 5 जिलों यथा भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर और उदयपुर में लागू किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोर्स अनाज जौ को 7 जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर में लागू किया गया है।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोषक अनाजः** यह मिशन राजस्थान में वर्ष 2018-19 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। प्रमुख पहलें हैंः प्रमाणित बीजों का वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, उन्नत उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन, बायो-फर्टिलाइजर, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, समन्वित कीट प्रबन्धन (आईपीएम), कांटेदार तार की बाड़ और किसानों के लिए फसल आधारित प्रशिक्षण। इसमें शामिल फसलें हैं- 1. ज्वार के लिए 10 जिले, 2. बाजरा के लिए 21 जिले।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलें:** कपास फसल के लिए फ्रंट लाइन प्रदर्शन और पौधों की रक्षा रसायन कार्यक्रम इस घटक के तहत लिए गए हैं।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और टीबीओ:**

इस मिशन के मुख्य घटक ब्रीडर बीज की खरीद (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा), फाउंडेशन बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन (60:40), प्रमाणित बीज का वितरण, फसल प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), पौध सुरक्षा रसायन, पौध सुरक्षा उपकरणों का वितरण, जैव उर्वरक, जिप्सम, सिंचाई के लिए पानी ले जाने वाली पाइपलाइन, किसानों का प्रशिक्षण, कृषि उपकरण, मिनी किट वितरण, तार बाड़ और बुनियादी ढाँचे का विकास आदि हैं। मिशन का वित्तीय पैटर्न 60:40 है।

ट्री बॉर्न ऑयलसीडस् (टीबीओ) के तहत 6 टीबीओ यथा ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज और जट्रोफा की बुआई के लिए सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान केवल ओलिव और जोजोबा के पौधारोपण कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।

**राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)**

एनएमएसए जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर केंद्रित है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास को एकीकृत करता है।

**एडैप्टिव ट्रायल सेंटर (एटीसी) और जैविक खेती के लिए सहायता**

एडैप्टिव ट्रायल सेंटर (एटीसी) राज्य अनुसंधान केंद्रों से नई कृषि सिफारिशों की अनुकूलता और आर्थिक व्यवहार्यता को विशिष्ट क्षेत्रों में सत्यापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, राज्य निधि के तहत, तीन किसानों, जो जैविक खेती अपनाते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष ₹1.00 लाख की सहायता दी जा रही है।

**परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)**

जैविक खेती को क्लस्टर दृष्टिकोण और सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। पीजीएस इंडिया कार्यक्रम गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों को पीजीएस इंडिया मानकों के अनुसार जैविक खेती के विभिन्न रूपों को अपनाने की अनुमति मिलती है।

## कृषि उत्पाद प्रबंधन

**भंडारण**

राज्य में कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के लिए गोदामों के विकास और प्रबंधन की प्रमुख एजेंसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन (आरएसडब्लयूसी) है। वर्तमान में राज्य के 41 जिलों में 96 गोदाम हैं, जिनकी दिसम्बर, 2024 तक कुल भंडारण क्षमता 18.12 लाख मैट्रिक टन है (जिसमें कॉर्पोरेशन की 16.98 लाख मैट्रिक टन स्वयं की निर्माण की गई क्षमता भी शामिल है)। सरकार एससी/एसटी किसानों, सामान्य किसानों और सहकारी समितियों को भंडारण शुल्क पर क्रमशः 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। राज्य में सहकारी समितियों / संस्थाओं के तहत 8,842 गोदाम हैं।

**प्रसंस्करण**

फूड पार्क विकास और भूमि आवंटन नीति-2024 तैयार की गई है।

राइजिंग राजस्थान समिट 2024: इस कार्यक्रम के तहत, निवेशकों और अन्य भागीदारों के साथ समन्वय द्वारा 2,531 समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी कुल निवेश राशि ₹51,135.50 करोड़ है।

**राजस्थान निवेश संवर्धन नीति, 2024**

एग्रो और फूड प्रोसेसिंग में लगे उद्यमों को इकाई द्वारा किए गए पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, जो अधिकतम ₹1.5 करोड़ तक होता है। इसके अलावा, एससी / एसटी महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व वाले एफपीओ या उन उद्यमों को जो आदिवासी उप-योजना के तहत पहचाने गए क्षेत्रों में इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत पूँजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पीएम-एफएमई)**

इस योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को 35 प्रतिशत की दर से ₹10 लाख तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत सभी प्रकार की छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक प्रस्तावित है। इस योजना के तहत, राज्य के 8 जिलों में 8 इन्क्यूबेशन सेंटरों को ₹23.11 करोड़ की राशि के साथ स्वीकृति दी गई है।

**विपणन**

**नये बाजार यार्डों की स्थापना** राज्य सरकार ने नए मंडी यार्ड स्थापित किए हैं, जिससे पिछले पाँच वर्षों में स्वतंत्र मंडियों की संख्या 145 से बढ़कर 173 हो गई है। एपीएमसी अधिनियम के तहत निजी मंडी यार्डों और निजी ई-उप मंडियों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 335 उप मंडी यार्ड अधिसूचित हैं।

**कृषक उपहार योजनाः** यह योजना ई-नाम पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है, जो ई-नाम के जरिए उत्पाद बेचने वाले व्यक्तियों को कवर करती है। उत्पादक-किसान को अपनी उपज की बिक्री पर ₹10,000 मूल्य का कूपन मिलता है और ई-नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से बिक्री के मूल्य के गुणकों पर अतिरिक्त कूपन प्रदान किए जाते हैं।

**सहकारी विपणन संरचनाः** राज्य में कुल 278 क्रय-विक्रय समितियाँ और फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ पंजीकृत हैं।

**राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2024:** यह मेला 19 मई, 2024 से 28 मई, 2024 तक जवाहर कला केंद्र, जयपुर में आयोजित किया गया। इन मेलों में राज्य और अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बिक्री के लिए लाया जाता हैं।

**पशु मेलों का विस्तारः** पहले यह मेले 7 जिलों में आयोजित किए जाते थे, अब 11 अतिरिक्त पशु मेलों के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**सहकारी उपभोक्ता संरचनाः** कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं। उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (कॉनफैड) एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

## राजस्थान में पशुधन

पशु गणना-2019 में राज्य के कुल 568.01 लाख पशुधन और 146.23 लाख कुक्कुट पक्षियों की संख्या दर्ज की गई। राज्य देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इसमें देश के 7.24 प्रतिशत गौवंश, 12.47 प्रतिशत भैंस, 14.00 प्रतिशत बकरियाँ, 10.64 प्रतिशत भेड़ और 84.43 प्रतिशत ऊँट शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में, राज्य ने राष्ट्रीय उत्पादन में 14.44 प्रतिशत दूध उत्पादन और 47.98 प्रतिशत ऊन उत्पादन का योगदान दिया।

दूध का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 23,668 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 33,307 हजार टन हो गया। इसी प्रकार, इसी अवधि में अंडों का उत्पादन 1,662 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में 2,761 मिलियन हो गया।

मांस उत्पादन के लिए भी समान प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मांस उत्पादन वर्ष 2018-19 में 192 हजार टन था, जो बढ़कर 2022-23 में 240 हजार टन हो गया। हालांकि, ऊन का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 145 लाख किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 161 लाख किलोग्राम हो गया।

**1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (एमवीयू):** ये यूनिट्स 24 फरवरी, 2024 को शुरू की गई, जो किसानों के घर पर ही पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती हैं। राज्य भर में कुल 536 एमवीयू वाहन संचालित हो रहे हैं, जो टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से प्राप्त कॉल के आधार पर रोगों के निदान और उपचार जैसी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

**खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** एक व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत राज्य भर में 200.13 लाख गायों और भैंसों को निःशुल्क रोग निरोधक (एफएमडी टीके) लगाए गए।

**लिंग क्रमित वीर्य योजना:** दुग्ध पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे लगभग 2 लाख पशुपालकों को लाभ मिला है।

**पशुमित्र योजना:** इस योजना का लक्ष्य पशुपालन सेवाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार, गर्भावस्था परीक्षण आदि को किसानों के द्वार तक पहुँचाना है। इस योजना के तहत 5,000 प्रशिक्षित युवा बेरोजगार पशुधन सहायकों को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा।

**पशु कल्याण पहल, पशुधन की सुरक्षा, देखभाल और देशी नस्लों के संरक्षण के लिए**

ऊँट संरक्षण अनुदान, ऊँट पालकों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता दो किस्तों में उपलब्ध कराता है (प्रत्येक बछड़े के लिए, जन्म के 0-2 महीने की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर)। वर्ष 2024-25 में 3,887 ऊँट पालकों को इस योजना का लाभ मिला, जिसमें नवजात ऊँटों के लिए सहायता राशि को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया।

**पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना** पशु चिकित्सा संस्थानों और शिविरों के माध्यम से पशुधन के लिए निःशुल्क उपचार प्रदान करती है।

### पशुधन-किसान कल्याण

**राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** यह एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को पशुपालन के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत 550 पात्र आवेदकों के ऋण प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए हैं ताकि पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

**राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (8वां चरण):** इस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है, जो 1 फरवरी, 2024 से प्रभावी है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु / पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹5.00 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹2.50 लाख का भुगतान किया जाता है।

**मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनाः** इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर की सहायता राशि बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दी गई है।

**सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजनाः** इस योजना के तहत मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य में 20,000 मछुआरे इस क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। दिसम्बर, 2024 तक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के माध्यम से 4,862 सक्रिय मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा के तहत कवर किया गया है।

## गोपालन

राज्य गौवंश संरक्षण और संवर्धन निधि नियम, 2016 के तहत गौशालाओं और नंदीशालाओं के माध्यम से स्थायी विकास पर जोर देते हुए देशी गायों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देता है।

**गोशाला विकास योजनाः** राज्य सरकार पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढाँचे के विकास (जैसे पशु शेड, चारा भंडार, गोपालक आवास गृह, जल टंकी आदि) के लिए 90:10 (सरकारः जनता) अनुपात पर अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

**पंजीकृत गौशालाओं के लिए सहायता अनुदानः** राज्य सरकार अनुत्पादक या बीमार गौवंश के लिए चारा, खाद्य और पानी की व्यवस्था हेतु पंजीकृत गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 1 अक्टूबर, 2024 से, प्रति बड़े गौवंश के लिए ₹44 प्रति दिन और छोटे गौवंश के लिए ₹22 प्रति दिन की दर से सहायता दी जा रही है। यह योजना वर्ष 2022-23 से 270 दिनों के लिए प्रभावी है।

**आवारा मवेशियों के लिए पहल**

**पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजनाः** यह योजना पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना करके आवारा नर मवेशियों की समस्या को हल करने के उद्देश्य से है। इसमें सरकार और सार्वजनिक योगदान का अनुपात 90:10 है। प्रत्येक इकाई की लागत लगभग ₹1.57 करोड़ है और 13 जिलों में 31 दिसंबर, 2024 तक ₹15.23 करोड़ का आवंटन किया गया है।

**ग्राम गौशाला / पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना** का उद्देश्य आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करना है, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं या पशु आश्रय स्थलों की स्थापना की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने की अनुमानित लागत ₹1 करोड़ है, जिसमें 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत सात ग्राम गौशालाओं के लिए कुल ₹2.80 करोड़ का आवंटन किया गया है।

## अन्य पहल

- वध / तस्करी से बचाए गए मवेशियों के लिए अनुदान सहायता गौशालाओं में रखे गए मवेशियों की देखभाल के लिए एक वर्ष तक सहायता प्रदान की जाती है।
- **नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम** जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और पाली स्थित चार संस्थानों में गौ उत्पाद प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- **ई-न्यूजलेटर 'गोपालक वाणी'** वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया है, जो गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे नवाचारों की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है।

## डेयरी विकास

- राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। दिसम्बर, 2024 तक, कुल 19,054 डेयरी सहकारी समितियाँ 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों और एक राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय, 'राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) लिमिटेड, जयपुर' से संबद्ध हैं।

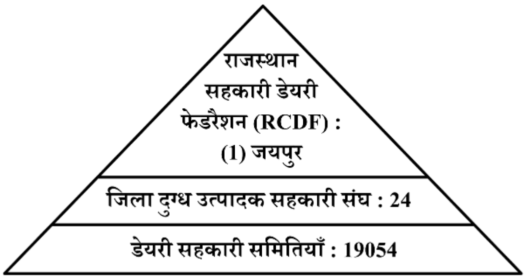


- विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं और संसाधनों के माध्यम से जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51.40 लाख लीटर प्रति दिन तक पहुँच गई है। वर्तमान में, 9.25 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा हैं और दूध के लिए पूरे वर्ष पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

## मत्स्य

राज्य में लगभग 4.30 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध हैं, जिनमें से 3.36 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में तथा 0.94 लाख हेक्टेयर छोटे तालाबों और टैंकों के रूप में उपलब्ध हैं। राजस्थान जल संसाधनों की उपलब्धता के मामले में देश में 10वें स्थान पर है, जो मत्स्य उत्पादन में आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।

**प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)**

वर्ष 2024-25 में, 22 किसानों के लिए 21.41 हेक्टेयर क्षेत्र में खारे पानी के झींगा तालाबों के निर्माण और 32 किसानों के लिए 37 हेक्टेयर मीठे पानी के क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, आठ केज कल्चर इकाइयाँ (प्रत्येक में 18 केज) और दो मछली चारा मिलों को भी मंजूरी दी गई है। जनाधार डीबीटी प्रणाली के माध्यम से एसएनए स्पर्श पोर्टल के जरिए 17 लाभार्थियों को ₹54.74 लाख की सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की गई है।

**चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला**

चूरू में यह प्रयोगशाला स्थानीय झींगा पालन को समर्थन देने के लिए बजट पहल के तहत पूर्ण की गई है। यह सुविधा झींगा किसानों को आवश्यक खारे पानी के परीक्षण की सेवाएँ प्रदान करेगी।

## कृषक एवं श्रमिक कल्याण

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को प्रति वर्ष ₹2,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका वार्षिक प्रावधान ₹1,400 करोड़ प्रस्तावित है। इस योजना के तहत राशि किसानों को डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

**लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजनाः** इस योजना के तहत, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला किसान और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष किसान को ₹1,150 प्रति माह दिया जा रहा है।

**राजस्थान कृषक समर्थन योजनाः** इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल ₹125 की दर से लगभग ₹150.66 करोड़ का बोनस भुगतान किया गया।

**न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदः** रबी विपणन मौसम 2024-25 (10 मार्च, 2024 से 30 जून, 2024) के दौरान, राज्य में 459 खरीद केंद्रों पर 12.05 लाख मेट्रिक टन गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति क्विंटल पर खरीद कर 94,694 किसानों को लाभान्वित किया गया।

**राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना:** राज्य के किसानों के कल्याण के लिए, राज्य सरकार ने 30 नवंबर, 2018 तक के सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को पात्र ऋणी किसानों के लिए माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उन लघु और सीमांत किसानों, जो अपनी भूमि को बैंकों के बंधक से मुक्त करने में असमर्थ हैं, को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यकालिक / दीर्घकालिक ऋण संरचना) को 30 नवंबर, 2018 तक ₹2.00 लाख तक के अतिदेय ऋणी किसानों के लिए मंजूरी दी गई है।

**समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति:** व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास योजना के तहत कॉन्फेड द्वारा लगभग 61,893 आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

**किसान कलेवा योजना:** इस योजना का उद्देश्य किसानों को 'सुपर', 'ए' और 'बी' श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों और राज्य की सभी अन्य वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों (फलों और सब्जियों की मंडियों को छोड़कर) में अनुदानित दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

**महिलाओं के लिए प्रशिक्षण:** ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सरकार प्रति प्रशिक्षण ₹3,000 की सहायता प्रदान कर रही है। प्रत्येक सत्र में 30 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे कृषि तकनीक को अपने साथी किसानों तक पहुंचा सकें।

**कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन:** बालिकाओं को औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उच्च माध्यमिक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष प्रति बालिका ₹15,000, बी.एससी. (कृषि) / एम.एससी. (कृषि) के लिए ₹25,000 प्रति वर्ष प्रति बालिका तथा पीएचडी के लिए ₹40,000 प्रति वर्ष प्रति बालिका सहायता दी जाती है।

**मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना:** इस योजना के तहत कृषि कार्य, जिसमें कृषि विपणन भी शामिल है, के दौरान होने वाली मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में कृषकों, कृषि श्रमिकों और हमालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

**महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना**

इस योजना की शुरुआत 2015 में कृषि उपज मंडियों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। योजना की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

**गर्भावस्था सहायता:** लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान की जाती है। नवजात शिशु के पिता को 15 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर सहायता राशि दी जाती है।

**विवाह सहायता:** लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को उनकी स्वयं की शादी और दो बेटियों की शादी के लिए ₹50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

**विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति / मेरिट पुरस्कार:** इस योजना के तहत, लाइसेंसधारी श्रमिक के पुत्र / पुत्री को 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

**चिकित्सा सहायता:** गंभीर बीमारियों (कैंसर, हृदयाघात, लीवर, किडनी आदि) की स्थिति में, यदि लाइसेंसधारी श्रमिक को सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया हो तो ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

## राज्य में कृषि-जलवायु क्षेत्र

राजस्थान, अपनी विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है। ये क्षेत्र जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भूगोल और फसल पैटर्न के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। राज्य के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 61 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी या अर्द्ध-रेगिस्तानी है, जो वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र, जो राज्य का 39 प्रतिशत हिस्सा है, अधिक उपजाऊ है।

**राजस्थान में कृषि-जलवायु क्षेत्र**

| क्र. सं. | जलवायु क्षेत्र | सम्मिलित जिले | मुख्य फसलें |
|---|---|---|---|
| **1** | शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A) | जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर एवं बालोतरा | बाजरा, मोठ एवं तिल (खरीफ); गेहूँ, सरसों एवं जीरा (रबी) |
| **2** | उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B) | श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ | कपास एवं ग्वार (खरीफ); गेहूँ, सरसों एवं चना (रबी) |
| **3** | अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C) | बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू आंशिक (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसीलें) | बाजरा, मोठ एवं ग्वार (खरीफ); गेहूँ, सरसों एवं चना (रबी) |
| **4** | अन्तःस्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A) | सीकर, चूरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील छोड़कर), झुंझुनूँ, नागौर एवं डीड़वाना-कुचामन | बाजरा, ग्वार एवं दलहन (खरीफ);<br>सरसों एवं चना (रबी) |
| **5** | लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B) | जालोर, सिरोही (पिंडवाड़ा, आबूरोड तहसील छोड़कर) एवं ब्यावर आंशिक (जैतारण एवं रायपुर तहसील) | बाजरा, ग्वार एवं तिल (खरीफ); गेहूँ एवं सरसों (रबी) |
| **6** | अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A) | जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ एवं ब्यावर (जैतारण, रायपुर तहसील छोड़कर) | बाजरा, ग्वार एवं ज्वार (खरीफ); गेहूँ, सरसों एवं चना (रबी) |
| **7** | बाढ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B) | अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर | बाजरा, ग्वार एवं मूँगफली (खरीफ); गेहूँ, जौ, सरसों एवं चना (रबी) |
| **8** | अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A) | उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बड़ी सादड़ी तहसील छोड़कर) राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सिरोही आंशिक (पिंडवाड़ा एवं आबूरोड तहसील) | मक्का, दलहन एवं ज्वार (खरीफ);<br>गेहूँ एवं चना (रबी) |
| **9** | आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B) | बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर (बड़ी सादड़ी तहसील) एवं चित्तौड़गढ़ | मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द (खरीफ);<br>गेहूँ एवं चना (रबी) |
| **10** | आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V) | कोटा, बाराँ, बूँदी एवं झालावाड़ | ज्वार एवं सोयाबीन (खरीफ) गेहूँ एवं चना(रबी) |

❑ ❑ ❑ ❑

अध्याय: 05 | निवेश में वृद्धि : खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास

## राजस्थान में उद्योग

### उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धन

उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 5.77 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं।

| राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) | 2011-12 | 2024-25 | वृद्धि दर (CAGR) |
|---|---|---|---|
| **स्थिर (2011-12) मूल्यों पर** | ₹1.36 **लाख करोड़** | ₹2.33 **लाख करोड़** | 4.22% |
| **प्रचलित मूल्यों पर** | ₹1.36 **लाख करोड़** | ₹4.26 **लाख करोड़** | 9.17% |

वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (GSVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.16 प्रतिशत रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान (2024-25 अग्रिम अनुमान)- **कुल जी.वी.ए.: ₹4.26 लाख करोड़**

| क्र. सं. | उपक्षेत्र | योगदान (%) | वृद्धि दर (2024-25) |
|---|---|---|---|
| 1 | **विनिर्माण** | **42.62%** | **4.68%** |
| 2 | **निर्माण** | **34.88%** | **8.60%** |
| 3 | **खनन एवं उत्खनन** | **12.15%** | **3.59%** |
| 4 | **विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ** | **10.35%** | **5.51%** |

**औद्योगिक क्षेत्र की कुल वृद्धि दर (2024-25): 5.77%**

**औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) तीन वृहद् समूहों यथा-विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है।

**राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024**

इस शिखर सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 17 देश भागीदार देश के रूप में सम्मिलित हुए। अंतरराष्ट्रीय निवेशक, उद्योग जगत के अग्रणी उद्यमी और राजकीय अधिकारियों सहित 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा सहयोगी उपक्रमों एवं निवेश संभावनाओं पर चर्चा की गयी। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया।

- राजस्थान सरकार द्वारा समिट की तैयारी के दौरान 8 अंतरराष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय और 8 विभागीय प्री-समिट और जिला निवेशक बैठकों का आयोजन किया गया।
- समिट में 13 विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और अन्य प्रमुख आर्थिक क्षेत्र शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हेतु 8 देशों द्वारा सत्रों के माध्यम से राजस्थान के विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठाने और व्यापारिक अवसरों की खोज करने हेतु मंच प्रदान किया गया।
- इस समिट की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 35,000 आगंतुकों द्वारा भाग लिया गया। समिट का समापन ₹35 लाख करोड़ मूल्य के समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) की घोषणाओं के साथ हुआ। इस सम्मेलन में सर्वाधिक MOU ऊर्जा क्षेत्र में किए गए।

## आधारभूत संरचना विकास

वर्तमान में 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के साथ-साथ 8 उप-केन्द्र उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहें हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) अत्याधुनिक आधारभूत संरचना से सुसज्जित विशेष औद्योगिक पार्क्स एवं जोन्स बनाकर इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में रीको द्वारा 1,462.87 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, 363.49 एकड़ भूमि एवं 5 नए औद्योगिक क्षेत्र यथाः (i) चडुआल, (आबूरोड) सिरोही (ii) बोरानाड़ा विस्तार (बोरानाडा) जोधपुर (iii) माथासुला द्वितीय चरण (जयपुर) (iv) गणेश्वर (सीकर) (v) मूरडा (राजसमंद) विकसित किए।

### राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) अधिनियम, 2016

सम्पूर्ण राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्रों के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास हेतु "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम-2016" के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास की निगरानी हेतु राज्य स्तरीय "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड" का गठन किया गया। अलवर जिले के 363 गाँवों को सम्मिलित करने वाली "भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप" (बी.आई.टी.) को एस.आई.आर. घोषित किया गया। "भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण" (बी.आई.डी.ए.) की स्थापना 22 फरवरी, 2018 को की गई। 28 दिसंबर, 2020 को 43 (एक नवीन सृजित गाँव सहित) गाँवों को अलग करके के.बी.एन.आई.आर. विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में नामित किया गया, जिसमें रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया गया, जबकि बी.आई.टी. के शेष 321 गाँवों की देखरेख बी.आई.डी.ए. कर रहा है।

### जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.)

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) के रूप में अधिसूचित किया गया। रीको को जे.पी.एम.आई.ए. की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे जे.पी.एम.आई.ए. विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जा रहा है -

**फेज ए-** भारत सरकार ने जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक (जे.पी.एम.आई.ए.) क्षेत्र के एस.पी.वी. में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) की अंशपूँजी वितरण को स्वीकृति दी गई है। 1,577.69 एकड क्षेत्र में ₹921.66 करोड़ (भूमि सहित) की अनुमानित परियोजना लागत से विकसित किया जाएगा, जिसमें ₹322.80 करोड़ का 49 प्रतिशत अंशपूँजी निवेश तथा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी. आई.टी.) से ₹105 करोड़ का सॉफ्ट डेट (ऋण) शामिल है। ऋण में 10 साल की ब्याज स्थगन और 10 साल की जी-सेक दर के आधार पर 10 साल की पुनर्भुगतान अवधि शामिल है।

**फेज बी-** इस फेज के अन्तर्गत 13 फरवरी, 2024 को 1,086.45 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई एवं अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगतिरत है

**फेज सी-** इस फेज के अन्तर्गत निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

### खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.)

165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गाँव शामिल हैं। इसे 28 दिसंबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) के रूप में अधिसूचित किया गया। इसी अधिसूचना में रीको को के.बी.एन.आई.आर. विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

## औद्योगिक पार्क्स एवं विशेष निवेश क्षेत्र

जोधपुर के बोरानाडा में 274 एकड़ भूमि पर मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में थौलाई औद्योगिक क्षेत्र में 48.21 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया गया है।

एग्रो फूड पार्क - रीको ने बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में 04 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। निगम ने जोधपुर के तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर "एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग जोन" स्थापित कर भूखंड भी आवंटित किए हैं।

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी-II में 56,576 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन स्थापित किया गया है।

रीको ने रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में "जेम्स बोर्स" की स्थापना के लिए 43,828 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है।

रीको द्वारा जोधपुर के काकाणी औद्योगिक क्षेत्र में 41 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पैनल निर्माण पार्क विकसित किया जा रहा है।

रीको द्वारा जोधपुर के बोरानाडा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र में 65.46 हेक्टेयर भूमि पर हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क विकसित किया जा रहा है।

## अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास

- इनलैण्ड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.) बासनी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर को सालावास के नए रेल लिंक्ड मेगा डिपो तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना के तहत दी गई है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार की व्यापार अवसंरचना सेवा योजना के तहत आई.सी.डी. मानसरोवर, जयपुर में एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (विस्तार) विकसित किया जा रहा है। दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा किया जा रहा है।
- यूनिटी मॉल परियोजना हेतु रीको ने फिनटेक पार्क जयपुर में 15,187 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है।
- रीको ने औद्योगिक इकाइयों को आगजनी की घटनाओं से बचाने के लिए केशवाना (नीमराना), खैरथल, खारा (बीकानेर), कालड़वास (उदयपुर), बगरू (जयपुर) और रतनगढ़ (चूरू) में 06 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

# कनेक्टिविटी

## दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर

दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) का उद्देश्य भारत के दो प्रमुख शहरों दिल्ली (राजधानी) और मुंबई (वित्तीय राजधानी) के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किलोमीटर का क्षेत्र (प्रभाव क्षेत्र) का चयन दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) के रूप में विकसित किए जाने हेतु किया गया है। प्रथम चरण में, खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) विकसित किए जा रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संयुक्त एस.पी.वी. (स्पेशल पर्पज व्हीकल) कंपनी राजस्थान औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (रिडको) की स्थापना की गई है।

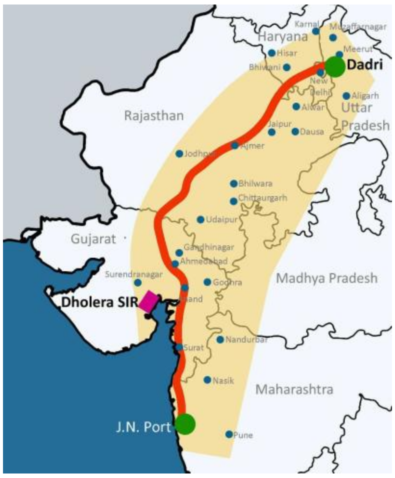

### वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यू.डी.एफ.सी.) का उद्देश्य देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है। यह भारत की अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने तथा दादरी (उत्तर प्रदेश) एवं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई) के मध्य माल परिवहन (लॉजिस्टिक्स) दक्षता बढ़ाने हेतु समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 1,504 किलोमीटर है। कॉरिडोर का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के मामलों के निवारण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों को पुनर्गठित कर 17 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इन 17 सुविधा परिषदों द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दिसम्बर, 2024 तक 754 मामलों का निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला केन्द्र में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ.सी.) स्थापित किए गए हैं।

### राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम-2019

एम.एस.एम.ई. की स्थापना को सरल बनाने के लिए 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम-2019 लागू किया गया। राज्य द्वारा राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। एम.एस. एम.ई. इकाइयों को नोडल एजेंसी के समक्ष 'आशय की घोषणा' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसके पश्चात एजेंसी एक 'पावती प्रमाण पत्र' जारी करती है। यह प्रमाण पत्र इकाई को इसके जारी होने से पाँच साल तक राज्य कानूनों के तहत अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करता है।

- वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान कुल 1,888 पावती प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से सूक्ष्म श्रेणी के 954, लघु श्रेणी के 576 एवं मध्यम श्रेणी के 358 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

### लघु विकास केंद्र और सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.) योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में लघु उद्योगों, लघु विकास केंद्र और सूक्ष्म लघु उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है। वर्तमान में, ₹106.40 करोड़ के अनुदान के साथ ₹225.54 करोड़ की परियोजना लागत वाली 36 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 36 परियोजनाओं में से 34 परियोजनाएँ पूर्ण हो गयी है। भारत सरकार ने परियोजनाओं के लिए ₹65.60 करोड़ जारी किए हैं।

### पीएम विश्वकर्मा योजना

इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल हैं। इस योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण (कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रतिदिन ₹500 के स्टाइपेंड के साथ 5-7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण), टूलकिट सहायता (उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000), बिना गारंटी ऋण (5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण, दो किस्तों में: ₹1 लाख (18 माह) और ₹2 लाख (30 माह) तक), डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन (प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन तक प्रति लेनदेन पर ₹1 प्रोत्साहन) आदि घटक शामिल है।

**मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.):** इस योजनान्तर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने अथवा मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत लघु उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण:** एम.एस.एम.ई. की संशोधित परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया।

**डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत और ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या ₹25 लाख (जो भी कम हो) का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।

**मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना:** मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना युवा उद्यमियों (18 से 35 वर्ष) को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत एवं ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करके सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही, पुरुष उद्यमियों को 10 प्रतिशत और महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत (₹5 लाख तक) एकमुश्त मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान की जाती है।

## वित्तीय सहायता

राजस्थान में उद्योगों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों के विकास और वृद्धि का बढ़ावा देना है। रीको वित्तीय सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाता है।

- भारत सरकार ने "रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन" परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ₹146 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।
- राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) ने स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2024 तक 84,595 इकाइयों को ₹8,918 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।

**युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)** औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस पहल का उद्देश्य 1,000 इकाइयों को वित्तपोषित करना है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 45 वर्ष अथवा इससे कम आयु के उद्यमी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

## विपणन सहायता

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आर.एस.आई.सी.) जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से 450 कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है। गत 43 वर्षों से, आर.एस.आई.सी. ने आई.आई.टी.एफ दिल्ली में राजस्थान पवेलियन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य किया है।

- इसके अतिरिक्त, आर.एस.आई.सी. विभिन्न सरकारी विभागों को कांटेदार तार, टेंट, तिरपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग और एंगल आयरन पोस्ट जैसे उत्पादों की आपूर्ति करके लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है, इसके द्वारा 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक लगभग 55 औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित किया।

- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2 अक्टूबर, 2024 से 30 जनवरी, 2025 तक खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई तथा जयपुर के शिल्पग्राम में एक संभाग स्तरीय कार्यक्रम एवं नवंबर, 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई. आई.टी.एफ.) दिल्ली में भागीदारी सहित प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी को बढ़ावा दिया गया।
- राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आर.ई.पी.सी.) अनुमोदित विदेशी व्यापार मेलों में इकाइयों के लिए किराए का 50 प्रतिशत (₹1 लाख तक) प्रतिपूर्ति करती है एवं विदेशी व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए ₹10 लाख का आवंटन किया हैं।

## ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस

राज निवेश पोर्टल, जो कि सिंगल विंडो योजना के तहत लॉन्च किया गया है, राजस्थान में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसे राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमीकरण एवं निकासी अधिनियम-2011 के द्वारा स्थापित किया गया है और इसे 2 मई, 2024 को सिंगल विण्डो क्लियरेंस के साथ मिलाकर अनुमोदन हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया है।

- रीको ने एक मोबाइल एप लॉन्च किया है, जो प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. जैसी कर संबंधी प्रक्रियाओं के लिए मॉड्यूल शामिल हैं। रीको की ई.आर.पी. प्रणाली को राज निवेश पोर्टल, ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, रीको भूखंडों के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) लागू की गई।
- नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विवाद और निवारण तंत्र (डी.आर.एम.) स्थापित किया गया। समिति के निर्णय सभी विभागों के लिए बाध्यकारी होते हैं।

## निर्यात

राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र एवं हस्तशिल्प पाँच प्रमुख निर्यातक वस्तुएँ हैं, जिनका राज्य के निर्यात में 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। राज्य से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹83,704.24 करोड़ का निर्यात हुआ।

**राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आर.एस.आई.सी.)** जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाहों (इनलैंड कंटेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/ आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएँ प्रदान करता है। वर्तमान में, जोधपुर और जयपुर आई.सी.डी. में निर्यात / आयात सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आर.एस.आई.सी. जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा निर्यात की सुविधाएँ प्रदान करता है।

### निर्यात संवर्धन, प्रक्रिया और प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

"निर्यात संवर्धन, प्रक्रिया और प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना" राजस्थान के उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण एवं बाजार जानकारी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारम्भ की गई। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आर.ई.पी.सी.) की स्थापना निर्यात चुनौतियों से निपटने और निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।

### अन्य पहल

**राजस्थान फाउंडेशन** का उद्देश्य भारत और विदेशों में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ना, राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं अपनी मातृभूमि के साथ संबंध बनाए रखना है। राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के उद्देश्य से भारत में चेन्नई, कोयंबटूर, कोलकाता, सूरत, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर तथा विदेशों में लंदन (यू.के.), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) और काठमांडू (नेपाल) सहित 12 शहरों में शाखाएँ स्थापित की हैं। राजस्थान फाउंडेशन की 14 नवीन शाखाएँ भारत में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, दिल्ली एवं पुणे तथा विदेशों में दुबई (यू.ए.ई.), म्यूनिख (जर्मनी), रियाद (सऊदी अरब), टोक्यो (जापान), सिंगापुर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), नैरोबी (केन्या), कंपाला (युगांडा) एवं दोहा (कतर) में स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई है।

**राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024** हेतु राजस्थान फाउंडेशन ने जापान, दुबई, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यू.के., सऊदी अरब तथा मुंबई, नई दिल्ली एवं रांची में निवेश रोड शो के दौरान प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों के आयोजन करने के लिए राजस्थानी प्रवासियों के साथ समन्वय किया। 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में भारत एवं विदेशों से लगभग 4,000 प्रवासी राजस्थानियों, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान प्रवासी राजस्थानी चिकित्सकों के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर एक विषयगत सत्र भी आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया विभाग बनाने, प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान करने, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने और प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में एकल संपर्क केन्द्र (सिंगल पॉइन्ट कॉन्टैक्ट) बनाने की घोषणा की।

- औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.) के तहत वर्ष 2024-25 (जुलाई, 2024 तक) के दौरान वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु ₹910 करोड़ निवेश राशि के 9 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए।
- खादी और ग्रामोद्योग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) सहित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। वर्ष 2024-25 हेतु 607 नवीन इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ₹16.62 करोड़ राशि मार्जिन मनी के रूप में आवंटित किये गये।
- साझेदारी फर्मों का पंजीयन कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीकरण किया जाता है।
- औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कारखाना और बॉयलर विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला में 155 कारखानों से 784 वायु प्रदूषक नमूने एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया।

## खनन, तेल और गैस

### राजस्थान में खनन क्षेत्र

राजस्थान खनिज संसाधनों के सन्दर्भ में भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, यहाँ 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का खनन किया जाता है। यह सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, और चांदी, कैल्साइट एवं जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में भी शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी पत्थरों के साथ-साथ सीमेंट-ग्रेड और स्टील-ग्रेड चूना पत्थर का एक प्रमुख उत्पादक है।

- वर्तमान में खनन पट्टे ई-नीलामी के माध्यम से जारी किये जाते हैं। राज्य में प्रधान खनिजों हेतु 145 खनन पट्टे और अप्रधान खनिजों हेतु 16,962 खनन पट्टे आवंटित हैं तथा 17,185 क्वेरी लाइसेंस जारी किये गये।
- वर्ष 2024-25 में खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु ₹9,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹6,340.85 करोड़ का राजस्व एकत्र किया गया।

**राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास**

यह न्यास खान एवं भूविज्ञान विभाग में सुधार लाने, खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण को बढ़ाने, विभागीय सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार, तकनीकी परामर्श, लॉजिस्टिक सहायता एवं खनिज व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान निविदा के माध्यम से 711 नमूनों का रासायनिक विश्लेषण तथा एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा 3,650 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक न्यास ने लाइम स्टोन एवं बेस मेटल के अन्वेषण हेतु 21 ई-नीलामी ब्लॉक तैयार किए गए तथा 4,980 मीटर कोर ड्रिलिंग की गयी।

**राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)** उदयपुर

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य कर रहा है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को अपनाना और खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों को कॉर्पोरेट ऑफिस उदयपुर के सीधे नियंत्रण में चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (एस.बी.यू. एण्ड पी.सी.) का नाम दिया है। चार एस.बी.यू. एवं पी.सी. निम्न प्रकार हैं-

1. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, उदयपुर।
2. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर - जिप्सम, बीकानेर।
3. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर लाईम स्टोन, जोधपुर।
4. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर लिग्नाईट, जयपुर।

**सामाजिक गतिविधियां**: आर.एस.एम.एम.एल. अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में विभिन्न संस्थाओं को निरंतर योगदान प्रदान कर रहा है। इस संबंध में वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान अपने विभिन्न एस.बी.यू. द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर कुल ₹2.56 करोड़ तथा वानिकी एवं पौधारोपण पर ₹68 लाख व्यय किया गया है।

**सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (आई.पी.एस)**

वर्ष 2024-25 में खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार 6 अन्वेषण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 35 परियोजनाओं को भूवैज्ञानिक जाँच हेतु रखा गया।

**जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डी.एम.एफ.टी.)**

जिला खनिज फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) एक न्यास है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करने हेतु एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित है।

## तेल और प्राकृतिक गैस

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कुल कच्चे तेल के कुल उत्पादन (29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में राज्य का योगदान लगभग 14.95 प्रतिशत (4.39 एम.एम.टी.पी.ए.) है। राज्य में पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है :

1. बाड़मेर-सांचौर बेसिन (बाड़मेर, सांचौर एवं जालोर जिले)
2. जैसलमेर बेसिन (जैसलमेर जिला)

3. बीकानेर - नागौर बेसिन (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)

4. विंध्यन बेसिन – (कोटा, बाराँ, बूँदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

वर्तमान में बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन 15 क्षेत्रों यानी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य उपग्रह क्षेत्रों से लगभग 66,000 से 67,000 बैरल प्रति दिन (बी.ओ.पी.डी.) है। बाड़मेर से प्राकृतिक गैस उत्पादन 2.70 से 2.80 एम. एम.एस.सी.एम. (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) प्रतिदिन के बीच है, जबकि जैसलमेर से प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 0.81 से 0.87 एम.एम.एस.सी.एम. प्रतिदिन है। राजस्थान में कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.50 से 3.70 एम.एम.एस.सी.एम. प्रतिदिन के मध्य है।

**कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन और विकास गतिविधियाँ -**

वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान, जैसलमेर और बाड़मेर-सांचौर बेसिन से केयर्न वेदांता लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल 935.83 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया। इसी अवधि में केयर्न इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर-सांचोर से कुल 26.36 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया है।

- कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं अन्वेषण की गतिविधियाँ 13 पेट्रोलियम खनन पट्टे (पी.एम.एल.) और 14 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) ब्लॉकों में चल रही हैं।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसम्बर, 2024 तक ₹2,078.21 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।
- वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान जैसलमेर के बाघेवाला क्षेत्र से लगभग 1,55,713 बैरल हैवी क्रूड ऑयल का उत्पादन किया गया। वर्तमान में भारी तेल का उत्पादन 580 बैरल प्रतिदिन (बी.ओ.पी.डी.) हो रहा है।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड को कच्चे तेल / हैवी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु 3 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) का विस्तार स्वीकृत किया गया है।
- चिन्नेवाला टिब्बा, जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए ओ.एन.जी.सी.एल. को एक पेट्रोलियम खनन पट्टा (पी.एम.एल.) पुनः प्रदान किया गया है।

**राजस्थान रिफाइनरी परियोजना**

एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एच.आर.आर.एल.), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः 74 प्रतिशत (₹17,991 करोड़) और 26 प्रतिशत (₹6,321 करोड़) की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है। पचपदरा, बालोतरा में 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्य 16 जनवरी, 2018 को प्रारम्भ किया गया। परियोजना की संशोधित लागत ₹72,937 करोड़ है और इसे ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह रिफाइनरी बीएस-VI मानक उत्पादों का उत्पादन करेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाली भारत की पहली रिफाइनरी होगी। परियोजना का लगभग 84 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, और इस परियोजना में 24,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया गया है। राज्य सरकार के 26 प्रतिशत हिस्से ₹6,321 करोड़ में से ₹3,734.91 करोड़ एचआरआरएल को भुगतान किया गया है।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

**अध्याय: 06** | **पर्यटन, कला, संस्कृति एवं सेवा क्षेत्र के विकास में गति**

## पर्यटन

### राजस्थान में घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की स्थिति

**घरेलू पर्यटक:** घरेलू पर्यटन में वर्ष 2018 से 2019 तक 3.95 प्रतिशत की लगातार वृद्धि देखी गई, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण 71.05 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालाँकि, बाद के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर के साथ जोरदार वापसी हुई, जिसमें 2022 का उछाल भी शामिल है। पर्यटक विजिट्स कैलेण्डर वर्ष 2023 और 2024 में क्रमशः 1,790.52 लाख और 2,300.84 लाख रही है।

**जिलेवार घरेलू पर्यटक विजिट्स की संख्या :-** राजस्थान में वर्ष 2023 और 2024 के घरेलू पर्यटक विजिट्स की संख्या के अनुसार सीकर जिला शीर्ष पर्यटन स्थल है। चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर जिले में घरेलू पर्यटक विजिट्स की संख्या में क्रमशः वर्ष 2023 से 2024 में 99,14,114 एवं 69,48,678 असाधारण वृद्धि हुई है।

**अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन :-** अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स में वर्ष 2021 के बाद महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किन्तु उक्त वृद्धि घरेलू पर्यटन की तुलना में धीमी रही है। वर्ष 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की विजिट्स की संख्या 20.72 लाख तक पहुँच गई, जो वर्ष 2023 में 17.00 लाख थीं।

**जिलेवार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स की संख्या:-** अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स में जयपुर ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा एवं वर्ष 2023 से 2024 में 2,49,353 पर्यटक विजिट्स की संख्या में महत्त्वपूर्ण गिरावट हुई है। इसके बाद क्रमश:: उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और अजमेर भी वर्ष 2024 के दौरान शीर्ष 5 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं में शामिल हुए। वर्ष 2024 में राजस्थान में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों में संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक पर्यटक आए। इसके बाद क्रमश:: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी व इटली से पर्यटक राजस्थान आए।

**राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:-**

- 09-11 दिसंबर, 2024 को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट के तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश के लिए 1,320 ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 7-9 मार्च, 2025 को जयपुर में प्रस्तावित 25वाँ प्रतिष्ठित आईफा समारोह आयोजन किया गया।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर केपिटल इन्वेस्टमेंट (एस.ए.एस.सी.आई.) योजना के पार्ट III (आइकोनिक डेस्टीनेशन के रूप में विश्व स्तरीय विकास) के अन्तर्गत राजस्थान में ₹145.92 करोड़ के निम्नलिखित 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं :- 1. आमेर-नाहरगढ़ एवं आस पास के क्षेत्र का विकास ₹49.31 करोड़, 2. जल महल का विकास ₹96.61 करोड़।
- राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13-15 सितम्बर, 2024 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) का आयोजन किया गया। इसमें भारत के विभिन्न शहरों से 650 से अधिक पर्यटन अभिकर्ताओं एवं राजस्थान से लगभग 600 से अधिक विक्रेताओं द्वारा भाग लिया गया। 13,500 से अधिक बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।
- 05 मई, 2024 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से देश में प्रथम बार 'वेड इन इंडिया एक्सपो' का आयोजन किया गया।

### थीमैटिक टूरिज्म

राज्य सरकार एडवेंचर ट्यूरिज्म, इको-पर्यटन, फिल्म-पर्यटन और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जिससे राजस्थान के फिल्म पर्यटन क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में राज्य में 39 फिल्मों की शूटिंग हुई।

**विरासत पर्यटन**: राजस्थान में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सिटी पैलेस, आमेर किला, हवा महल-जयपुर जैसे किले शामिल हैं। इसके अलावा, कुम्भलगढ़ दुर्ग-राजसमंद और जैसलमेर दुर्ग जैसे स्थल अपना वैश्विक महत्त्व बनाए हुए हैं और इन स्थलों हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

**वन्यजीव और पर्यावरण पर्यटन**: राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसके अलावा, राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः माउंट आबू अभयारण्य, भैंसरोड गढ़ अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य आदि।

राज्य सरकार 345 संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन करती है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, किले, हवेलियाँ आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के नियंत्रण में 43 संरक्षित पुरातात्विक स्थल हैं।

## संस्कृति

### राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्सव

कैलेण्डर वर्ष 2024 में लगभग 72 मेले-उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें पुष्कर मेला (अजमेर), मेवाड़ महोत्सव (उदयपुर), मारवाड़ महोत्सव (जोधपुर), कुंभलगढ़ महोत्सव (राजसमंद), ऊंट महोत्सव (बाड़मेर), मरू महोत्सव, (जैसलमेर), सांभर एवं पतंग महोत्सव (जयपुर), डीग महोत्सव (डीग), गणगौर और तीज उत्सव, राजस्थान दिवस (जयपुर) सहित अन्य शामिल हैं। अन्य प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

**अल्बर्ट हॉल, जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमः-** अल्बर्ट हॉल, जयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल, द्विपाक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है।

- आरडीटीएम में गाजी खान और समूह का जलवा 13 सितंबर, 2024 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) में गाजी खान और उनके समूह द्वारा एक शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया।.
- भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 14 अगस्त, 2024 को जयपुर में मनमोहक संगीत प्रदर्शन प्रसिद्ध कलाकार श्री मामे खान द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के बीच देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना।

## कला

राजस्थान अपनी प्रसिद्ध कला और शिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक शिल्प, आभूषण, वस्त्र, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन और धातु शिल्प की एक समृद्ध और विविध श्रेणी शामिल है।

### राज्य में कला संरक्षण केन्द्र

**जवाहर कला केंद्र**

जवाहर कला केंद्र, जिसे लोकप्रिय रूप से जेकेके के नाम से जाना जाता है, कला, संस्कृति और विरासत की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। जेकेके एक लोकप्रिय सांस्कृतिक स्थल है जो नए उभरते कला और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए संदर्भ केन्द्र प्रदान करता है।

## रवीन्द्र मंच

रवींद्र मंच, जयपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में रवींद्र मंच में 690 सीटों की क्षमता वाला एक सुसज्जित मुख्य थिएटर, 3,500 दर्शकों की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर और 125 दर्शकों की क्षमता वाला एक मिनी थिएटर है।

इसी क्रम में इस वर्ष टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत रवीन्द्र मंच द्वारा 22 नाटकों का मंचन किया गया है तथा संस्थाओं को आरक्षण प्रदान कर 158 कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

## स्मारकों और स्थलों का संरक्षण

दो महत्त्वपूर्ण विरासत स्थलों झालावाड़ में छनेरी पनेरी देवालय और सिवाना किला (बलोतरा) बाड़मेर में संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास कार्य किए गए। वर्तमान में खेतड़ीफोर्ट, झुंझुनूँ में संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास कार्य प्रगतिरत हैं।

## राजस्थान में पर्यटन पुरस्कार

**1. बेस्ट डेकोरशन एवं डिजाइन पुरस्कार**:- 10 फरवरी, 2024 को इंडिया ओटीएम, मुंबई में प्राप्त हुआ।

**2. क्रिएटिविटी पुरस्कार**:- 30 अप्रैल, 2024 को प्राइम टाइम अवार्ड, 2023 में फिल्म "रोमांस ऑफ राजस्थान" के लिए जीता गया।

**3. सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टीनेशन पुरस्कार:-** 19 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद में गुजरात ट्रैवल फेयर एक्सपो में सम्मानित किया गया।

**4. सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार:-** आरटीडीसी होटल कैसल झूमरबावड़ी, सवाईमाधोपुर को 19 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद में गुजरात ट्रैवल फेयर एक्सपो में यह पुरस्कार मिला।

**5. पिल्ग्रमेज डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार:-** 27 जुलाई, 2024 को बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में प्राप्त किया गया।

**6. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाइ स्टेट पुरस्कार:-** 31 अगस्त, 2024 को भोपाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईआईटीएम) के 39वें वार्षिक सम्मेलन में जीता गया।

**7. द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार:-** 23 अक्टूबर 2024 को पटना में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में प्राप्त हुआ।

**8. ब्राण्ड कैम्पेन ऑफ द ईयर पुरस्कार**:- 1 दिसम्बर, 2024 को पुणे में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में प्राप्त किया गया।

**9. वेडिंग डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार:-** 8 दिसम्बर, 2024 को हैदराबाद में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में प्राप्त किया गया।

## कौशल और प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार ने पर्यटन आतिथ्य उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, गाइडों के लिए विशेष कार्यक्रमों और युवाओं के लिए करियर उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर सुविधाएँ और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य होटल प्रबंधन संस्थानः जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और उदयपुर एवं फूड-क्राफ्ट संस्थान- अजमेर, सुमेरपुर (पाली), बाराँ तथा राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आरआईटीटीएमएएन) की स्थापना जयपुर में कुशल और पेशेवर मानव संसाधन तैयार करने के लिए की है।

## पर्यटक सहायता बल

राजस्थान में पर्यटकों, विशेष रूप से महिला पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने 15 फरवरी, 2024 से प्रभावी पर्यटक सहायता बल अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने, दलालों और असामाजिक तत्त्वों पर कार्रवाई करना है। इस अभियान के तहत, 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों द्वारा पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। ये कर्मी पर्यटन स्थलों की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

## धार्मिक पर्यटन की सुविधा

राजस्थान सरकार धार्मिक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रयासरत है। वर्तमान में, 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार तथा 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिरों और संस्थानों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के अधीन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य के मंदिरों की भी निगरानी की जाती है।

## प्रमुख योजनाएँ

**वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना:** राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वैष्णोदेवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरूपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवणबेलगोला, सम्मेदशिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन ट्रेन और पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क यात्रा एवं दर्शन सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 (जनवरी, 2025 तक) कुल 23,123 (ट्रेन द्वारा 21,321 और हवाई जहाज द्वारा 1,802) तीर्थयात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई गई है। उक्त यात्रा पर कुल ₹65.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

**सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजना:** इस योजना के तहत कुल यात्रा व्यय के अधिकतम 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जाती है। प्रति तीर्थयात्री ₹15,000 प्रदान किए जाते हैं, वर्ष 2024-25 (जनवरी, 2025 तक) में इस योजना में प्रतिपूर्ति के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए।

# सेवाएं

## राजस्थान में सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएँ तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ एवं लोक सेवाएँ सम्मिलित हैं।

| राजस्थान में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) | 2023-24 | 2024-25 | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|
| **स्थिर (2011-12) मूल्यों पर** | ₹3.45 **लाख करोड़** | ₹3.70 **लाख करोड़** | 7.38% |
| **प्रचलित मूल्यों पर** | ₹6.42 **लाख करोड़** | ₹7.21 **लाख करोड़** | 12.29% |

**राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में सेवा क्षेत्र का योगदान :**

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024-25 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.92 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

**राजस्थान के सेवा क्षेत्र में उपक्षेत्रों का योगदान (2024-25)**

| क्र.सं. | उपक्षेत्र | सेवा क्षेत्र के GVA में योगदान | वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर |
|---|---|---|---|
| 1. | व्यापार, होटल और जलपान गृह | 27.83% | 6.83% |
| 2. | स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएँ | 23.11% | 5.13% |
| 3. | अन्य सेवाएँ | 20.61% | 10.84% |
| 4. | परिवहन, भंडारण एवं संचार | 10.39% | 5.87% |
| 5. | वित्तीय सेवाएँ | 10.96% | 7.30% |
| 6. | लोक प्रशासन सेवाएँ | 7.10% | 10.55% |

❑ ❑ ❑ ❑

## अध्याय: 07 सतत् व हरित विकास

### सतत् विकास

राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भू-भाग का 10.41 प्रतिशत है तथा इसकी जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 5.66 प्रतिशत है, परन्तु राज्य में देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.16 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। राज्य में देश के कुल पशुधन का 10.6 प्रतिशत उपलब्ध है। राजस्थान के भू-भाग का 60 प्रतिशत से अधिक भाग थार मरुस्थल का हिस्सा है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के साथ-साथ सतत एवं हरित विकास राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

### सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्य एजेंडा- 2030 को वर्ष 2015 में अपनाया गया, जिसमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति एवं न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 17 सतत् विकास लक्ष्य एवं उनके 169 टार्गेट्स सम्मिलित हैं। सतत् विकास लक्ष्य सभी को बेहतर तथा और अधिक संधारणीय भविष्य प्रदान करने की एक रूपरेखा है। एस.डी.जी. एजेंडा, 5P यथा People (आमजन), Planet (पृथ्वी), Prosperity (समृद्धि), Peace (शांति) एवं Partnership (भागीदारी) पर केंद्रित एक कार्य योजना है। वर्ष 2030 के इस वैश्विक एजेंडे के मूल में 'किसी को भी पीछे न छोड़ना' का सिद्धांत है।

**सतत् विकास लक्ष्य**

**1. गरीबी का अंत (No Poverty)**
**2. भूखमरी समाप्त करना (Zero Hunger)**
**3. आरोग्य एवं कल्याण (Good Health and Well-being)**
**4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)**
**5. लैंगिक समानता (Gender Equality)**
**6. शुद्ध जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)**
**7. किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)**
**8. सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास (Decent Work and Economic Growth)**
**9. उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना (Industry, Innovation, and Infrastructure)**
**10. असमानताओं में कमी लाना (Reduced Inequality)**
**11. संधारणीय शहर एवं समुदाय (Sustainable Cities and Communities)**
**12. उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन (Responsible Consumption and Production)**
**13. जलवायु कार्रवाई (Climate Action)**
**14. जलीय जीवन (Life Below Water)**
**15. स्थलीय जीवन (Life on Land)**
**16. शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं (Peace, Justice, and Strong Institutions)**
**17. लक्ष्यों के लिए साझेदारियाँ (Partnerships for the Goals)**

### सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को आगे बढ़ा रहा है तथा संस्थागत, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं समीक्षा प्रणाली विकसित किये जाने हेतु राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नीति आयोग ने सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए सिविल सोसायटीज् एवं निजी क्षेत्र की भी सुदृढ़ भागीदारी सुनिश्चित की है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) विकसित करने एवं उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सतत् विकास लक्ष्यों एवं संबंधित लक्ष्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है। वर्तमान में, नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए 290 संकेतक सम्मिलित हैं। मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की सुविधा एवं सहायता के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) के विकास हेतु दिशा-निर्देश विकसित एवं प्रसारित किए हैं।

## एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग की एस.डी.जी. पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने की एक पहल है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में, समग्र स्कोर 0 से 100 की सीमा में होता है तथा जो राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी समग्र उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों यथा अचीवर (Achiever), फ्रंट रनर (Front-Runner), परफॉर्मर (Performer) एवं एस्पिरेंट (Aspirant) में वर्गीकृत किया गया है। 100 के स्कोर वाले किसी भी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश को अचीवर, 65 के बराबर या अधिक और 100 से कम स्कोर को फ्रंट रनर, 50 के बराबर या अधिक और 65 से कम स्कोर को परफॉर्मर तथा 50 से कम स्कोर वालों को एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

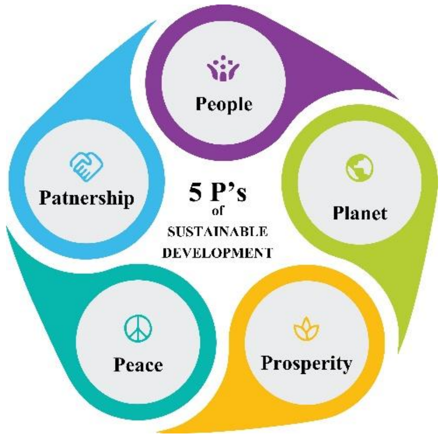


- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया, जिसमें 13 सतत् विकास लक्ष्यों के 62 संकेतकों का उपयोग किया गया है, इंडेक्स का द्वितीय संस्करण दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया, जिसमें 16 लक्ष्यों के 100 संकेतकों का उपयोग किया गया है तथा इंडेक्स का तृतीय संस्करण मार्च, 2021 में जारी किया गया, जिसमें 16 लक्ष्यों के कुल 115 संकेतकों का उपयोग किया गया है।
- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का नवीनतम चतुर्थ संस्करण जुलाई, 2024 में जारी किया गया, जिसकी गणना 16 लक्ष्यों के 113 संकेतकों के आधार पर की गई है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2023-24 (4.0) में, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 के 66 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया है, जो यह संकेत करता है कि देश ने सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने की यात्रा में समग्र रूप से आगे की ओर प्रगति की है।

## राजस्थान की प्रगति

राजस्थान का समग्र एस.डी.जी. स्कोर वर्ष 2020-21 के 60 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67 रहा है, जिससे राज्य की स्थिति परफॉर्मर से फ्रंट-रनर श्रेणी में हुई है, जो कि उल्लेखनीय है। राज्य ने 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित कर एस.डी.जी.-7 (स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा) में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके साथ ही लक्ष्य 1 (गरीबी का अंत) तथा लक्ष्य 12 (उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन) में भी प्रगति हुई है। प्रगति के बावजूद, लैंगिक समानता प्राप्त करना (लक्ष्य 5) एवं असमानताओं को कम करना (लक्ष्य 10) जैसे क्षेत्रों में राज्य को ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

## संस्थागत तंत्र

राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के लिए आयोजना विभाग नोडल विभाग है। राज्य द्वारा एस.डी.जी. की प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु तथा डेटा-आधारित नीतिगत निर्णयों में सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) में एक सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केंद्र की स्थापना की गई है।

- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, आवधिक समीक्षा एवं उपलब्धियों के आंकलन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

**सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केन्द्र**

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किये गये सतत् प्रयासों और पहलों के अनुसरण में राज्य में सतत् विकास लक्ष्य-2030 को प्रभावी रूप से लागू करने एवं अर्जित करने के लिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन में सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) व डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.) के विकास एवं नियमित अद्यतन, राजस्थान सतत् विकास लक्ष्य स्टेट्स रिपोर्ट का प्रकाशन तथा राजस्थान सतत् विकास लक्ष्य सूचकांकों के निर्माण के माध्यम से राज्य की प्रगति और यात्रा की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहा है।

## मॉनिटरिंग एवं प्रकाशन

राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) विकसित किया गया है। एस.आई.एफ. 2.0 के नवीनतम संस्करण में कुल 330 संकेतक शामिल हैं।

- राज्य द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने के लिए 'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट' के 6 संस्करण जारी किये गये हैं। राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट का पहला संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था तथा नवीनतम छठा संस्करण मार्च, 2024 में जारी किया गया है।
- जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग एवं प्रगति को मापने हेतु डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.) विकसित किया गया है। संस्करण 2.0 में कुल 226 संकेतक शामिल हैं।
- राज्य के जिलों के मध्य सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने एवं क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए, जिलेवार राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक विकसित किये गये हैं। इस सूचकांक का नवीनतम 5वाँ संस्करण मार्च, 2024 में जारी किया गया है, जिसमें जिला झुंझुनूँ 66.44 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है तथा जिला जैसलमेर 50.63 के समग्र स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर रहा है।
- आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय ने हितधारकों से विस्तृत लक्ष्यवार प्रगति और स्थिति साझा करने के प्रयासों के रूप में एक त्रैमासिक एस.डी.जी. बुलेटिन प्रकाशित करना प्रारम्भ किया है। बुलेटिन का प्रथम संस्करण त्रैमास जुलाई-सितंबर, 2024, लक्ष्य-1 (गरीबी का अंत) तथा बुलेटिन का द्वितीय संस्करण त्रैमास अक्टूबर-दिसंबर, 2024, लक्ष्य-2 (भूखमरी समाप्त करना) पर जारी किया गया है।

## राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों पर जिलों के प्रदर्शन को मापना और एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिए जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करना है। इंडेक्स में स्कोर की गणना करने एवं जिलों के प्रदर्शन को वर्गीकृत करने के लिए नीति आयोग के एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में प्रयुक्त पद्धति को अपनाया गया है।

- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स -1.0, वर्ष 2020 में जारी किया गया, जिसमें 12 लक्ष्यों के 31 संकेतक सम्मिलित थे।
- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का द्वितीय संस्करण मार्च, 2021 में जारी किया गया, जिसकी गणना 13 लक्ष्यों के 55 संकेतकों पर की गई है।
- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का तृतीय संस्करण मार्च, 2022 में जारी किया गया, जिसकी गणना 14 लक्ष्यों के 75 संकेतकों पर की गई है।
- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का चतुर्थ संस्करण अप्रैल, 2023 में जारी किया गया, जो 14 लक्ष्यों के 83 संकेतकों पर बनाया गया है।

- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का नवीनतम पंचम संस्करण 14 लक्ष्यों के 95 संकेतकों पर बनाया गया है। इस सूचकांक में 66.44 स्कोर के साथ झुंझुनूँ जिला शीर्ष पर तथा नागौर एवं सीकर जिले क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिला जैसलमेर सबसे निचले स्थान पर रहा है।

| संस्करण | वर्ष | लक्ष्य | संकेतक |
|---|---|---|---|
| **प्रथम** | 2020 | 12 | 31 |
| **द्वितीय** | मार्च, 2021 | 13 | 55 |
| **तृतीय** | मार्च, 2022 | 14 | 75 |
| **चतुर्थ** | अप्रैल, 2023 | 14 | 83 |
| **पंचम (नवीनतम)** | 2024 | 14 | 95 |

**पंचम संस्करण स्कोर (66.44)**

**शीर्ष**
**(1) झुंझुनू**
**(2) नागौर**
**(3) सीकर**

**निम्नतम**
**जैसलमेर**

## हरित विकास

भारत के निम्न-कार्बन एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की यात्रा में राजस्थान को एक प्रमुख भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 के अन्तर्गत वर्ष 2029-30 तक के लिए 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

### हरित विकास के लिए प्रमुख नीतियां

- राज्य ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की है। इसे भारत की वर्ष 2070 तक के शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रतिबद्धता से संबंद्ध किया गया है।
- राज्य में ई-वेस्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, ई-वेस्ट प्रबंधन नीति-2023 जारी की गई है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन नीति-2023 जारी की गई है।
- सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आर.ई.वी.पी.)-2022 अगले पाँच वर्षों के लिए जारी की गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के अन्तर्गत ₹200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रोत्साहन कोष स्थापित करने हेतु 14 नवम्बर, 2024 को आदेश जारी किये गये।

### वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र संबंधी प्रमुख योजनाएं

राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,014 वर्ग कि.मी. है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.64 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वन क्षेत्र को वैद्यानिक दृष्टि से आरक्षित वन, रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 36.95, 56.43 एवं 6.62 प्रतिशत है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट-2023 के अनुसार राज्य का वनावरण 16,548.21 वर्ग कि.मी. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत) है, वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग कि.मी. है, अतः राज्य का कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 27,389.33 वर्ग किमी. है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है।

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत, मेरी लाइफ पोर्टल (merilife.nic.in) के अनुसार, राज्य द्वारा 3 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 5. 62 करोड़ पौधारोपण किया गया।

- राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीवाइल्डिंग मिशन के अन्तर्गत, वर्ष 2023-24 में 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान' (टी.ओ.एफ.आर.) योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ाना है। इनमें से 1 करोड़ पौधे गोचर, ओरण तथा घास के मैदानों के लिए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के लिए तथा 3 करोड़ पौधे घरों एवं खेतों में लगाने हेतु सार्वजनिक वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं।
- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी, जिनमें मनोरंजन गतिविधियाँ, पैदल पथ, जलाशय, पक्षी दर्शन आदि की सुविधाएँ होंगी।
- बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक 1,18,369.29 हेक्टेयर सार्वजनिक एवं वन भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, जो कि लक्षित क्षेत्र 80,297 हेक्टेयर के विरूद्ध 147.41 प्रतिशत है। कुल 578.67 लाख पौधे रोपे गए, जो कि लक्ष्य 521.93 लाख के विरूद्ध 110.87 प्रतिशत है।
- संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 6,508 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों (वी.एफ.पी.एम.सी.) /पारिस्थितिकी विकास समितियों द्वारा वन भूमि के 14.94 लाख हेक्टेयर की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जा रहा है।
- वर्ल्ड फोरेस्ट्री अर्बोरेटम, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर में वनस्पति उद्यान विकसित किए जा रहे हैं।
- राज्य में 91 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (45 मैनुअल स्टेशन एवं 46 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन) स्थापित किये गये हैं।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली जयपुर में क्रियाशील है।

## अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ

**1) राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024:** यह अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने, अभिनव संग्रहण समाधानों को एकीकृत करने तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह आगे की सोच वाली नीति, भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को अर्जित करने के साथ संबद्ध है। नीति की रणनीतिक अवधि मार्च, 2030 तक अथवा अन्य नीति द्वारा इसके प्रतिस्थापन किये जाने तक बढाई गई है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.) को नीति के क्रियान्वयन, परियोजना पंजीकरण, अनुमोदन एवं समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष 2029-30 के लिए राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य

| क्र.सं. | अक्षय ऊर्जा का प्रकार | लक्ष्य क्षमता (2029–30) |
|---|---|---|
| 1 | सौर | 90,000 मेगावाट |
| 2 | पवन और हाइब्रिड | 25,000 मेगावाट |
| 3 | हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (पी.एस.पी.), बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली | 10,000 मेगावाट |
| **कुल** | | **1,25,000 मेगावाट** |

**2) पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ घरों में सौर संयंत्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए) के अनुदान का प्रावधान है। राजस्थान में, 5 लाख घरों में सौर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य है। यह योजना रूफटॉप सौर संयंत्रों के लिए सब्सिडी, रियायती बैंक ब्याज दरें प्रदान करती है तथा पंजीकरण, अनुमोदन एवं अनुदान संवितरण हेतु एक पूर्णतया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।

**3) पी.एम. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम):** राज्य में भारत सरकार की कुसुम योजना को किसानों को ऑफ-ग्रिड सौलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहयोग देने हेतु अपनाया गया है। पीएम-कुसुम योजना (घटक-ए, चरण-1) के अन्तर्गत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आर.आर.ई.सी.एल.) द्वारा 307.75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। पीएम-कुसुम योजना (घटक-ए, चरण-II) के तहत, सभी तीनों डिस्कॉम्स ने सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी की है। घटक-सी (फीडर लेवल सौलराईजेशन) के अंतर्गत, एक या अधिक पृथक कृषि फीडरों की वार्षिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता वाले ग्रिड से संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

**4) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) के नवाचार:** कंपनी पवन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। जैसलमेर में 106.30 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले पवन ऊर्जा फार्म आठ चरणों में स्थापित किए गए हैं। पवन फार्मों की प्रति वर्ष लगभग 1300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है।

## अन्य नवाचार और योजनाएँ

**1) राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (आर.ई.वी.पी.) - 2022:** यह आगामी पाँच वर्षों के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ सतत् परिवहन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2024-25 के लिए एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति हेतु ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढावा देता है।

**2) ग्रीन रेटिंग स्कीम:** उद्योगों को पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित करने के लिए ग्रीन रेटिंग योजना शुरू की गई थी। दिनांक 21 अगस्त, 2024 को स्वास्थ्य सुविधाओं, होटलों तथा आवासीय परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। रेटिंग के आधार पर, प्रयोज्य शुल्क कम कर दिए जाते हैं एवं सहमति की वैधता में एक वर्ष तक का विस्तार किया जाता है।

**2) पेपरलेस सुशासन:** पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने और आई.टी. को शासन से एकीकृत करने के लिए, राज्य ने राज-काज पोर्टल (ई-फाइल सिस्टम) शुरू किया है, जो पेपरलेस व्यवस्था की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य समय की बचत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित करना है, जो अंततः शासन की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। राज-काज ई-ऑफिस सिस्टम पर दिसम्बर, 2024 तक 77 प्रशासनिक विभागों के 56,500 से अधिक कार्यालयों में 9.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं तथा दिसम्बर, 2024 तक 28.8 लाख से अधिक फाइलें इसमें बनाई जा चुकी हैं।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

## अध्याय: 08 मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य

## शिक्षा

### स्कूली शिक्षा

राज्य में 45,531 राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 19,739 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।राजकीय विद्यालयों में छात्रों की कुल नामांकन 76.76 लाख है। विद्यार्थियों को रोज़गार एवं उद्यमिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वर्तमान में 19,739 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 1,368 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं।

**स्कूली शिक्षा के तहत उन्नत पहल**

**माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति** अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कक्षा छठी से 12वीं तक प्रदान की जाती है। पात्र छात्र जो कक्षा 5वीं पास कर चुके होते हैं, एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं और राज्य सरकार द्वारा चुने गए राज्य के प्रतिष्ठित आवासीय निजी विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। इस योजना के तहत प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवास, भोजन और अन्य खर्च शामिल होते हैं। पात्र होने के लिए छात्रों को कक्षा छठी से कक्षा 11वीं तक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

**निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना** के तहत राजकीय विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों, कक्षा-9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा वे छात्र जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, जयपुर के माध्यम से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

**महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)** राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों को महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। 1,033 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं आरम्भ किये जाने के क्रम में दिसम्बर, 2024 तक कुल 1,010 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाएं संचालित हैं। इस प्रकार वर्ष 2024-25 में (दिसम्बर, 2024 तक) राज्य में कुल 3,737 महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं, इन विद्यालयों में कुल छात्र नामांकन 4,95,044 है। सत्र 2024-25 के लिए इन विद्यालयों में औसत नामांकन 132 रहा है।

**गार्गी पुरस्कार योजना** वे छात्राएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं एवं जो कक्षा 11वीं और 12वीं में नियमित रूप से अध्ययन करती हैं, उन्हें प्रति वर्ष ₹3,000 और एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

**बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना** के तहत, वे छात्राएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उन्हें ₹5,000 एवं एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

**निःशुल्क टैबलेट्स:** डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए, 2023-24 में 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को इंटरनेट कनेक्शन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट्स निःशुल्क प्रदान किये गये हैं।

**राजकीय विद्यालयों में शिक्षा स्तर अनुसार नामांकन, शिक्षक संख्या एवं छात्र-शिक्षक अनुपात (2024-25)**

| शिक्षा स्तर | छात्र नामांकन | शिक्षक संख्या | छात्र-शिक्षक अनुपात | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसित अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| **प्राथमिक शिक्षा** | 24.30 **लाख** | 1.76 **लाख** | 14:1 | 30:1 |
| **माध्यमिक शिक्षा** | 52.46 **लाख** | 2.33 **लाख** | 22:1 | 30:1 |

- वर्ष 2023-24 में गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के लिए राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 7.7 प्रतिशत अंकों की कमी, उच्च प्राथमिक के लिए 2.8 प्रतिशत अंकों की कमी तथा उच्च माध्यमिक के लिए 4.6 प्रतिशत अंकों की कमी देखी गई है।
- साथ ही, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) क्रमशः 20, 12, 11 एवं 15 था, जिसमें गत वर्ष 2022-23 की तुलना में इस अनुपात में स्पष्ट सुधार देखा गया है।
- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में प्रवेश दर 78.1 (2022-23) से बढ़कर 82.6 (2023-24) हुई है, जबकि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में प्रवेश दर 93.0 (2022-23) से घटकर 90.7 (2023-24) हुई है।
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-8) वर्ष 2023-24 के लिए, ठहराव दर 67.9 (2022-23) से बढ़कर 75.3 (2023-24) हो गई है। दूसरी ओर प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) के लिए, यह 85.5 (2022-23) से घटकर 82.5 (2023-24) हो गई है, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, ठहराव दर 48.9 (2023-24) पर उल्लेखनीय रूप से कम है, जो सुधार के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को उजागर करता है, खासकर जब छात्र उच्च माध्यमिक से उच्च शिक्षा स्तर पर ठहराव करते हैं।
- प्राथमिक स्तर के लिए, राज्य की ड्रॉपआउट दर 4.4 (2022-23) से बढ़कर 7.6 (2023-24) हो गई एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, राज्य की ड्रॉपआउट दर 5.7 (2022-23) से बढ़कर 6.8 (2023-24) हो गई। माध्यमिक स्तर के लिए, राज्य की ड्रॉपआउट दर 11.9 (2022-23) से घटकर 11.1 (2023-24) हो गई।

**सकल नामांकन अनुपात:** स्कूली शिक्षा के किसी विशेष स्तर में कुल नामांकन, आयु की परवाह किए बिना, आधिकारिक आयु-समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर के अनुरूप होता है।
**छात्र-शिक्षक अनुपात:** छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) किसी दिए गए स्कूल वर्ष में प्रति शिक्षक (शिक्षा के उस स्तर पर पढ़ाने वाले) छात्रों (शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर पर) की औसत संख्या है।
**प्रवेश दर :** उन छात्रों का अनुपात जो एक शैक्षिक स्तर के अंतिम ग्रेड से अगले स्तर के पहले ग्रेड में प्रवेश करते हैं।
**ठहराव दर:** किसी दिए गए स्कूल वर्ष में शिक्षा के किसी दिए गए स्तर की पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों (या स्कूलों) के समूह का प्रतिशत, जिनके उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुँचने की उम्मीद है।
**ड्रॉपआउट दर:** किसी दिए गए स्कूल वर्ष में किसी दिए गए स्तर में नामांकित समूह के विद्यार्थियों का अनुपात, जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं हैं।

## समग्र शिक्षा

### प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

वर्तमान में, आँगनबाडी सेवाओं के अंतर्गत 62,020 आँगनबाडी केन्द्रों में 3-6 वर्ष आयु वर्ग के 16.18 लाख बच्चे पूर्व-विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

### निपुण भारत मिशन

निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा-2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

- वर्ष 2024-25 में प्रति छात्र ₹300 गतिविधि-आधारित शिक्षण के लिए एवं कला कौशल में सुधार के लिए कला किट, गतिविधि-आधारित शिक्षण (एबीएल) किट निपुण भारत मिशन मद के तहत निपुण मेला आयोजित करने हेतु प्रदान किया जाता है।

- निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये, कक्षा 1-5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर समझ विकसित करने के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अन्तर्गत 198 राज्य सन्दर्भ व्यक्तियों (एस.आर.पी.) एवं 2,872 मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। कक्षा 1-5 में अध्यापन कराने वाले 1,36,261 शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं कक्षा कक्षीय अभ्यास प्रक्रिया के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- समसा (समग्र शिक्षा अभियान) द्वारा संचालित गतिविधियों पर समझ विकसित करने एवं नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए राज्य के 11,751 पीईईओ / यूसीईईओ के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। समग्र शिक्षा द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण, लाइब्रेरियन एवं लैब सहायकों के प्रशिक्षण के लिए एसआरजी प्रशिक्षण भी आयोजित किये है।
- विद्यार्थियों के अधिगम अन्तराल को कम करने के लिए कक्षा 3-8 के विद्यार्थियों को हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी तथा कक्षा 9 से 10 की गणित एवं विज्ञान की कार्यपुस्तिकाएँ परिषद स्तर से मुद्रण कराकर उपलब्ध कराई गई, जिसका विद्यार्थियों द्वारा नियमित उपयोग किया गया है। कक्षा 3-10 की कार्यपुस्तिकाओं हेतु स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट (स्टारस) परियोजना 2024-25 में राशि अनुमोदित है।

**पहुँच एवं ठहराव**

**स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल:** शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की शुरुआत की गई है। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध हैं एवं इनका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम लाभ प्रदान करना है। इस संबंध में बालिकाओं के लिए कम से कम 55 प्रतिशत सीट आरक्षित करके प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। इन मॉडल स्कूलों में अपनाया गया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। राज्य के 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय कक्षा 01-12 तक संचालित है।

**मेवात बालिका आवासीय विद्यालय:** शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़े मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए राज्य में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। अलवर जिले में इन मेवात छात्रावासों का निर्माण मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। वर्ष 2024-25 में इन छात्रावासों में कुल प्रवेश क्षमता 1,000 बालिकाओं के विरूद्ध 722 बालिकाएँ नामांकित है।

- 7 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कभी नामांकन नहीं कराया है, जो बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवासीय / गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर जिला / ब्लॉक एवं क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी) स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।
- कुछ जिलों में लोग आजीविका के लिए दूसरे जिलों एवं राज्यों में पलायन करते समय अक्सर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रवासी अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा सीजनल छात्रावास स्थापित किए गये हैं।
- अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालोर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं कोटा (जिन गाँवों या बस्तियों में आबादी बहुत बिखरी हुई है, जो विद्यालय खोलने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं) में केजीबीवी मॉडल प्रथम के अनुसार कक्षा छठी से आठवीं के लिए आवासीय विद्यालय / छात्रावास चलाए जा रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय उन छात्रों और छात्राओं के लिए भी खोले जा रहे हैं जो बेघर, गरीब, अनाथ हैं एवं जिनके पास कक्षा 5वीं के बाद कोई सहारा नहीं है। कक्षा 5वीं के बाद, दूरस्थ क्षेत्र वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कई छात्र एवं छात्राएं बीच में ही विद्यालय छोड़ देते है। ऐसे छात्रों के लिए कुल 11 आवासीय छात्रावास (7 बालकों एवं 4 बालिकाओं के लिए) स्थापित किए गए हैं।

- सभी छात्रों के लिए विद्यालय तक सुरक्षित और विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों एवं कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओ को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा परिवहन वाउचर दिये जाते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय से 1 किमी. दूर रहते है एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय से 2 किमी. दूर रहते हैं, को परिवहन वाउचर जारी किए जाते हैं। कक्षा 9 से 10 तक की उन छात्राओं परिवहन वाउचर जारी किए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय / ब्लॉक से 5 किमी. से अधिक दूर रहती हैं तथा गाँवों में परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अपने निवास से 5 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित शहरी विद्यालयों में पढ़ रही हैं।

**शिक्षा में आधारभूत ढाँचे का विकास**

**ज्ञान संकल्प पोर्टल:** राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा **ज्ञान संकल्प पोर्टल** बनाया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भामाशाहों / दान दाताओं / औद्योगिक संगठनों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दानदाता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विकास कार्य में शामिल होकर सीधे सहयोग कर सकते हैं।

**गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप**

**जादूई पिटारा:** नई पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों के माध्यम से छात्रों के लिए सीखने के अनुभव एवं परिणामों को बढ़ाने के लिए, जादूई पिटारा एक अभिनव खेल-आधारित शिक्षण सामग्री है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत विकसित, इस जादुई संग्रह में प्लेबुक, खिलौने, पहेलियाँ, पोस्टर, फ्लैशकार्ड एवं कहानी की किताबें शामिल हैं जो स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को दर्शाती हैं। यह 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध और दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से उपलब्ध है।

**कला महोत्सव**: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना) में कला उत्सव (कला महोत्सव) का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान से कुल 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

**प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना:** वर्ष 2022 में लागू की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ, सौलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण व संचयन को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किये जायेंगे। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक / यूएलबी से दो विद्यालयों (एक माध्यमिक शिक्षा व एक प्रारम्भिक शिक्षा से) का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया। पीएमश्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान से 402 विद्यालयों एवं द्वितीय चरण में राजस्थान से 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें लगभग 3.15 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 639 पीएम श्री विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के 84, माध्यमिक शिक्षा के 554 एवं 01 संस्कृत शिक्षा का विद्यालय है।

**बालिका शिक्षा को बढ़ावा:**

- राज्य में 342 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं एवं इन विद्यालयों में 43,543 बालिकाएँ शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत हैं। कभी नामांकित न होने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं को केजीबीवी में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

- किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम हेतु जिलों को कुल ₹866.30 लाख जारी किए गए है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जा रही है :-
- विज्ञान एवं गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने एवं रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शैक्षणिक किशोरी मेले का आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25-30 शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए। माह अक्टूबर, 2024 में 10,259 पीईईओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया।
- बालिकाओं की शिक्षा, नामांकन एवं ठहराव को बढावा देने के लिए परिवारों और समुदायों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मीना-राजू और गार्गी मंच का गठन किया गया है। मीना राजू मंच का गठन 18,550 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है, जिसमें कक्षा छठी से 8वीं तक की छात्राएं शामिल हैं एवं गार्गी मंच का गठन 17,418 माध्यमिक विद्यालयों में किया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं शामिल हैं।

### समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को मुख्यधारा में लाना एवं सामाजिक बनाना समावेशी शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है। एक नवाचार के रूप में, दो राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जयपुर एवं उदयपुर की स्थापना की गई, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाएँ दी गई।

### शिक्षकों का क्षमता निर्माण

विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन को सुधारने के उद्देश्य से स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट (स्टार्स) परियोजना वर्ष 2020-21 से समग्र शिक्षा के माध्यम से भारत के छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं केरल में शुरू की गई। योजना में केन्द्र एवं राज्य का वित्त सहभागिता अनुपात 60:40 हैं। विश्व बैंक द्वारा इस योजना अंतर्गत भारत सरकार को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। विश्व बैंक भारतीय विद्यालयों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के साथ-साथ विद्यालयों के प्रशासन एवं विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

### आईसीटी और डिजिटल पहल

स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण) स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, जहाँ सभी राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है और नियमित रूप से अपडेट की जाती है।

### सामुदायिक गतिशीलता

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) / स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना एवं क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी / एसडीएमसी (प्रत्येक विद्यालय में 5 अभिभावक सदस्य व 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

## साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

### वयस्क साक्षरता कार्यक्रम

**नवभारत साक्षरता कार्यक्रम**: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना "नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" लागू की जा रही है। प्राथमिक कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में यूडीआईएसई कोड के तहत पंजीकृत स्कूलों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवक-आधारित अभियान का उपयोग करके, इस योजना के तहत 15. 25 लाख शिक्षार्थियों और 0.89 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास एप द्वारा ऑनलाइन मोड में किया गया है।

- शिक्षा को सुलभ, लचीला बनाने एवं कहीं से भी, कभी भी सीखने के उद्देश्य से, साक्षरता विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर, 2023 के अवसर पर दो यू-ट्यूब चैनल, ई-साक्षरता एवं साक्षर राजस्थान लॉन्च किए हैं, ताकि राज्य के छात्रों के बीच ई-क्लासेज की सुविधा मिल सके।

- नव-साक्षरों को शिक्षा की सुविधा हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित हो रहे महात्मा गाँधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों की संख्या वर्ष 2022-23 में 8,870 से बढ़ाकर 14,970 की गई। आर्वतक व्यय हेतु ₹500 प्रति पुस्तकालय प्रति माह व्यय किए जा रहे हैं।

### महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम

**महिला शिक्षण विहार आवासीय विद्यालय**: वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में महिला शिक्षण विहार आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। यह विद्यालय 15 से 30 वर्ष की आयु की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में यह कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है, जहाँ 100 महिलाओं को नामांकित किया गया है।

## उच्च शिक्षा

### उच्च शिक्षा में समावेश

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति करते हुये, आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा / परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना लागू की गई है।
- राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना की पेशकश कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य उन लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करना है जो कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं।
- मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो मेधावी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत जिन मेधावी छात्राओं ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, उन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है।
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना राज्य में छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने एवं राज्य की कम महिला साक्षरता दर को दूर करने के लिए देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य शैक्षिक स्तर को बढ़ाना एवं निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करना है।

### राजस्थान में तकनीकी शिक्षा

- राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)- जोधपुर आईआईआईटी-कोटा, एमएनआईटी जयपुर तथा भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.)- उदयपुर संचालित हैं।
- राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल रोज़गार एवं उद्यमिता (एसईई) विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण युवा उद्योगों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं व राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में कुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, मण्डोर (जोधपुर), कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बाँसवाड़ा में स्वीकृत हैं।

## चिकित्सा शिक्षा

- राज्य में दिसम्बर, 2024 तक 43 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर. यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 22 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई. एस. आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व शेष 12 निजी क्षेत्र में हैं।
- 15 नये मेड़िकल कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रति मेडिकल कॉलेज अनुमानित राशि ₹325 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है।

## संस्कृत शिक्षा

- राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहाँ वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है एवं वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। संस्कृत निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अपनी संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है।
- राज्य में "राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (SSIERT) महापुरा, जयपुर में संचालित है। यह संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों की कक्षा 1-12 के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, सेवारत शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाना, संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य के लिए तैयार करना इत्यादि कार्य कर रहा हैं।

## भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई है। जयपुर में राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय ने पहली बार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में आरएफआईडी प्रणाली शुरू की है।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- राज्य के हर क्षेत्र से नवाचारों की पहचान, प्रचार, नवाचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए राज्य इनोवेशन काउंसिल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउण्डेशन, भारत सरकार के बीच 20 जून, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- कार्य-2024, कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में फैलोशिप प्रदान करने के लिए 38 विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया गया है।
- 22 अक्टूबर, 2024 को राज्य नवाचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर इनोवेशन सेंटर और एआईसीटीई के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से पेटेंट फाइलिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 12 नवम्बर, 2024 को स्टार्ट-अप प्री-समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें आईआईटी जोधपुर एवं परिपत्रम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में निवेश के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र, जोधपुर राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाएँ बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं अन्य आधारभूत ढाँचे से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाता है।
- विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

## स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण

राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के अनुसार चिकित्सा संरचना को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। राजस्थान सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी बनाना है। दिसम्बर, 2024 तक, राजस्थान में 6.20 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाई गई और इन आईडी से 88.67 लाख से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोडे गये है।

### सार्वभौमिक स्वास्थ्य

**राजस्थान में नवजात मृत्यु दर (NNMR)** 2015-16 में प्रति हजार जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 2020-21 में 20.2 हो गई है। राजस्थान की नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) अब 2020-21 में राष्ट्रीय औसत 24.9 से कम है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने नवजात शिशुओं के जीवित रहने की दर में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। NFHS-4 से NFHS-5 तक का सुधार राज्य में नवजात मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

**राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)** के अनुसार, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 11 अंकों की महत्त्वपूर्ण गिरावट के साथ 2015-16 में 41.3 से घटकर 2020-21 में 30.3 रह गई है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) अब 2020-21 के लिए राष्ट्रीय औसत 35.2 से कम है।

**राजस्थान में पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (U-5MR)** में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो 2015-16 में प्रति हजार जीवित जन्म पर 50.7 थी, वह 2020-21 में घटकर 37.6 हो गई है। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) के आँकड़ों से 13.1 अंक की प्रभावशाली कमी दर्शाती है। 2020-21 के दौरान, राजस्थान की U-5MR राष्ट्रीय औसत 41.9 से कम हो गई है।

**राजस्थान में संस्थागत जन्म का प्रतिशत** 2015-16 में 84.0 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 94.9 प्रतिशत हो गया, जो कि राष्ट्रीय औसत 88.6 प्रतिशत से अधिक है।

**गर्भवती महिलाओं (15-49 वर्ष) में खून की कमी (एनीमिया)** का प्रसार 2015-16 और 2020-21 के बीच 0.3 अंकों से घटा है। यह राष्ट्रीय औसत से 5.9 अंक कम है।

**राजस्थान में कुल प्रजनन दर (TFR)** 2020-21 में घटकर 2.0 हो गई है, जो 2015-16 से 0.4 अंकों की कमी को दर्शाता है। यह दर अब 2020-21 के राष्ट्रीय औसत 2.0 के अनुरूप है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर लगभग 2.1 है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिससे जनसंख्या न बढ़ती है और न घटती है।

**नमूना पंजीकरण प्रणाली** (SRS) डेटा के अनुसार, 2017-2019 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 141 से घटकर 2018-2020 में 113 हो गई है। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर 113 अभी भी इसी अवधि के लिए अखिल भारतीय औसत 97 से अधिक है।

## राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना

नवम्बर, 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कर दिया है। अगले 5 वर्षों में, राज्य सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में क्रियाशील बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। राज्य में कुल 9,259 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यरत हैं।

**सभी के लिए स्वास्थ्य**

- राजस्थान ने "सभी के लिए स्वास्थ्य" की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके लिए राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम-2023 लागू किया गया है, जो कानूनी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है। , राज्य में **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना** लागू की गई, जो परिवारों को उच्च आउट-ऑफ पॉकेट-खर्च (ओओपीई) से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
- वर्तमान में इस योजना में लगभग 1.33 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), छोटे और सीमांत किसानों, संविदा श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों, वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से अधिक आयु वाले) और कोविड़-19 से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। शेष आबादी ₹850 प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं, शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के नये चरण में प्रति परिवार ₹1,965 का प्रीमियम निर्धारित किया गया, जो योजना में 1,819 पैकेजों को कवर करता है, जिनमें से 1,761 पैकेज बीमा मोड में और 58 पैकेज ट्रस्ट मोड में हैं।
- यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, जिसमें ₹5 लाख रूपये बीमा मोड में और ₹20 लाख रूपये ट्रस्ट मोड में होते हैं, साथ ही अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी शामिल हैं, और अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति विकल्प भी उपलब्ध हैं।
- 2024 के बजट में घोषित किए गए 73 डे-केयर कैंसर उपचार पैकेज को इस योजना में शामिल किया गया है।

**मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना:** राजस्थान में सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भर्ती एवं बाह्य रोगियों को आवश्यक दवाइयाँ और जाँच सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत आवश्यक दवाओं की सूची में 1,240 दवाइयाँ, 428 सर्जिकल वस्तुएँ और 156 सूचर्स को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद सम्मिलित किया गया है।

**राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस):** राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, वर्तमान में ये लगभग 13.65 लाख परिवारों को कवर कर रही है। आरजीएचएस लाभार्थी श्रेणी में राज्य के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राजस्थान सरकार में सेवारत कर्मचारी के साथ पेंशनभोगी, राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी तथा सम्मिलित शामिल हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता हैं। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित है।

**आयुष्मान वय वंदन योजना:** राजस्थान में बुजुर्गों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 29 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई आयुष्मान वय वंदन योजना, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का कवरेज प्रदान करते हुए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

- **आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना** ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत, राज्य के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए **"शुद्ध आहार मिलावट पर वार"** अभियान 15 फरवरी, 2024 से निरंतर जारी है।
- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम**, जिसे राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लागू किया गया है, इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकना और कम करना है।
- राज्य में 28 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केन्द्र, एवं 8 पीपीपी ए.आर.टी. केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों पर एचआईवी / एड्स के रोगियो को एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम** का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना है।

**राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम:** फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी में फ्लोराइड का स्तर अधिक है, शुरू किया गया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में राज्य के कुल 2,288 गाँवों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के 30 जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है।

**राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी):** का उद्देश्य मुख स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच दंत सेवाओं की पहुँच में असमानताओं को कम करना है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS):** भारत में कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) चलाई जा रही है। यह योजना कारखानों, होटलों और शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर करती है, जहाँ कम से कम दस कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनका वेतन ₹21,000 प्रति माह से अधिक नहीं है।

- चिकित्सा लाभ बीमित के पति / पत्नी, पुत्र (21 वर्ष तक), अविवाहित पुत्रियाँ, विकलांग बच्चों और आश्रित माता-पिता को प्रदान किए जाते हैं। ईएसआई कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी 7:1 के अनुपात में होती है। इसमें नियोक्ता का 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का 0.75 प्रतिशत योगदान रहता हैं।
- यह योजना 50 शैय्याओं वाले 03 अस्पतालों (जोधपुर, भीलवाड़ा और पाली में स्थित) और 74 औषधालयों के माध्यम से संचालित है। उल्लेखनीय सुविधाओं में जयपुर का मॉडल ईएसआईसी अस्पताल एवं भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर और अलवर के अस्पताल शामिल हैं।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को उप-मिशन के रूप में शामिल किया गया है। एनएचएम के तहत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार हैं:-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की शुरुआत के बाद से, मान्यता प्राप्त **सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)** घटक ने एनआरएचएम गतिविधियों के कार्यान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। **आशा सहयोगिनी** की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाकर्ता, एक सेवा प्रदाता और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना शामिल है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)** देशभर में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। राज्य में स्कूलों और समुदायों में स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (MHT) को लगाया गया है।
- 10-19 वर्ष की आयु के किशोरों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और राज्य के वंचित क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम** शुरू किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान के 15 जिलों में लागू किया गया है।
- राजस्थान के 15 जिलों में 332 स्थानों पर "**उजाला क्लीनिक्स**" स्थापित किए गए हैं। इनमें से 319 सुविधाएँ वर्तमान में कार्यरत हैं। जो विषयगत क्षेत्रों पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एनसीडी की स्थिति, चोट और हिंसा, आरटीआई / एसटीआई तथा एचआवीई / एड्स पर चर्चा एवं काउसलिंग, मादक द्रव्यों के सेवन पर किशोरों को नैदानिक और परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- राजस्थान में 104 **जननी एक्सप्रेस सेवा** मातृ स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन प्रदान करती है। 'जननी एक्सप्रेस' की इस सेवा का उपयोग करने के लिए कॉल करने के लिए मौजूदा '104' या '108' सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।
- राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से **108 एम्बुलेंस सेवा योजना** को सितंबर, 2008 में शुरू किया गया।
- **मोबाइल मेडिकल सेवा योजना** 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर महीने 20 मुफ्त मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया जाता है, जो रेगिस्तानी, आदिवासी, अविकसित गाँवों, क्षेत्रों, ब्लॉकों में होते हैं। राज्य में 163 मोबाइल मेडिकल वाहन चल रहे हैं।
- **ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों** का गठन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यावसायिक बनाने और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने की दिशा में पहला कदम है। सरपंच/ वार्डपंच की अध्यक्षता में 43,440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वास्थ्य संघ (एमएसएस) आदि के प्रतिनिधि हैं। आशा सहयोगिनी वीएचएससी की संयोजक हैं। उनकी बैठकें एमसीएचएन के दिनों में होती हैं जब उपकेंद्र की एएनएम पहले से ही गाँव का दौरा कर रही होती हैं।
- **आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को सशक्त बनाना (आयुष) :** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में विकसित किया गया है, 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को एनएबीएच प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है।

➢ **राजस्थान में 2024-25 के लिए आयुष मिशन के तहत महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:**

➢ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2024 को "स्वयं और समाज के लिए योग" थीम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न स्तरों पर 24,85,988 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**आयुष्मान आरोग्य मंदिर**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने "स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों" की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति को मजबूत करने की सिफारिश की, जिसे समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करने के प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई हिस्सा समर्पित करने की प्रतिबद्धता की बात की है। नवंबर 2023 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कर दिया है।

**टेलीमेडिसिन**

भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ई-संजीवनी एचडब्ल्यूसी पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल पदानुक्रमित परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, अर्थात निम्न सुविधा से उच्च सुविधा (पीएचसी-सीएचसी/डीएच / मेडिकल कॉलेज) तक, इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है।

**राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन**

राज्य सरकार राज्य के लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों, के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के साथ-साथ उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

राज्य ने सिलिकोसिस का जल्द पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाते हुए टेली-रेडियोलॉजी पहल शुरू की है, जिससे राज्य भर में प्रभावित व्यक्तियों को समय पर उपचार की सुविधा मिल रही है। इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए राज्य को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (गोल्ड) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

## रोज़गार

**रोज़गार स्थिति:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (N.S.O.) द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) भारत और विभिन्न राज्यों में रोज़गार और बेरोज़गारी की स्थिति का आंकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनेक प्रमुख मानकों को मापता है, जैसेः कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बेरोज़गारी दर (UR) आदि।

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जुलाई, 2023 – जून, 2024 के अनुसार, राजस्थान की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 67.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 64.8 प्रतिशत, (जुलाई 2022 जून 2023) से अधिक है।
- कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, जो किसी राज्य की श्रम शक्ति के वास्तविक रोज़गार स्तर को दर्शाता है।
- राजस्थान के लिए बेरोज़गारी दर (UR) 2022-23 (पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट) में 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2023-24 में, यूआर 4.7 रही, जो 0.2 प्रतिशत कम है, जो चल रही रोज़गार चुनौतियों को इंगित करता है, लेकिन कौशल विकास पहलों के माध्यम से सुधार के अवसरों को भी दर्शाता है।

### श्रमिक कल्याण

राजस्थान में श्रम विभाग का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सकारात्मक औद्योगिक परिवेश बनाना है। श्रमिक कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य समय पर श्रमिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करना और विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह प्रयास भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCW) के व्यापक मिशन का हिस्सा है। राजस्थान में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत स्थापित, बोर्ड की प्राथमिक भूमिका स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है।

**निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरणः -**

- राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए ₹8,000 से ₹25,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है, साथ ही योग्यता के आधार पर मेधावी छात्रों के लिए ₹4,000 से ₹35,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
- निर्माण श्रमिक औज़ार / टूलकिट सहायता योजनाः यह योजना लाभार्थियों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए ₹2,000 या उपकरणों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु / चोट लगने के तहत सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹2.00 लाख, आकस्मिक मृत्यु पर ₹5.00 लाख, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹3.00 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता पीड़ित / परिजनों को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चोटों के लिए मुआवजा ₹5,000 से ₹20,000 तक है।
- प्रसव के दौरान महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत एक बच्चे के जन्म पर ₹20,000 और एक बच्ची के जन्म पर ₹21,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो तीन किश्तों में वितरित की जाती हैः प्रसव के समय ₹5,000, प्रमाणित टीकाकरण के साथ एक वर्ष के बाद ₹5,000, और पाँच साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश पर बेटे के लिए ₹10,000 या बेटी के लिए ₹11,000.
- सिलिकोसिस सहायता योजना सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को ₹3.00 लाख और मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को ₹2.00 लाख प्रदान करती है।
- निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बोर्ड लाभार्थियों के योगदान पर 50 से 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ₹1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ₹50,000 प्रदान की जाती है।
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने **ई-श्रम पोर्टल** लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया है, यह प्रवासी और गिग श्रमिकों सहित विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के लिए रोज़गार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए नाम, व्यवसाय, पता और कौशल जैसे आवश्यक विवरण एकत्र करता है। 16-59 वर्ष की आयु के पात्र श्रमिक जो आयकर दाता या ईपीएफओ / ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं, वे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।

## रोज़गार सृजन

युवाओं के लिए रोज़गार सृजन में राजस्थान अग्रणी बनकर उभरा है। रोज़गार क्षमता में सुधार के साथ रोज़गार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने और राज्य की विकास दर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

- पारंपरिक रोज़गार एक्सचेंजों को **आईटी-सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर** (MCC) में बदलने के उद्देश्य से, निम्नलिखित जिलों में कुल सोलह एमसीसी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोज़गार युवाओं को समर्थन देने के लिए जिला मुख्यालयों पर त्रैमासिक रोज़गार सहायता शिविर आयोजित किये जाते हैं। नौकरी चाहने वालों के लिए विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए रोज़गार निदेशालय द्वारा "राजस्थान रोज़गार संदेश" नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

- राज्य में युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना** में यह अनिवार्य है कि आवेदक बेरोजगारी भत्ता लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग में कम से कम तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण और उसके बाद दैनिक चार घंटे की इंटर्नशिप पूरी करें। इसमें पुरुषों के लिए ₹4,000 मासिक और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग लोगों के लिए ₹4,500, दो साल तक या जब तक वे रोज़गार सुरक्षित नहीं कर लेते बेरोज़गारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में **सावित्री बाई फुले अध्ययन केंद्र** स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र में छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए एक सलाहकार होगा।

संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** (ईपीएफओ) द्वारा वर्तमान में तीन योजनाएँ चलाई जा रही हैं, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (EDLI)। हाल ही में, ईपीएफओ ने निधि आपके निकट 2.0 (NAN 2.0) लॉन्च किया है।

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना:** 1952 (EPF) उद्देश्य एक अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करते हैं। आवास, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए धन निकालने की अनुमति देती है, जिससे सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित होता है।

**राजस्थान में कर्मचारी पेंशन योजना**: 1995 (EPS) कर्मचारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ढाँचा प्रदान करती है, जो उनके वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन लाभ प्रदान करती है।

**कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना:** (EDLI) 1976 में स्थापित की गई। जो निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सेवा के दौरान कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवारों को वित्तीय सहायता मिले। राजस्थान में, यह योजना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर न्यूनतम ₹2. 5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख का सुनिश्चित लाभ प्रदान करती है, जिससे उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ जाती है जिनके पास व्यापक बीमा योजनाओं तक पहुँच नहीं है।

**कार्मिक विभाग (डीओपी)**

राजस्थान में कार्मिक विभाग (डीओपी), राज्य सरकार के तहत मानव संसाधन प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) सहित विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करता है।

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)**

वर्ष 2024-25 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹7,676.98 करोड़ व्यय किये गये तथा 2,309.72 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जिससे 53.28 लाख परिवारों को रोज़गार प्रदान किया गया। इनमें से 1.27 लाख परिवारों ने 100 दिन का रोज़गार पूर्ण कर लिया है।

**मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना**

यह योजना 18-60 वर्ष आयु वर्ग के शहरी परिवारों को अकुशल श्रम रोज़गार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 (दिसम्बर तक) 86.48 लाख मानव दिवस श्रम सृजित किये गये हैं।

## आजीविका संवर्द्धन

राजस्थान में गरीब और कमजोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आजीविका मिशन (आर.एम.ओ.एल.) की स्थापना भारत की पहली राज्य-स्तरीय पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वंचित आबादी के बीच आजीविका बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीति विकसित करना था।

इसे मई, 2012 में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) में परिवर्तित किया गया। आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा कई प्रशिक्षण भागीदारों के साथ सहयोग करके पूरे राज्य में कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है।

## केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ

**1. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY):** उद्देश्य- गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें न्यूनतम सीमा से ऊपर नियमित वेतन के साथ रोज़गार सुरक्षित करना है। यह योजना 16 अगस्त, 2014 को उदयपुर में लॉन्च की गई थी और इसमें लाइफ-मनरेगा पहल को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के लिए संशोधित बजट ₹755.93 करोड़ रखा गया है।

**2. स्किल एक्यूजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प):** इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा 19 नवंबर, 2018 को प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांग जन (पीडब्ल्यूडी) और समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ाते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है।

## राज्य प्रायोजित योजनाएँ

रोज़गार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) को अब रोज़गार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक) के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस. टी.पी.) को दो पहल में विभाजित किया गया है सक्षम (स्वरोज़गार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) और समर्थ, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों को लक्षित करता है। ये तीनों योजनाएँ एकीकृत रूप से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (एम.एम.के.वी.वाई.) तहत संचालित की जा रही हैं।

**1. रोज़गार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक):** इस योजना का उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्पेशल एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया और रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार को सुनिश्चित किया जा रहा है।

**2. स्वरोज़गार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम):** युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोज़गार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

**3. समर्थ योजना** का उद्देश्य भिक्षुकों, अस्थायी बस्तियों के निवासियों, दलितों, आदिवासियों और कैदियों सहित सबसे गरीब और समाज के अन्य वंचित समुदायों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके सशक्त बनाना है जो रोज़गार अथवा स्व-रोज़गार के अवसरों के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाते हैं।

4. **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.):** रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए, 7 नवंबर, 2019 को प्रारम्भ की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 350 घण्टे है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित हैं।

5. **भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास (भोर):** कार्यक्रम आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को सम्मानजनक आजीविका की ओर बढ़ाना है। इस पहल के तहत 105 दिनों में 840 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अतिरिक्त 15 दिन ग्रूमिंग और काउंसलिंग के लिए निर्धारित हैं। यह कार्यक्रम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रतिभागियों को प्रतिदिन ₹225 की मजदूरी हानि क्षतिपूर्ति दी जाती है। अब तक 100 भिक्षुकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 82 को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

**6.** इसके अलावा, आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर केंद्रीय जेल, भीलवाड़ा जेल और बालिका सुधार गृह में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, और आरएसटीपी योजना के अन्तर्गत पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 5,013 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

**विभिन्न विभागों के साथ आरएसएलडीसी के अभिसरण प्रयास**

राज्य में रोज़गार क्षमता में सुधार और आर्थिक विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों में सभी संबंधित योजनाओं को एकीकृत करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। आरएसएलडीसी इन पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसने 10 राज्य विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसम्बर, 2024 तक 86,700 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में, आरएसएलडीसी तीन प्रमुख विभागों के तहत प्रशिक्षण पर केन्द्रित हैं-

1. राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम
2. आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग
3. अल्पसंख्यक विभाग

- सीएसआर साझेदारी के अन्तर्गत, आरएसएलडीसी में एक समर्पित सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो राजस्थान कौशल विकास कोष हेतु धन राशि एकत्रित करता है। इस कोष का उपयोग, कॉर्पोरेट स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पहलों के लिए किया जा रहा है।
- राज्य में बाजार अनुरूप रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए, रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (आरटीडी) मॉडल अपनाया गया है, जिसमें आरएसएलडीसी उद्योग संघों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- राज्य में पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार के व्यापक अवसरों को देखते हुए, आईटीईईएस, सिंगापुर के साथ साझेदारी में उदयपुर में पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीटी) की स्थापना की गई। आरएसएलडीसी इस केंद्र को गैप फंडिंग के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।
- विदेशों में रोज़गार हेतु मार्गदर्शन एवं सहायता तथा सुरक्षित प्रवासन जागरूकता प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो तथा वर्ष 2015 में राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल की स्थापना आरएसएलडीसी में की गई थी।
- विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (पीडीओटी) कार्यक्रम के अन्तर्गत आरएसएलडीसी पाँच जिलों में प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

| अध्याय: 09 | सामाजिक सुरक्षा : सभी नागरिकों का कल्याण |
|---|---|

## सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

राजस्थान ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों के कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है। एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स के अनुसार राज्य ने "गरीबी का अंत" (लक्ष्य-1) में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है, जो गरीबी कम करने के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी तरह, "भूखमरी समाप्त करना" ( लक्ष्य-2) में 11 अंकों की वृद्धि हुई है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है। अतिरिक्त रूप से, राज्य की प्रगति अच्छे स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना (लक्ष्य-3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य-4), लैंगिक समानता (लक्ष्य-5), शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य-6) तथा असमानताओं में कमी (लक्ष्य-10) के क्षेत्रों में क्रमशः 3, 3, 13, 6 और 4 अंकों की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ी।

### महिलाएं एवं बालिकाएं

**शैक्षिक विकास**

**"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना:** यह भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के कल्याण को बढावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना हैं। । वर्ष 2024-25 में (दिसम्बर, 2024 तक) बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 51,184 बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया जा चुका है।

**आर्थिक विकास**

**स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन:** अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। राज्य स्वयं सहायता समूहों को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई.आई.टी.एफ.), शिल्प ग्राम उत्सव तथा अन्य विभागीय मेलों जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता हैं।

**मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना:** यह योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में समग्र सुधार करना है।

**मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना:** यह योजना राजस्थान की महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करने का प्रयास करती है। यह न केवल महिलाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता करती है। कौशल सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत (दिसम्बर, 2024 तक) कुल 4,142 महिलाएँ / बालिकाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं।

**मुख्यमंत्री वर्क फॉम होम-जॉब वर्क योजना:** यह योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान देना चाहती हैं। जो महिलाएँ और नियोक्ता विभिन्न कार्यक्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं, वे पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

**पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना:** इसका मुख्य लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार चार प्रमुख श्रेणियों में प्रतिवर्ष 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं।

## सामाजिक कल्याण

**मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:** इस योजना का लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु ₹31,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 (कुल ₹41,000) और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 (कुल ₹51,000) की राशि दी जाती है।

बी.पी.एल. परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार लाभार्थियों और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु ₹21,000 की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 की राशि दी जाती है।

**विधवा विवाह उपहार योजना:** यदि कोई विधवा महिला, जो पेंशन योजना की लाभार्थी है, विवाह करती है, तो राज्य सरकार उसके विवाह पर ₹51,000 का उपहार प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 में (दिसम्बर, 2024 तक) ₹2.55 लाख व्यय कर 5 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

**एल.पी.जी. सिलेण्डर सब्सिडी योजना:** इस योजना के अन्तर्गत, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बी.पी.एल. परिवारों को ₹450 प्रति गैस सिलेंडर देने की योजना को विस्तारित करते हुए, अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को भी केवल ₹450 में एल.पी.जी. सिलेंडर उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की है। प्रत्येक एन.एफ.एस.ए. परिवार को प्रति माह एक सिलेंडर मिलेगा, अर्थात एक साल में 12 सिलेंडर दिए जाएँगे। ₹356 की सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा होगी।

**प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना:** यह योजना भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। पहले बच्चे के लिए लाभार्थियों को ₹5,000 दो किस्तों में (₹3,000 और ₹2,000) दिए जाते हैं, जब वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। यदि दूसरा बच्चा लड़की हो, तो शर्तों और दस्तावेज़ों की जाँच के बाद ₹6,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 से पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को ₹1,500 अतिरिक्त राशि प्रदान करना शुरू किया है। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए यह राशि 1 सितंबर, 2024 से ₹6,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।

**किशोरी बालिका योजना:** इस योजना का उद्देश्य 14-18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सकें। इसे 1 अप्रैल, 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों (बाराँ, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही) में शुरू किया गया है। इन जिलों से लगभग 42,000 किशोरियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु चिह्नित किया गया।

**महिला विकास कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से "साथिनों" के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। "साथिन" महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रति भी जागरूकता का प्रचार हैं। साथिन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरूद्ध संघर्ष करती हैं, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा प्रदान करती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है।

**मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना और शादी पर होने वाले व्यय को कम करना है। प्रत्येक जोड़े को ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ₹21,000 वधू को और ₹4,000 आयोजन समिति को प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामूहिक विवाह में 25 या अधिक जोड़े विभिन्न जातियों, धर्मों या समुदायों से शामिल होते हैं, तो आयोजन संस्था को विवाह कार्यक्रम के लिए ₹10 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है।

**लाडो प्रोत्साहन योजना**: यह योजना 1 अगस्त, 2024 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत ₹1 लाख की वित्तीय सहायता 7 किश्तों में प्रदान की जाती है। 6 किश्तें अभिभावक को दी जाती हैं, जबकि 7वीं किश्त बालिका के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है। पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि माँ राजस्थान की निवासी हो और बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।

**कालीबाई भील उड़ान योजना**: यह योजना राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजीविका सैनिटरी नैपकिन खरीदकर आँगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करते हैं।

**181 महिला हेल्पलाईन**: महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में 24x7 महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई है।

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013:** 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को "आंतरिक समिति" का गठन करना आवश्यक है, तथा प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करते हुए घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल किया गया है। आंतरिक और स्थानीय समितियाँ सभी जिलों और विभिन्न सरकारी / निजी इकाइयों में स्थापित की गई हैं।

**त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति**: इस योजना का लक्ष्य अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया गया है। यह समिति तीन स्तरों पर कार्य करती हैः- विभागीय स्तर (जिसे विभागीय आयुक्त अध्यक्षित करते हैं), जिला स्तर (जिसे जिला कलेक्टर अध्यक्षित करते हैं) और उप-जिला स्तर (जिसे उप-जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षित करते हैं)। प्रत्येक समिति में पुलिस, श्रम, उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला कलेक्टर द्वारा नामित एन.जी.ओ. प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

**कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान**: यह संस्थान महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान (दिसम्बर, 2024 तक) इस योजना के अंतर्गत 400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

**महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब**: 'एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए "मिशन शक्ति" नामक अंब्रेला योजना को आरंभ किया है। "मिशन शक्ति के तहत 'सामर्थ्य' उप-योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र राज्य हब और जिले स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र जिला हब स्थापित किए गए हैं।" "महिला सशक्तिकरण केंद्र हब का संचालन केंद्र और राज्य के 60:40 बजट अनुपात में हो रहा है।

## सामाजिक सुरक्षा

**इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना**: इस योजना के तहत, बी.पी.एल. परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को ₹1,150 प्रति माह तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए ₹300 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 का केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना**: इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को ₹1,150 प्रति माह तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने पर आधारित है।

**सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन / राज्य स्तरीय महिला सदनः** यह केन्द्र संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय, देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का एक सरकारी प्रयास है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा, शोषण या अन्य कठिन परिस्थितियों से सुरक्षा और सहयोग मिलता है।

**शक्ति सदन योजनाः** इस योजना का उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं को, जिनमें घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करने वाली महिलाएँ शामिल है, को शरण व सहायता प्रदान करना है।

**महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.):** राज्य के 41 पुलिस जिलों में इन केंद्रों की स्थापना की गई है, जो पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी, पुलिस और चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे हिंसा, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हो सकें। महिला थानों में एन.जी.ओ. द्वारा संचालित ये केंद्र महिलाओं को शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाते हैं। केंद्रों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए, प्रत्येक केंद्र के लिए चयनित गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

**वन स्टॉप सेन्टर / सखी केन्द्रः** वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर 24X7 घंटे सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत चिकित्सा, पुलिस, कानूनी, परामर्श और अस्थायी आश्रय सेवाएँ एक जगह से उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का उद्देश्य समय पर राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना है। राजस्थान में 37 वन स्टॉप सेंटर / सखी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं।

**पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्रः** पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं। जिनके माध्यम से महिलाओं को उनके मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किये जाते हैं। ये दूरभाष पर भी एक हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श प्रदान करती है तथा ऐसी सुविधा दो बालिका विद्यालयों में भी प्रदान की जाती है। यह केंद्र महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने में सहायता प्रदान करता है।

## बाल विकास

### शैक्षणिक विकास

**मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाः** इस योजना का मुख्य उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है, इसके लिए उन्हें व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में 26 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका हैं।

### सामाजिक कल्याण

**मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनाः** कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक / बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक सहायता राशि देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है। उन्हें सरकारी विद्यालयों/छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, कॉलेज छात्रावासों में प्राथमिकता और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त, विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक सहायता राशि देय है।

**समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.):** यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1975 को निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था -

- 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।

- मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की दर को घटाना।
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और क्रियान्वयन का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
- बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएँ शहरी क्षेत्रों में, 42 परियोजनाएँ जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 299 परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

**पी.एम. पोषण योजना (मिड-डे-मील योजना):** पीएम पोषण योजना (पूर्व में मिड-डे-मील योजना) का मूल उद्देश्य सरकारी विद्यालयों (संस्कृत विद्यालय सहित), विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों एवं मदरसों में कक्षा-प्री प्राईमरी से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना द्वारा नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

मिड-डे-मील योजना के तहत वितरण किये जाने वाले भोजन में विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 100 ग्राम अनाज (गेहूँ / चावल) प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है।

कक्षा-प्री प्राईमरी से 5वीं के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹5.45 प्रतिदिन और कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹8.17 प्रतिदिन (1 दिसम्बर, 2024 से ₹6.19 और ₹9.29 लागत) है। वर्तमान में ₹2,143 प्रतिमाह (वर्ष में अधिकतम 10 माह) मानदेय पर 1,15,403 रसोई सह सहायकों को मिड-डे-मील पकाने व वितरण करने के लिए रखा गया है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड-डे-मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है।

**पन्नाधाय बाल गोपाल योजना:** इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को दूध और चीनी प्रदान करके उनका पोषण स्तर सुधारना है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार और शैक्षिक विकास हो सके। प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी रोज 15 ग्राम दूध पाउडर (150 मिलीलीटर गर्म दूध) प्राप्त करते हैं, जबकि 6 वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी 20 ग्राम दूध पाउडर (200 मिलीलीटर गर्म दूध) प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्री-प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 8.4 ग्राम चीनी और 6वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 10.2 ग्राम चीनी प्रदान की जाती है। दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेण्डर के लिए ₹1,500 प्रतिमाह का प्रावधान है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड द्वारा ₹421 प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम पैकिंग मिल्क पाउडर की विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही हैं।

## सामाजिक सुरक्षा

**पालनहार योजना:** पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक नकद हस्तांतरण योजना है, जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रारम्भ की गई थी, पहले यह अनसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रारम्भ की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए प्रारम्भ कर दिया गया। इस योजना में बंदी माता-पिता, विधवाओं, पुनर्विवाहित विधवाओं, कुष्ठ रोग या एच.आई.वी. / ए.आई.डी.एस. से संक्रमित माता / पिता, विशेष योग्यजन माता-पिता और अन्य कमजोर समूहों के बच्चे शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं यदि उनका नामांकन विद्यालय में है। अन्य श्रेणियों में 0-6 वर्ष के बच्चों का ₹750 प्रति माह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रति माह दिया जाता है, इसके साथ ही कपड़े और आवश्यकताओं के लिए ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाती है।

**मिशन वात्सल्य योजना (सी.पी.एस.):** यह योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमजोर बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों को सशक्त बनाने, परिवार केंद्रित देखभाल को प्रोत्साहित करने, बाल तस्करी को रोकने पर ध्यान केन्द्रित करता हैं। यह मिशन जागरूकता फैलाने और बाल कल्याण प्रणाली में सुधार करने पर भी कार्य करता है।

40 राजकीय बाल देखभाल संस्थान और 85 गैर-राजकीय बाल देखभाल संस्थान संचालित किये जा रहे हैं, जहाँ 3,802 बच्चों को आवासीय, शैक्षणिक, परामर्श, कौशल विकास एवं अन्य सुविधाओं के साथ संस्थागत देखभाल का लाभ मिल रहा है।

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

### शैक्षणिक विकास

**उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं, जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक है, को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

**छात्रावास सुविधा:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु, स्वच्छकार, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, नाश्ता, जूते, पोशाक, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

**आवासीय विद्यालय:** राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (आर.आर.ई.आई.एस.) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग के गरिबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए 40 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पौशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

**मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना:** इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, रीट, पटवारी, कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है या जिनके माता-पिता सरकारी सेवा (विशिष्ट वेतन मानदंड के अन्तर्गत) में कार्यरत हैं।

**अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के 1,500 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 1,500 विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 विद्यार्थी, विशेष पिछड़ा वर्ग के 750 विद्यार्थी, अल्पसंख्यक के 500 विद्यार्थी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 500 विद्यार्थी, जो घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में (केवल कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में) पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है। अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना के अन्तर्गत शामिल विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में ₹2,000 प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु) देय है।

### सामाजिक कल्याण

**डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:** समाज में अस्पृश्यता का निवारण करने के उद्देश्य से, सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ₹10 लाख प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में केन्द्र का हिस्सा ₹1.25 लाख और राज्य का हिस्सा ₹8.75 लाख है।

**सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा:** राज्य के जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी एवं दाल उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में बाराँ जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिलें की कथौडी एवं खैरवा जनजाति को प्रतिमाह परिवार के प्रति सदस्य 250 मि0ली0 घी, 500 मि०ली० खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामग्री का लाभार्थियों को वितरण प्वाईंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जा रहा है।

**विशेष केंद्रीय सहायता योजना:** अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए राशि ₹50,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ₹2.5 लाख तक की आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2022-23 से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. से एस.सी.ए.पी.) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम. ए.जे.ए.वाई.) की गई है।

**आदिवासी क्षेत्र में जन कल्याण:** जनजाति लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 में कुल राशि ₹1,206.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹898.96 करोड़, ₹175.27 करोड़, ₹109.50 करोड़ एवं ₹22.77 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

## सामाजिक सुरक्षा

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार के मामलों में, पीड़ित या उनके आश्रितों को अपराध के प्रकार के आधार पर ₹85 हजार से ₹8.25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। एफ.आई.आर., चालान और दोषसिद्धि के दौरान ₹10,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। मृतक पीड़ितों की विधवाओं या उनके आश्रितों को ₹5,000 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

### विशेष योग्यजन व्यक्ति

**विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत राजकीय एवं राज्य / केन्द्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को ₹500 प्रतिमाह तथा कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ₹600 प्रतिमाह देय है।

## आर्थिक विकास

**मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना:** इस योजना में ₹5 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है। राज्य द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

**संयुक्त सहायता अनुदान:** इस योजना के अन्तर्गत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग / उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट/ जूते / पाम पेड आदि प्रदान करने के लिए ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

**पदोन्नति में आरक्षण:** विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंकों में 5 प्रतिशत छूट संबंधी लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया।

## सामाजिक कल्याण

**सुखद दाम्पत्य योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन (पुरुष / स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर ₹5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

**आस्था योजनाः** ऐसे परिवार जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन हो उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये जाते हैं, जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। दिसम्बर, 2024 तक राज्य में कुल आस्था कार्ड धारी 21,008 परिवार है।

**यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजनाः** भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विशेष योग्यजनों की 21 श्रेणियों के विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिह्नित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। दिसम्बर, 2024 तक लगभग 5.69 लाख यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

**सिलिकॉसिस पॉलिसी-2019:** खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने वाले श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकॉसिस से पीड़ित हो जाते हैं। इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ-साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाएँगे। सिलिकॉसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए ₹3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है, पीड़ित को ₹1,500 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को ₹2 लाख प्रदान किये जाते है। मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार ₹1,150 से ₹1,500 की विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार ₹750 से ₹1,500 मासिक एवं ₹2,000 (वार्षिक एकमुश्त) की सहायता दी जाएगी। पीड़ित और उसके परिवार को आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह सभी बी.पी.एल. सुविधाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया जायेगा। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

**मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजनाः** इस सहायता योजना में मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को उनकी जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी।

**कम्पोजिट रीजनल सेन्टरः** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र (कम्पोजिट रीजनल सेन्टर) खोले जाने के निर्णय उपरान्त 17 जनवरी, 2023 से कम्पोजिट रिजनल सेंटर (सी.आर.सी) जयपुर का संचालन स्वयंसिद्धा परिसर जामड़ोली जयपुर में किया जा रहा है।

## सामाजिक सुरक्षा

**इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः** सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है उनके लिए 24 नवंबर, 2009 को यह योजना शुरू की गई। 18 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनधारी को ₹1,150 प्रतिमाह जबकि 75 वर्ष व 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारी को ₹1,250 प्रति माह पेंशन देय हैं। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को ₹300 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹500 प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः** इस योजना में, ₹1,150 प्रतिमाह 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजनों को पेंशन देय है। 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है। कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को भी ₹2,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है, और नामित मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रतिमाह ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 अथवा कम हो।

## वृद्धजन

### सामाजिक कल्याण

**वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना:** इस योजना में जरूरतमंद वृद्ध निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल के लिए राज्य सरकार विभिन्न वृद्धाश्रमों का संचालन करती है। इन संस्थानों में निवासियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा और आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सहयोग से बेघर बुजुर्गों, कामकाजी महिलाओं और असहाय / निराश्रित व्यक्तियों के लिए विभिन्न मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए जाते हैं।

### सामाजिक सुरक्षा

**इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:** केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को ₹1,150 प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं, जिसमें ₹200 केंद्र सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹1,150 प्रदान किए जाते हैं, जिसमें ₹500 केंद्र सरकार से दिए जाते हैं।

**मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना:** इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को, जिनकी सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹1,150 प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं।

## सर्वजन कल्याण

### आर्थिक विकास

**गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना:** गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में ₹10,000 राशि दिये जाने का प्रावधान है।

### सामाजिक कल्याण

**अन्त्येष्टि अनुदान योजना:** इस योजना के अन्तर्गत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को ₹5,000 दिये जाते हैं।

**नवजीवन योजना:** अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर / संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है।

**गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना:** गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में ₹1,20,000 देने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक किश्त के रूप में ₹40,000 अनुदान दिया जाता है।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.):** उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना तथा वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार में निहित है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूँ का मासिक वितरण किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं।

## सामाजिक सुरक्षा

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2024 से आगामी पाँच वर्षों तक अन्त्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूँ और अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूँ प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आधारकार्ड एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा है।

**वन नेशन वन राशन कार्ड योजना:** यह योजना लाभार्थियों को पूरे भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे प्रवासियों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। इस योजना से पूरे देश में एन.एफ.एस.ए. के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान में 4.25 करोड़ लाभार्थियों (96.68 प्रतिशत) के आधार को जोड़ा जा चुका है।

**उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापना:** सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (पी.ओ.एस.) मशीने उपलब्ध करवाई गई हैं और उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान (फिंगर प्रिन्ट) मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक बार उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड (ओ.टी.पी.) प्रेषण किया जाता है अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सकती है। राज्य के अन्तर्गत 'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी' के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिले में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

**स्मार्ट एफ.पी.एस. योजना:** भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट दुकानों तथा सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में परिवर्तित करना है, जिससे आधारभूत संरचनाओं का सुधार, पोषक तत्त्वों के सामानों का प्रचार और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सके। राज्य के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पायलट परियोजना के तहत पहले चरण में 15 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है और दूसरे चरण में 30 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया हैं।

**राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.):** राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और दैनिक आवश्यकताओं का उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ का परिवहन करना है। कॉर्पोरेशन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पी.ओ.एस. मशीनों में 2जी से 4जी तकनीकी का सुधार कर रहा है, जो स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक वेईंग और आयरिस पहचान प्रणाली से जुड़ती हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया। जयपुर जिले में 4 आयोग तथा जोधपुर जिले में 2 आयोग कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला आयोग और 06 क्षेत्रीय शाखाएँ (कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर) कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800-180-6030) का संचालन 15 मार्च, 2011 से किया जा रहा है।

## अल्पसंख्यक

### शैक्षणिक विकास

**उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति:** यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आवश्यक है कि माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम हो और पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

**मैरिट कम मीन्स (एम.सी.एम.) छात्रवृत्ति:** यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के निम्न आय वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता के लिए आवश्यक है कि अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो और अभ्यर्थी ने पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

**छात्रावास:** राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में छात्र और छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को मैस खर्च के लिए प्रतिमाह ₹3,000 तक की सहायता 9.5 माह तक दी जाती है।

## आर्थिक विकास

**राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आर.एम.एफ.डी.सी.सी.):** यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य एजेंसी है। यह रियायती दरों पर मुख्यतः बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए ऋण देता है।

## सामाजिक कल्याण

**प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम):** यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना है। यह योजना विशेष रूप से 16 अधिसूचित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 2 जिला मुख्यालयों, 15 खंडों और 17 नगरों में स्वास्थ्य, कौशल विकास और शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। 1 अप्रैल, 2022 से, इस योजना को पूरे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से होनी अनिवार्य है।

**मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना:** इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करना है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई-लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 90 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है।

**राजस्थान राज्य हज समिति:** राजस्थान राज्य हज समिति को वर्ष 2025 के हज यात्रा हेतु कुल 3,802 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

## राज्य सरकार की प्रमुख पहल

### जन आधार (एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान)

राज्य में "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही है। जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभों को (नकद या गैर-नकद) सरलता, सुगमता व पारदर्शिता से पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा "राजस्थान जन आधार योजना" संचालित की जा रही है। वर्तमान में जन आधार डेटाबेस में राज्य की अनुमानित जनसंख्या के 97 प्रतिशत से अधिक का सामाजिक-आर्थिक डेटा संग्रहीत किया गया है। जन आधार पोर्टल की दूसरी प्रमुख कार्यक्षमता राज्य के निवासियों को नकद और गैर-नकद लाभ के हस्तांतरण के लिए एक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण) पोर्टल की सुविधा प्रदान करना है।

वर्ष 2024-25 के लिए बजट घोषणाओं की अनुपालना में नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के उद्देश्य से 'स्मार्ट' (सर्विस मैनेजमेन्ट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत एक 'गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन' तैयार किया जाएगा, जिसे 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ' के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

### जन आधार योजना की प्रमुख विशेषताएँ

**एकल नम्बर:** राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा राज्य के प्रत्येक परिवार को जन आधार में नामांकन उपरान्त 10 अंकों की एक परिवार पहचान संख्या तथा परिवार के सदस्यों को 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है।

**एकल पहचान**: यह पहचान संख्या, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण, परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों से सम्बन्ध के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।

**महिला सशक्तिकरण:** जन आधार नामांकन हेतु परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया बनाया जाना तथा वित्तीय समावेशन हेतु उसका व्यक्तिगत बैंक खाता होने की अनिवार्यता किया जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

**वित्तीय समावेशन :** परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

**अयोग्य एवं दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान का माध्यम:** राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 द्वारा विभिन्न विभागों को अपनी योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण हेतु लाभार्थियों की सूचना एकीकरण के माध्यम से जन आधार डेटाबेस से लेना अनिवार्य किया गया है जिससे लाभार्थियों के दोहरेपन, नकली लाभार्थियों और अयोग्य लाभार्थियों की सटीक पहचान हो रही है।

**सरकारी योजनाओं के लाभ घर के समीप:** वर्तमान में 175 से अधिक योजनाओं/ सेवाओं के पात्र लाभार्थियों के जन आधार से प्रमाणीकरण उपरान्त नकद लाभों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। तथा गैर नगद लाभों की प्रदायगी आधार प्रमाणीकरण उपरान्त उनके घर के समीप की जा रही है।

**वित्तीय संसाधनों की बचत:** वर्ष 2024-25 में 31 दिसम्बर, 2024 तक जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीबीटी किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग ₹2.71 करोड़ से अधिक राशि की बचत दर्ज की गई है। जिससे प्रतिवर्ष सरकारी खजाने में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है।

### राजस्थान सम्पर्क (181)

यह एक केन्द्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ राज्य का कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर 181 डायल करके संबंधित विभागों में अपना परिवाद दर्ज करा सकता है। इस प्रणाली में एकीकृत वेब पोर्टल और राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर शामिल हैं, जो सम्पर्क का एकल बिन्दु प्रदान करता है और नागरिकों के सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायक है।

### राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी (आरजीडीपीएस) अधिनियम, 2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आरजीडीपीएस) अधिनियम, 2011 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित कर रही है। इस अधिनियम के तहत नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों से अलग-अलग सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं, सेवा प्रदायगी को समय सीमा के साथ अधिसूचित किया गया है। प्रत्येक अधिसूचित सेवा की प्रदायगी के लिए एक नामित अधिकारी है, जिसके पास कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। यदि नामित अधिकारी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ है, तो नामित अधिकारी के खिलाफ उचित जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

### राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (आरटीएच), 2012

इस अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में प्राप्त कुल62,410 आवेदनों में से 62,399 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

**जनसुनवाई प्रणाली:** राजस्थान सरकार द्वारा शासन में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई त्रि-स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली जिला स्तर, उपखण्ड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है।

**ई-मित्र :** नागरिक सेवाओं की त्वरित और सुविधाजनक प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने भूमि कानून के तहत सभी सरकारी और निजी नागरिक केन्द्रित सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस का ई-मित्र प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 600 से अधिक जी2सी और बी2सी सेवाएँ उपलब्ध हैं। ई-मित्र वेब-आधारित ई-मित्र एप्लिकेशन (http://emitra.rajasthan.gov.in) के माध्यम से निवासियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, ई-मित्र मोबाइल एप और आईटी-सक्षम भौतिक कियोस्क के माध्यम से 78,000 से अधिक आउटलेट्स पर यह सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

**ई-मित्र प्लस :** यह सेवा एटीएम की तरह बिना किसी मानवीय संपर्क के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन-बिल्ट प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं।

**जन सूचना पोर्टल :** यह एक केन्द्रीय प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं की आसान, पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल पर दिसम्बर, 2024 तक 348 योजनाओं और 117 विभागों की 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है।

**आई स्टार्ट :** आईस्टार्ट कार्यक्रम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटरर्स और सलाहकारों के लिए एक एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है। कार्यक्रम के तहत शुरू की गई प्रमुख पहल : इनोवेशन चैलेन्ज एण्ड अवॉर्ड, क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर और आई स्टार्ट नेस्ट है। इस कार्यक्रम के तहत, जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, पाली, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

**ई-बाजार :** ई-बाजार (https://ebazaar.rajasthan.gov.in) राजस्थान सरकार का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न विभागों और उनके भागीदारों के उत्पादों को एक ही स्थान पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराता है।

**सिंगल साइन-ऑन (SSO):** सभी विभागीय एप्लिकेशन एसएसओ सुविधा से जुड़े हैं, जो उपयोगकर्ताओं को एक ही लॉगिन के माध्यम से कई एप्लिकेशनों तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे सुविधा और दक्षता में वृद्धि होती है। वर्तमान में, 521 विभागीय एप्लिकेशन (जी2जी 318 और जी2सी 203) एसएसओ प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हैं, जो एकीकृत और यूजर-फ्रेन्डली सुविधा प्रदान करते हैं।

**राज ई-वॉल्ट :** राज ई-वॉल्ट एक उन्नत दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है, जो डिजिटल रूप में दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए एक केन्द्रीय भंडारण के रूप में कार्य करती है।

## कृषि में तकनीकी

कृषि में तकनीकी प्रगति ने उत्पादकता, स्थिरता और दक्षता में सुधार करते हुए कृषि पद्धतियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रगति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार :-

**अ) राज-एआईएमएस:** डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फोरमेशन एण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम' परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

**ब) राजकिसान साथी पोर्टल-** 'ईज़ ऑफ डूईंग फार्मिंग' दृष्टिकोण को अपनाते हुए कृषकों के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न सेवाएँ एकल खिड़की के रूप में एक जगह ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई है। राजकिसान साथी पोर्टल को ई-गवर्नेंस योजना 2023-24 के तहत 'नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस स्कीम' के लिए 'गवर्नेंस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग श्रेणी में 'सिल्वर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है।

**स) किसान सहायता-** राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1.17 करोड़ से अधिक बीज मिनी-किट वितरित किए गए हैं।

**द) राज सहकार पोर्टल-** सहकारी विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

**य) नेशल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी)-** यह एक एकीकृत मंच है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके पारदर्शिता, दक्षता और विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। एनएफडीपी पोर्टल पर 4,522 किसानों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, जो उन्हें मछली पालन के लिए ऋण सुविधा और समूह दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी कर रहा है।

## सुशासन के लिए वित्तीय प्रबंधन

**राज वाई-फाई सेवाएँ:** कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में सभी विभागीय और जिला मुख्यालयों में वाई-फाई सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं।

**डॉक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन एण्ड ऑथेन्टिकेशन इंजन (डीवीएई):** डीवीएई की शुरुआत दस्तावेज सत्यापन की एक प्रभावी और भरोसेमंद प्रक्रिया सुनिश्चित करने और सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के सत्यापन व प्रमाणीकरण में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में यह प्रणाली 8 विभागों के 14 प्रकार के दस्तावेजों को प्रमाणित करती है।

**राजनेट :** राजस्थान सरकार ने एकीकृत नेटवर्क समाधान के रूप में राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) को लागू किया है, जो ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। इस पहल के तहत, जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ (वीसी रूम) स्थापित की गई हैं। वर्तमान में, राजनेट के माध्यम से राज्य की 9,478 से अधिक ग्राम पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

**स्टेट पोर्टल :** स्टेट पोर्टल नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और विदेशी नागरिकों के लिए सूचना और लेनदेन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों, संस्थानों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बोर्डों और योजनाओं के 1,699 वेब पोर्टलों के साथ निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे नागरिकों को सेवाओं और सूचनाओं की आसानी से पहुँच सुनिश्चित होती है।

**स्टेट मास्टर सेन्टरलाईज्ड डेटा हब:** यह हब विभिन्न विभागों के क्लाइंट एप्लिकेशन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के मास्टर डेटा का केन्द्रीयकृत स्रोत है। इसमें भौगोलिक पदानुक्रम और विभागीय अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रकार के मास्टर डेटा का समावेश है।

**स्टेट डेटा सेन्टर (एसडीसी):** स्टेट डेटा सेन्टर सेवाओं / एप्लिकेशन को बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है इसकी कुल क्षमता 800 रैक है, जिसमें जोधपुर में एक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट भी शामिल है। इन सुविधाओं में, आरएसडीसी पी-4 सुविधा अपनी 600 रैक क्षमता के साथ सबसे उन्नत है। यह अपटाईम टियर-4 डिजाइन प्रमाणन प्राप्त कर चुकी है और 99.99 प्रतिशत अपटाईम की उल्लेखनीय गारन्टी देती है। यह भारत का सबसे बड़ा टियर-4 सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेन्टर है।

**राज-काज :** राजस्थान सरकार के सभी सरकारी विभागीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, कॉर्पोरेशन, निगमों इत्यादि में विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। इसके प्रमुख मॉड्यूल में आईपीआर, पीएआर, एनओसी, लीव और ई-फाईल एवं ई-डाक शामिल है। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य ने सभी विभागों में भौतिक फाइलों और पत्रों के स्थान पर राज-काज पोर्टल पर ई-फाइलिंग प्रणाली लागू की है।

**राज ई-साइन :** यह पहल आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित, लागत प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दस्तावेज हस्ताक्षर को सक्षम इस एप्लिकेशन द्वारा किया गया है, जिससे कभी भी, कहीं भी पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही, सरकारी प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना संभव होता है।

**राजमेल :** राजमेल एक निःशुल्क ई-मेल सेवा है, जिसे राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदान किया गया है। यह सेवा तकनीकी दृष्टि से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

**कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (अभय):** यह एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रदान करता है, जो जीपीएस और सीसीटीवी तकनीक पर आधारित है। ये सेंटर राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में स्थापित किये गए हैं, जहाँ कुल 11,892 कैमरे लगाए गए हैं। इस परियोजना में कई महत्त्वपूर्ण प्रणालियाँ शामिल हैं, जैसे- वीडियो निगरानी प्रणाली, डायल 100 नियन्त्रण प्रणाली, फॉरेंसिक जाँच प्रणाली, दक्ष यातायात प्रबंधन तंत्र, वाहन ट्रैकिंग तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस), जो सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती हैं।

**कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (सीओएस):** यह बैठक विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने, राज्य के विकास लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य की कार्य योजनाओं की रणनीति तैयार करने और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है, ताकि शासन और सार्वजनिक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा सके और उन्हें लागू किया जा सके।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए नोडल विभाग है। इस अधिनियम के तहत विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**राजस्थान अनुप्रयोग विकास केन्द्र (राजकैड):** राजकैड बिजनेस एनालिसिस, डॉटनेट, पीएचपी, जावा, मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट, यूआई / यूएक्स डिजाइन, एसएएस, पावर बीआई, सुरक्षा ऑडिट और आरडीबीएमएस जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। राजकैड द्वारा डेटा एनालिटिक्स के तहत 82 से अधिक मॉड्यूल के लिए डेशबोर्ड विकसित किए गए हैं और विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन के लिए 18 वेब पोर्टल प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लॉन्च किया गया है तथा 7 मोबाइल एप्लिकेशन प्रोजेक्ट विकसित कर लाइव किये जा चुके हैं।

**भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस):** भौगोलिक स्थानों से डेटा का प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए एक जीआईएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की गई है। राजधारा रीको जीआईएस प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे यह औद्योगिक लेआउट योजनाओं में मदद करता है। डेटा साझेदारी के माध्यम से जयपुर नगर निगम, पीएचईडी और अन्य संस्थाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे नगरीय विकास, जल आपूर्ति योजना और पारिस्थितिकीय संरक्षण में नवाचार और सुधार हो रहा है।

**ई-प्रोक्योरमेन्ट :** पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट (सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन - जीईपीएनआईसी) प्रणाली को लागू किया है। अक्टूबर, 2011 में जीईपीएनआईसी के साथ राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट की शुरुआत के बाद से, 296 से अधिक राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने इस प्रणाली को अपनाया है।

**डेटा एनालिटिक्स :** डेटा एनालिटिक्स परियोजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान) और राजस्थान संपर्क, आरजीएचएस, ई-मित्र जैसी योजनाओं में लागू किया गया है।

**सरकारी कार्यालयों में क्षमता संवर्धन:** सरकारी विभागों में आईटी पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए कुशल और प्रशिक्षित आईटी कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2024 तक कुल 1,564 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

एमसीए और आरकेसीएल का आरएससीआईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाण-पत्र) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा राजकीय अनुमोदन उपरान्त राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) आरकेसीएल की स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा की उपलब्ध कराने हेतु की गई है, जिसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता के अन्तर को कम करने और अन्तिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान किया जा सके।

## सुशासन के लिए वित्तीय प्रबंधन

राजस्थान ने अपनी बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। यह एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के स्वचालित मंच के माध्यम से सम्भव हुआ है, जो वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है। वर्तमान में IFMS 3.0 इस प्रणाली का नवीनतम पोर्टल है।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

## वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) 2025-26

➪ राजस्थान का पहला बजट 04 अप्रैल, 1952 को विधानसभा में पेश किया गया था। यह बजट नाथूराम मिर्धा द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय राजस्थान के वित्त मंत्री थे।

➪ संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य का बजट) प्रस्तुत करते हैं।

➪ वित्त वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी, 2025 को उपमुख्यमंत्री और **वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी** द्वारा पेश किया गया।

**नोट: श्रीमती वसुंधरा राजे के पश्चात दिया कुमारी राजस्थान में बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं।**

➪ यह ग्रीन थीम पर आधारित राजस्थान का प्रथम बजट है।

**बजट वर्ष 2025-26 के प्रमुख बिन्दु**

➪ वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

| राजस्व प्राप्तियाँ – 2,94,536 करोड़ रुपये |
|---|
| **राजस्व व्यय – 3,25,545 करोड़ रुपये** |
| **राजस्व घाटा – 31009 करोड़ 41 लाख रुपये** |

➪ **राजकोषीय घाटा 84,643.63 करोड़** रुपये जो **GSDP का 4.25** प्रतिशत है।

➪ GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

➪ **वर्ष 2030 तक $ 350 Billion** की अर्थव्यवस्था (Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

### पेयजल क्षेत्र

➪ **राम जल सेतु लिंक परियोजना** (संशोधित PKC-ERCP) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारम्भ।

➪ **जल जीवन योजना** का समय **वर्ष 2028** तक बढ़ाया जाएगा।

➪ **मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी)** प्रारम्भ किया जाएगा।

➪ 1000 Tube wells व 1500 Handpumps लगाने की घोषणा।

### ऊर्जा क्षेत्र

➪ आगामी वर्ष 6 हजार 400 Mega Watt (MW) से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की घोषणा।

➪ आगामी वर्ष 50 हजार नये कृषि तथा 5 लाख domestic connections दिये जाने की घोषणा।

➪ अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ **Banking करने की व्यवस्था समाप्त।**

➪ निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष **10 Giga Watt (GW) ऊर्जा का उत्पादन।**

➪ 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को leverage कर **मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना** के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क Solar Plants लगाते हुए 100 Units से बढ़ाते हुए 150 Units बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा, अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक Solar Plants स्थापित किए जाएँगे।

## सड़क विकास

➯ विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य किए जाएँगे।

➯ 2750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के 9 Green Field Expressways के कार्य लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से **Hybrid Annuity Model (HAM)/BoT** पर करने की घोषणा।

➯ **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चतुर्थ चरण**, 1600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना।

➯ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में **₹10-10 करोड़** की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाये जाएँगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि **₹15 करोड़ प्रति** विधानसभा क्षेत्र होगी।

➯ 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कोंक्रीट के **अटल प्रगति पथ** के निर्माण करवाये जाने की घोषणा, लागत 500 करोड़ रुपये।

## क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएँ

➯ **'पंचगौरव योजना'** को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित।

➯ डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु ₹50-50 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये।

➯ सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए **'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम',** 150 करोड़ रुपये का फंड।

➯ SCSP एवं TSP Funds की राशि में वृद्धि, 1,750 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा।

➯ **गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम**, 35 **आकांक्षी ब्लॉक** के लिए 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़) रुपये का प्रावधान।

➯ स्वर्ण जयन्ती पार्क (विद्याधर नगर, जयपुर) को **ऑक्सीजन जोन** के रूप में विकसित किया जाएगा। रामगिरी पहाड़ी (बड़गाँव, उदयपुर) को ऑक्सीजन जोन बनाते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर तैयार होगी।

➯ **स्वामित्व योजना**- ड्रोन सर्वे कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी किए जाएँगे।

➯ शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान के कार्य हेतु ₹12,500 करोड़ की लागत से 7 वर्षों की अवधि की **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना** लागू की जाएगी। इसके तहत समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य किये जाएँगे। राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाना।

➯ नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए **500 पिंक टॉयलेट** निर्मित किये जाएँगे।

## औद्योगिक विकास

➯ निवेश सुविधा हेतु 'Single Window - One Stop Shop' पर **ऑनलाइन परमिसन** की संख्या को बढ़ाकर **149** करना।

➯ सेवा क्षेत्र में निवेश **हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy** लाया जाना प्रस्तावित।

➯ बिचून (जयपुर), भिवाड़ी (खैरथल तिजारा) के औद्योगिक क्षेत्रों में Flatted Factory की व्यवस्था लागू की जाएगी।

- हस्त-छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए ₹5 करोड़ व्यय से **आकोला (चित्तौड़गढ़)** हब का निर्माण किया जाएगा।
- कोटा में **टोय पार्क**, निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ व बूँदी में **स्टोन पार्क**, सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में **सिरेमिक पार्क**, DMIC के अन्तर्गत **फार्मा पार्क** की स्थापना, भीलवाड़ा में **टेक्सटाइल पार्क का विस्तार** तथा सांगानेर-जयपुर में **ब्लॉक प्रिंटिंग जॉन** (Block Printing Zone) की स्थापना।
- राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से **वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति (GCC Policy)** लाई जाएगी।
 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है- 1. केकड़ी (अजमेर), 2. कठूमर (अलवर), 3. रूपवास (बयाना), 4. वैर (भरतपुर), 5. पीपलूंद (शाहपुरा), 6. पंडेर (शाहपुरा), 7. रेडवास (भीलवाड़ा), 8. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर), 9. समलेटी (महुवा, दौसा), 10. मोहनपुरा (फागी), 11. बांसखोह (बस्सी, जयपुर), 12. सरनाऊ (सांचौर, जालोर), 13. गोपालपुरा (कोटा), 14. जैतारण (ब्यावर), 15. सोजत (पाली), 16. दत्तवास (निवाई, टोंक), 17. डीडवाना (डीडवाना कुचामन), 18. टोडाभीम (करौली)
- Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) से लिंक कर **दो लॉजिस्टिक पार्क** स्थापित करने की घोषणा की गई है।

## पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- 8 एवं 9 मार्च, 2025 को प्रथम बार **IIFA Awards** का आयोजन गुलाबी नगरी-**जयपुर** में होगा।
- पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए वर्ष 975 करोड़ रुपये।
- हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला (बाराँ), खण्डार किला (सवाई माधोपुर), नाहरगढ़ (जयपुर), आमेर (जयपुर), आभानेरी (दौसा), किशोरी महल (भरतपुर) सहित 10 स्थलों का विकास **आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन** के रूप में किया जाएगा।
- लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु **बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र** की स्थापना की जाएगी ।
- शेखावाटी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु **शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना** व हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी।
- **संस्कृति पोर्टल**- गाँवों, मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना।
- **वाटर स्पोर्ट्स** के लिए कोटा बैराज, बीसलपुर, जयसमंद, सिलीसेढ़, पिछोला, आनासागर में पीपीपी मोड पर कार्य किये जाएँगे।
- संभाग स्तर पर **होस्पिटलिटी स्किल सेंटरों** की स्थापना।
- आदिवासी बाहुल्य जिलों 100 करोड़ रुपये व्यय कर **ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट** (Tribal Tourist Circuit) विकसित करना।
- जयपुर की स्थापना के वर्ष 2027 में 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में **गोविन्द देवजी कला महोत्सव** का आयोजन किया जाएगा।
- सवाई माधोपुर में **शिल्पग्राम** की स्थापना की जाएगी।
- **डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म** के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं बीकानेर में पीपीपी मोड पर कार्य किये जाएँगे।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** - 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा तथा 50 हजार AC Train से तीर्थ यात्रा।

- **विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर)** में जेईसीसी की तर्ज पर Concert and Convention MICE Centre बनाया जाएगा। इसके अलावा अजमेर में Convention Hall का निर्माण किया जाएगा।
- **बैंगटी (फलौदी) में हड़बूजी** व **रैवासा धाम (सीकर)** में **पैनोरमा** बनाये जाएँगे।
- कोटा एयरपोर्ट के निकट **ऐरो सिटी** (Aero City) का विकास, माउंट आबू-सिरोही में **ऐरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी** (Acro Sports Activities) शुरू की जाएगी।
- बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को **त्रिवेणी संगम** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **10 गाँवों को विकसित** किया जाएगा। इन 10 गाँवों में बरौली धाऊ (कामां, डीग), देवमाली (ब्यावर), पिपलांत्री (राजसमंद), महनसर (झुंझुनूँ), भूरी पहाड़ी (रणथम्भौर, सवाई माधोपुर), केमला (इंदरगढ़, बूँदी), रूसी रानी (दबकन, अलवर), आभानेरी (दौसा), शेरगढ़ (बाराँ) एवं लापोडिया (मालपुरा, टोंक) शामिल हैं।
- प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूँ में **फ्लाइंग ट्रेनिंग ओर्गेनाइजेशन** (Flying Training Organization) की स्थापना।
- जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में **Hop-on Hop off** बस सेवा शुरू की जाएगी।

## युवा कल्याण

- **'राजस्थान रोजगार नीति-2025'** लाई जाएगी जिसके तहत **500 करोड़** रुपये के **विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष** की स्थापना की जाएगी।
- **'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना'** प्रारम्भ की जाएगी जिसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का साथ ही 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने का प्रावधान।
- केन्द्रीय बजट में घोषित **Scheme for First Time Entrepreneurs** के अन्तर्गत प्रदेश के 25 हजार महिला एवं **SC/ST** उद्यमियों को लाभ दिलवाया जाएगा।
- प्रदेश के startups को Networking का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से **हैदराबाद, बेंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में i-Start Facilitation Desks** स्थापित किये जाने प्रस्तावित।
- प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counselling की स्थापना।
- **कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट** की स्थापना।
- **जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों** की स्थापना।
- मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में **सैनिक स्कूल** तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में **बालिका सैनिक स्कूल** की स्थापना।
- 1500 विद्यालयों में **अटल टिंकरिंग लैब्स** (Atal Tinkering Labs) की स्थापना।
- अलवर, अजमेर व बीकानेर में **डिजिटल प्लेनेटेरियम** तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइन्स सेंटरों में **Innovation Hubs** की स्थापना।
- कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए **स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स**, SMS स्टेडियम, जयपुर में **बेडमिंटन एकेडमी** तथा उदयपुर में **लैक्रोस (Lacrosse) एकेडमी**, जयपुर में **शूटिंग रेंज** मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना।

⇨ 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gyms एवं खेल मैदान खोले जाएँगे

⇨ द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी **भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण** संस्थानों में भी **खेल कोटा** दिया जाएगा।

⇨ नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से **नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र** खोले जाएँगे।

⇨ तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, **जोधपुर, जयपुर एवं सीकर** में **युवा साथी केन्द्र** स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

## स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

⇨ आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

⇨ **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना** के अन्तर्गत 3500 करोड़ रुपये के **'MAA कोष'** का गठन करने की घोषणा।

⇨ **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना** में **इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी** (Interstate Portability) लागू।

⇨ समस्त जिला चिकित्सालयों में **डाइबिटिक क्लिनिक** स्थापित किये जाने प्रस्तावित।

⇨ **70 वर्ष आयु से अधिक** के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा देने की घोषणा।

⇨ ट्रक/बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा-कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आँखों की जाँच कर निःशुल्क चश्में उपलब्ध करवाने के लिए **MAA नेत्र वाउचर योजना** (MAA-NVY) लागू किये जाने की घोषणा।

⇨ RIMS जयपुर के अधीन **बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (Geriatric Healthcare Resource and Training Centre)** की घोषणा।

⇨ **'Fit Rajasthan'** अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान, डाइट में खाद्य तेल की मात्रा में न्यूनतम 10 प्रतिशत कमी करने के लिए भी प्रेरित।

⇨ फलौदी के बावड़ी खुर्द में **होम्योपैथिक औषधालय** की स्थापना की जाएगी।

⇨ हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूँगरपुर में **खाद्य प्रयोगशालाएँ** स्थापित की जाएगी।

⇨ शहरी क्षेत्रों हेतु **148 UAAM (Urban Ayushmaan Aarogya Mandir)** की स्थापना की घोषणा की गई है।

⇨ नवीन आयुष नीति. पूर्णतः निरोगी होने पर गाँवों को **आयुष्मान आदर्श ग्राम** घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि।

⇨ भरतपुर में **मातृ शिशु विंग** (MCH Wing) की शुरुआत की जाएगी।

⇨ दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा तथा जयपुर-कोटा राजमार्गों पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए **जीरो एक्सिडेंट जॉन** बनाए जाने की घोषणा।

## सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

⇨ अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं/एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय **पेंशन** को **बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह** करने की घोषणा।

⇨ विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से **'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना'** प्रारम्भ करने की घोषणा।

- **माटी कला** से जुड़े कलाकारों को 2 हजार Electric Wheels (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें प्रस्तावित।
- अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में **One Time Settlement Scheme (OTSS)** लाने की घोषणा।
- **'Gig and Unorganized Workers Development Fund-** असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज, 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का **मैस भत्ता बढ़ाकर ₹3250** प्रति आवासी प्रतिमाह कर दिया गया है
- बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बिस्तरों के **सरस्वती हाल्फ वे होम्स** (Half Way Homes) स्थापित किये जाने प्रस्तावित।
- प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में **रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र** स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है।
- प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों पर **Girl Child Care Institute** स्थापित किये जाएँगे
- गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु **मुख्यमंत्री सुपोषण नुट्री-किट** (Nutri-Kit) योजना लागू।
- **राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड** का Non-Banking Financial Company के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹1 लाख तक के ऋण उपलब्ध करवाये जाएँगे। इस योजना से 3 लाख लखपति दीदीयों को लाभान्वित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आँगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिवस के स्थान पर **अब 5 दिवस दूध उपलब्ध** करवाए जाने की घोषणा।

**सुशासन**

- आगामी वर्ष प्रथम चरण में **3 हजार से अधिक** जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में **अटल ज्ञान केन्द्र** की स्थापना।
- Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, जयपुर के अन्तर्गत **Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research** की स्थापना किये जाने की घोषणा।
- राज्य के अधिनियमों को **डिक्रीमीनलाइज** (de-criminalize) करने तथा अनावश्यक प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से **लोक विश्वास अधिनियम** लाने की घोषणा।
- 400 करोड़ रुपये से नवीनतम तकनीक आधारित **RajNET 2.0** स्थापित किये जाने की घोषणा।
- **डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर** (Disaster Recovery Data Centre), **जोधपुर** में स्थापित करना प्रस्तावित।
- **ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर फ्रंटिएर टेक्नोलोजीज** (Brahmagupta Centre of Frontier Technologies) की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये के प्रावधान

⇨ जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में **विधायक जनसुनवाई केन्द्र** MLALAD योजना के अन्तर्गत **10 लाख रुपये** का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

⇨ **कोटा में मिनी सचिवालय** की स्थापना।

### कानून व्यवस्था

⇨ निगरानी एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए **'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम** लाया जाने की घोषणा।

⇨ **सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार-रूम** (Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room) की स्थापना करने की घोषणा।

⇨ उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प) बनाए जाएँगे।

⇨ कारागार प्रशिक्षण संस्थान (अजमेर) का Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research के रूप में क्रमोन्नयन किया जाएगा

SMART Policing-

1. S for Strategic
2. M for Meticulous
3. A for Adaptable
4. R for Reliable
5. T for Transparent

## राजस्थान कृषि बजट 2025-26

⇨ **कृषि बजट** में से राशि 65,232.4 करोड़ रुपये समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है जो राज्य **के कुल बजट का 12.15% है।** कृषि बजट में गत वर्ष से 14.67 % की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट **GSDP का 5.58% है।**

⇨ राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) को और वृहद् रूप देते हुए 9300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य।

⇨ **राजस्थान इरीगेशन वॉटर ग्रिड मिशन** के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर **Rajasthan Water Grid Corporation** स्थापित, लगभग 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

⇨ **राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना** (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project) (RWSLIP)-**Phase-III** में 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित।

⇨ **PM किसान सम्मान निधि** की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से **9 हजार** रुपये प्रतिवर्ष।

⇨ गेहूँ के एमएसपी के ऊपर **प्रति क्विंटल बोनस राशि** को भी बढ़ाकर **₹150** किया गया है।

⇨ कृषि में AI का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से **सेंटर ऑफ एक्सीलैंस ऑफ आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर** की स्थापना।

⇨ **बाँसवाड़ा में मक्का उत्कृष्टता केंद्र** (Centre of Excellence for Maize) की स्थापना।

⇨ **भरतपुर में शहद उत्कृष्टता केंद्र** (Centre of Excellence for Honey Bee-keeping) की स्थापना।

⇨ **Farmer Producer Organizations (FPOs)** के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।

⇨ **ग्लोबल राजस्थान एग्री-टेक मीट** (GRAM) का आयोजन आगामी वर्ष में संभावित।

⇨ **गोपाल क्रेडिट कार्ड** योजना के अन्तर्गत संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान।

⇨ **अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क।**

⇨ महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों की दो पुत्रियों की सीमा तक **विवाह** हेतु सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर **75 हजार रुपये** प्रति विवाह।

⇨ **बाराँ में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र** की स्थापना।

## पशुपालन एवं डेयरी

⇨ **'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना'** का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना कर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

⇨ **नवीन दुग्ध संयंत्र** - अलवर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर: 225 करोड़ रुपये की लागत।

⇨ पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को **138 से बढ़ाकर 200** किया जाएगा।

⇨ **नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र** - राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर: 150 करोड़ रुपये की लागत।

⇨ गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय **अनुदान** को बढ़ाकर **50 रुपये प्रतिदिन।**

⇨ **बस्सी-जयपुर** में **सेक्स सोर्टेड सीमन लैब** की स्थापना।

⇨ आगामी वर्ष से **Sex Sorted Artificial Insemination** के लिए प्रथम दो AI पर 75% अनुदान के साथ ही शेष 2 A1 तक 50% अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा।

⇨ प्रदेश में संचालित **गौशालाओं तथा नंदीशालाओं** हेतु प्रति पशु देय **अनुदान को 15% बढ़ाकर ₹ 50 प्रतिदिन** किये जाने की घोषणा की गई है। शीत ऋतु में गायों के लिए गौशालाओं को अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध करवाये जाने का विकल्प होगा।

⇨ पॉलीक्लिनिक (पाँचबत्ती, जयपुर) को **Centre of Excellence Institute of Veterinary Sciences** के रूप में विकसित किया जाएगा।

⇨ **हिंगोनिया (जयपुर) व राजुवास (बीकानेर)** में पशुओं के लिए **नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर** स्थापित किये जाएँगे

⇨ पशु चिकित्सालय सांगानेर में **Animal Prosthetic Centre** विकसित किया जाएगा।

## हरित बजट

➯ यह राज्य का **प्रथम हरित बजट** है। ग्रीन बजट में **27,854 करोड़ रुपये** का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 11.34% है तथा **कुल बजट का 5.18% है।**

➯ सतत विकास के लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने एवं सतत हरित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 10 बिन्दुओं पर विशेष फोकस:
(1) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
(2) वन एवं पर्यावरण- जैव विविधता/पारिस्थितिकी
(3) सतत कृषि, जल संचयन/पुनर्भरण
(4) सतत भूमि उपयोग
(5) हरित ऊर्जा
(6) पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान- परिपत्र अर्थव्यवस्था
(7) स्वच्छ तकनीक विकास
(8) हरित लेखा परीक्षा
(9) क्षमता निर्माण-शिक्षा, कौशल
(10) हरित वित्त पोषण।

➯ 5 वर्षीय **क्लाइमेट चेंज एडेप्टेसन प्लान** (Climate Change Adaptation Plan) -2030 बनाए जाने की घोषणा।

➯ 150 करोड़ रुपये की लागत से **सेंटर ऑफ एक्सीलैंस फॉर क्लाइमेट चेंज** (Centre of Excellence for Climate Change) बनाए जाने की घोषणा।

➯ **मिशन हरियाळो राजस्थान** के **अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे** लगाने की घोषणा।

➯ वन क्षेत्र के बाहर Green Cover को बढ़ाये जाने की दृष्टि से **'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान'** (ToFR) Policy तथा **Agro-Forestry Policy** लाई जानी प्रस्तावित।

➯ घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से **सवाई माधोपुर में पालीघाट** के निकट **घड़ियाल पालन पोषण केंद्र (Rearing Centre)** का विकास।

➯ अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर **लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र** (Leopard Conservation Reserves) तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में **लेपर्ड सफारी** (Leopard Safari)

➯ **सवाई माधोपुर-करौली** क्षेत्र में स्थानीय समुदायों तथा विशेषज्ञों की सहायता से **स्याहगोश (Caracal) संरक्षण** कार्य किया जाएगा।

➯ प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में **₹30 हजार प्रतिवर्ष** दिये जाने के साथ ही किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी।

➯ **विकसित राजस्थान @2047** हेतु GIS आधारित **Green Land Use Perspective Plan** बनाये जाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।

➯ आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को **सोलर दीदी** के रूप में प्रशिक्षित।

- एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क **इंडक्शन कूकिंग सिस्टम** (Induction Cook Top-Cooking System) वितरित किए जाएँगे।
- सर्कुलर इकॉनमी (Circular Economy) के व्यापक प्रसार के लिए **राजस्थान सर्कुलर इकॉनमी इन्सेंटिव स्कीम** (Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme)-2025 लाने की घोषणा।
- **Recycling/Reuse** के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान
- 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निषिद्ध करने तथा नयी तकनीक के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु **Rajasthan Vehicle Scrap Policy** लाया जाना प्रस्तावित
- **ग्राम पंचायतों पर** स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए **'बर्तन बैंक'** की स्थापना की जाएगी।
- **Clean and Green Technology Development Centre** की स्थापना, 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान।
- 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में 16 शहरों को **Clean and Green-Eco Cities** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **ग्रीन ऑडिट** (Green Audit) कराने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान।
- राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए **Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre** (SDGCAC) स्थापित किया जायेगा।
- कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर **Rajasthan Green Credit Mechanism** विकसित कर **Tradable Credits** उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव।
- प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के सम्बन्ध में सतत एवं पर्यावरण अनुकूल समाधान ढूँढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का **Rajasthan Green Challenge Fund** स्थापित करने की घोषणा।
- 250 करोड़ रुपये राशि की **'हरित अरावली विकास परियोजना'** शुरू।

## अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- **जयपुर में खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र** (Centre of Excellence for Mines and Minerals) स्थापित किये जाने की घोषणा।
- उदयपुर में Institute of Mines तथा जोधपुर स्थित MBM University में **Petro Campus** स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित।
- खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कम्पनी के रूप में **'Rajasthan Mineral Exploration Limited'** के गठन की घोषणा।

## योजनाओं के उद्व्यय

| योजना क्षेत्र | बजट आवंटन (₹ करोड़ में) | वृद्धि प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| कृषि विकास | 14075.96 | 5.73 |
| ग्रामीण विकास | 24925.02 | 10.15 |
| शहरी विकास एवं आवास | 15344.04 | 6.25 |
| शिक्षा एवं स्वास्थ्य | 69389.83 | 28.25 |
| ऊर्जा एवं पेट्रोलियम | 48434.10 | 19.68 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 30802.73 | 12.54 |
| आधारभूत विकास | 26697.86 | 10.87 |
| औद्योगिक विकास | 3121.43 | 1.27 |
| सूचना प्रोद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएँ | 2414.43 | 0.98 |
| शासकीय व्यय | 10496.25 | 4.28 |

## वित्त के स्रोत

| राजस्व स्रोत | प्रतिशत (%) |
|---|---|
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 11.8 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 3.7 |
| वाहनों पर कर | 1.8 |
| अन्य कर | 3.5 |
| बिक्री कर | 5.7 |
| कर-मुक्त राजस्व | 5.0 |
| केंद्रीय सहायता | 7.3 |
| केंद्रीय करों में हिस्सा | 16.0 |
| आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण, ऋणों की वसूली, विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि | 45.2 |

## वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 12 मार्च, 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर निम्नलिखित घोषणाएँ की गई-

- ➯ 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किये गये बजट में **1500 हैण्डपम्प** लगाये जाने की घोषणा की गई थी। अब इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में **2500 हैण्डपम्प** लगाये जाने की घोषणा की गई।
- ➯ सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से **10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन** स्थापित किये जाएँगे।

- राज्य के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल सम्बन्धी समस्या का तत्काल निराकरण हेतु प्रत्येक जिला कलक्टर को **समर कंटिन्जेंसी** के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का **Untied Fund** भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में **50 हजार स्ट्रीट लाईट** लगाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस संख्या को बढ़ाते **हुए 1 लाख स्ट्रीट लाईट** लगाये जाने की घोषणा हुई है।
- 19 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित 10-10 करोड़ रुपये की राशि में से **5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक** सड़कों के कार्य करवाये जाएँगे।
- **दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास** व **बालोतरा नगर विकास न्यास** का गठन किये जाने की घोषणा।
- गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में **राजस्थान फाउण्डेशन** के **नये चेप्टर्स** शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं।
- राज्य के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु **'भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम'** प्रारम्भ किया जाएगा।
- वर्ष 1949 में नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन विभिन्न रियासतों को मिलाते हुए वृहद् राजस्थान की स्थापना की गयी थी। अतः 30 मार्च, 2025 को नव संवत् **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस** के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा।
- **जैसलमेर के गुहड़ा** में संत **सदाराम जी महाराज** का **पैनोरमा** बनाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री Internship Programme अथवा National Apprenticeship Programme Join करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को **6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड** का विकल्प दिया जाएगा।
- युवा प्रथम बार **संगठित निजी क्षेत्र** में नौकरी प्राप्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से **50 हजार रुपये तक** मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवाओं को एकबारीय सहायता के रूप में **10 हजार रुपये** उपलब्ध कराने के लिए **मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन** योजना प्रारम्भ की जाएगी।
- युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से **जयपुर में IIT-जोधपुर का कैम्पस** स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाएगा।
- विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से हेतु **मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)** प्रारम्भ किया जाएगा।
- राजसमंद में **निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय** खोला जाएगा।
- **आदर्श वेद आवासीय विद्यालय (रैवासा, सीकर)** की तर्ज पर **तारातरा मठ (गोमरख धाम, बाड़मेर)** में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
- **भीलवाड़ा** में **Multipurpose Sports Complex**, **श्रीगंगानगर** में **साईकिल ट्रेक** तथा **कुम्हेर (डीग) व केशोरायपाटन (बूँदी)** में **खेल स्टेडियम** का निर्माण करवाया जाएगा।

⇨ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के अधीन **Dedicated Thalassemia Centre** की स्थापना की जाएगी।

⇨ **अति गम्भीर कुपोषित बच्चों** की समस्या के निदान के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों में ऐसे बच्चों को दिये जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा की गई।

⇨ युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष **2,000 स्कूटी** दी गयी हैं। आगामी वर्ष इस संख्या में वृद्धि कर **2500 दिव्यांगजन** को स्कूटी दी जाएगी।

⇨ उदयपुर के गोगुंदा में नवीन **ट्रोमा सेंटर** खोला जाएगा।

⇨ गरीबी मुक्त राजस्थान हेतु **पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना** प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गई। आगामी वर्ष में प्रथम चरण में **5 हजार गाँवों** में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित।

⇨ देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए **पाली** में राज्य का प्रथम **Centre of Excellence Indigenous Farm** स्थापित किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे।

⇨ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अन्तर्गत **Centre of Excellence for Legal Research and Applications** व राज्य सरकार के अधीन **Centre for Economic Transformation and Financial Management** स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

⇨ **कैच द रैन अभियान** से प्रेरणा लेकर **'कर्मभूमि से मातृभूमि'** अभियान के अन्तर्गत CSR के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

⇨ प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाये जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण **MLA-LAD** योजना से किसी भी ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर **25 लाख रुपये** किये जाने की घोषणा की गई।

⇨ HCM RIPA जयपुर में **Recreation Centre** स्थापित किया जाएगा।

❑ ❑ ❑ ❑

NEXUS CIVIL ZONE

# अपनी तैयारी को मजबूत करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हेतु आज ही NEXUS CIVIL ZONE से जुड़े।

NEXUS CIVIL ZONE

## Ongoing TEST SERIES

**PATWAR | VDO | CURRENT AFFAIRS**

**ECONOMIC SURVEY 2024-25 | FIRST GRADE GK & GS**

## Upcoming Test Series:

**RAS Pre | SI | 2nd Grade**

प्रतियोगी परीक्षा के बदलते परिदृश्य में अपनी तैयारी को मजबूत करने एवं सफलता सुनिश्चित करने के के लिए आज ही हमारे साथ जुड़े, जहां आपको हमारी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर्स, नोट्स, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित रणनीति उपलब्ध करवाई जायेगी।

GET IT ON Google Play

**Nexus Civil Zone**

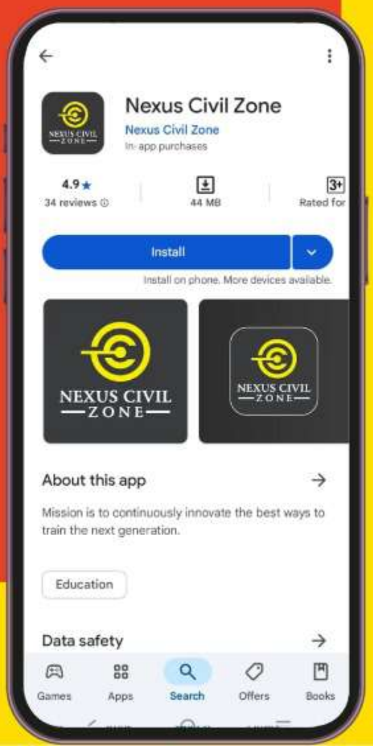


Follow us on :